

इसे वेबसाईट [www.govtppressmp.nic.in](http://www.govtppressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जनवरी 2022—पौष 17, शक 1943

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरास्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 5-22-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4210 (दो-1-8/2019), दिनांक 11 नवम्बर 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 25 से 26 अक्टूबर 2021 तक, दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. 1553-1369-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्री अरुण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4212 (दो-1-46/2002), दिनांक 11 नवम्बर 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 2 सितम्बर 2021 का दिनांक 20 सितम्बर 2021, दिनांक 21 सितम्बर 2021 का, दिनांक 29 सितम्बर 2021 का, दिनांक 30 सितम्बर 2021 का एवं 4 अक्टूबर 2021 का कुल छः दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है प्राप्त प्रस्ताव अनुसार उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, अवर सचिव,

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 1(ए)12-2021-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2021 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री अतुल सिंह, भापुसे. तत्का. पुलिस अधीक्षक, जिला-सागर वर्तमान में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 02 से 10 अक्टूबर 2021 तक, नौ दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

2. आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत्,

क्र.-एफ 1(ए)158-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे. अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, पु. मु., भोपाल को दिनांक 26 अप्रैल से 18 जून 2021 तक, चौबन दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योंतर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 108 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा. भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा. भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2021

क्र.-एफ 1(ए)58-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री हितेश चौधरी, भापुसे-2013 पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्ड वर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 30 दिसम्बर 2021 तक, पंद्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ दमन और दीव की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है—

1. श्री हितेश चौधरी, — स्वयं
2. श्रीमती अंजुलता चौधरी, — पत्नी
3. श्री नील चौधरी, — पुत्र
4. श्री कैलाश चौधरी, — पिता

(2) श्री हितेश चौधरी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती प्रतिमा एस. मैथ्यू, अति. पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हितेश चौधरी भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री हितेश चौधरी, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री हितेश चौधरी भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसीप्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हितेश चौधरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)58-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मार्च 2021 द्वारा डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रेल मध्यप्रदेश, भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)-2020 EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के अंतर्गत अकेले अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(2) डॉ. महेन्द्र सिंह, सिकरवार, भापुसे, द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त सुविधा का लाभ न ले पाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. एफ 1(ए)167-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 03 से 22 नवम्बर 2021 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19-21 नवम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, सचिव, गृह(पी) विभाग, मंत्रालय द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्नू भलावी, अवर सचिव।

## औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 16-63-2021-ए-ग्यारह.—बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश गेल (इंडिया) विजयपुर, जिला-गुना को वाष्यंत्र क्रमांक एमपी/4987 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 04 दिसम्बर 2021 से 03 फरवरी 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1)की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलछूट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385-के के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्यंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

उक्त आदेश को “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित किया जाये।

क्र. 2066-792-2021-ए-ग्यारह.—बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला-गुना

को वाष्यंत्र क्रमांक एमपी/4462 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 16 दिसम्बर 2021 से 15 जून 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1)की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलछूट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385-के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्यंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

उक्त आदेश को “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षी. के. बरोनिया, अपर सचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 4(1)(bb)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री पुष्टेन्द्रनाथ द्विवेदी, एडवोकेट निवासी उमरिया को जिला उमरिया एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया हेतु जिला मानसेवी वन्यजीव अभिरक्षक के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2021**

क्र. एफ 3-3-2015-इकतालीस-2.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2019 द्वारा जारी “मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कंपनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश 2019” की कंडिका 12(क) (सात) में निम्नानुसार प्रावधान है:—

“नगरीय क्षेत्र में भूमि की कमी तथा स्कूलों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थाओं

के परिसरों/शासकीय चिकित्सालयों/सार्वजनिक उद्यानों/खेल मैदानों में अवसंरचना स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी.”.

2. राज्य शासन एतद्वारा “मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कंपनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश-2019” की उक्त कंडिका 12 (क) (सात) को विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव.**

**नगरीय विकास एवं आवास विभाग**

**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

**भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2021**

क्र. एफ 07-42-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री जयपाल चावड़ा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर नियुक्त किया जाता है।

क्र. 1580-1296-2021-अठारह-6.—मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्र. 3 सन् 1972) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री आशुतोष तिवारी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के पद पर नियुक्त करता है।

**भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2021**

**सूचना**

क्र. एफ-3-121-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक-4160-टी सी-24-देवास-उपा./नग्रानि-2021-उपा-नग्रानि, भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्लौरे निम्नानुसार हैं:—

**अनुसूची**

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	देवास जूनियर	110/2 में से	4500.00 वर्गमीटर	आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक वाणिज्यिक तथा मार्ग (कलेक्टर परिसर)	वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुनर्धनत्वीकरण योजना)
2	देवास जूनियर	415/2 में से	413.87 वर्गमीटर	आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा मार्ग (सिविल लाईन रोड)	वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुनर्धनत्वीकरण योजना)
3	देवास जूनियर	440/1/2 में से	4546.13 वर्गमीटर	आवासीय एवं मार्ग (सिविल लाईन रोड)	वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुनर्धनत्वीकरण योजना)
<b>योग . . .</b>			<b>9460.00</b>		

उपरोक्त उपांतरण देवास विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा।

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2021  
सूचना

क्र. एफ-3-90-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) सहपिटि धारा 23 (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकित होशंगाबाद विकास योजना, 2035 (प्रारूप) के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण भी किया जा सकेगा:—

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक ए 227, बी. बी. 2, द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल.
2. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
3. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, होशंगाबाद.
5. उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, 1/39, गिन्नी कम्पाउण्ड, मिनाक्षी चौराहा के पास, होशंगाबाद.

### अनुसूची

#### II. होशंगाबाद विकास योजना 2035 (प्रारूप) के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र (क्रमांक 4.2) में प्रस्तावित उपांतरण

सरल क्रमांक (1)	ग्राम (2)	स्थल (3)	प्रस्तावित विकास योजना में उपयोग (4)	प्रस्तावित भूमि उपयोग (5)
1	रायपुर	होशंगाबाद से पिपरिया मार्ग के उत्तर की ओर वर्तमान निर्मित नहर से वर्तमान निर्मित बायपास मार्ग क्रमांक 1 तक।	आमोद-प्रमोद के अंतर्गत हरित क्षेत्र, यातायात नगर एवं मार्ग।	सम्मुख मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के दो-गुना गहराई तक मिश्रित उपयोग शेष उपयोग एवं मार्ग यथावत। सम्मुख मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के दो-गुना गहराई तक मिश्रित उपयोग, कृषि एवं मार्ग।
2	रायपुर	प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़े बायपास मार्ग क्रमांक-2 के पूर्व एवं उत्तर दिशा की ओर पिपरिया मार्ग तक।	आमोद-प्रमोद के अंतर्गत यातायात नगर एवं मार्ग।	प्रस्तावित आवासीय।
3	फेफरताल	ग्राम फेफरताल के खसरा क्रमांक 456 लगकर उत्तर में: प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक पश्चिम में: प्रस्तावित वाणिज्यिक तथा दक्षिण एवं पूर्व में: प्रस्तावित 24.00 मीटर मार्ग के मध्य में स्थित भूमि आमोद-प्रमोद के अंतर्गत हरित क्षेत्र।	आमोद-प्रमोद के अंतर्गत हरित क्षेत्र।	

#### II. होशंगाबाद विकास योजना 2035 (प्रारूप) पुस्तिका में उपांतरण संबंधी प्रस्ताव

1. अध्याय-3 की सारणी 3-सा-2 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के सरल क्रमांक 34 के पश्चात निम्नानुसार नवीन क्रमांक 35 अतः स्थापित किया जाना प्रस्तावित:—

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
35	निर्मल होम्स से आदमगढ़ अंडर पास तक	8.00	12.00

## 2. अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035

अध्याय 4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की सारणी क्रमांक 4-सा-1 प्रस्तावित भूमि उपयोग, 2035 के स्थान पर निमानुसार सारणी प्रतिस्थापित की जाना प्रस्तावित है।

सारणी 4-सा-1 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

क्र (1)	भूमि उपयोग वर्गीकरण (2)	प्रस्तावित क्षेत्र 2031 (हेक्टेयर में) (3)	विकसित क्षेत्र 2019 (हे. में)			उच्चावचन/ निमावन (+)/(−) (7)	प्रस्तावित क्षेत्र 2035 (हेक्टेयर में)		
			क्षेत्रफल	प्रतिशत	उपयोगिता दर (6)		क्षेत्रफल	प्रतिशत	उपयोगिता दर (10)
1	आवासीय	1973.62	685.81	41.76	4.03	1287.81	2003.04	48.03	8.01
2	मिश्रित	-	36.58	2.23	0.22	-	142.50	3.42	0.57
3	वाणिज्यिक	148.09	27.21	1.66	0.16	128.88	148.09	3.55	0.59
4	औद्योगिक	162.70	120.49	7.34	0.71	42.21	165.52	3.97	0.66
5	सार्वजनिक एवं अद्वा सार्वजनिक	286.31	230.69	14.05	1.36	55.62	298.89	7.17	1.20
6	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा-सुविधाएँ.	14.36	9.72	0.59	0.06	4.64	22.55	0.54	0.09
7	आमोद-प्रमोद	706.67	214.18	13.04	1.26	492.49	854.58	20.49	3.42
8	यातायात एवं परिवहन	419.09	317.45	19.33	1.87	101.64	535.09	12.83	2.14
	योग . .	3710.84	1642.40	100.00	9.66	-	4170.26	100.00	16.68

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.1 की पहली पंक्ति में 1983.39 के स्थान पर 2003.04 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.1 की तीसरी पंक्ति में 47.40 के स्थान पर 48.03 एवं 7.93 के स्थान पर 8.012 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.2 की तीसरी पंक्ति में 36.63 के स्थान पर 36.58 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.2 की पांचवीं पंक्ति में 134.10 के स्थान पर 142.50 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.2 की छठवीं पंक्ति में 3.20 के स्थान पर 3.42 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.3 की पहली पंक्ति में 26.98 के स्थान पर 27.21 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.4 की पांचवीं पंक्ति में 3.96 के स्थान पर 3.97 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.5 की चौथी पंक्ति में 7.14 के स्थान पर 7.17 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.7 की तीसरी पंक्ति में 879.00 के स्थान पर 854.58 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.7 की सातवीं पंक्ति में 879.00 के स्थान पर 854.58 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.7 की आठवीं पंक्ति में 21.02 के स्थान पर 20.49 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

3. अध्याय-5 विकास नियमन की कंडिका 5.22 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियाँ की सारणी के नोट क्रमांक 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना एवं तत्पश्चात बिन्दु 6 अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:—

6. कृषि भूमि उपयोग में विकसित राजस्व ग्रामीण आबादी से 250 मीटर परिधि में ग्रामीण-विकास संबंधी गतिविधि, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा सुविधायें, साप्ताहिक बाजार, खाद, संग्रहण केन्द्र, शासकीय अर्द्ध शासकीय/पंजीकृत संस्था द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थान, गौशाला स्वयं के उपयोग हेतु आवास स्वीकार्य होंगे।
7. यातायात नगर/मैकनिक नगर/लाजिस्टिक हब, बस स्थानक:—इस उपयोग हेतु आवश्यकता अनुसार कृषि भूमि के अंतर्गत स्थल का चयन किया जा सकेगा, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी, ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशाप, स्पेयर पार्ट्स एवं सुधार दुकान, रात्रि विश्राम गृह, बोर्डिंग/लॉजिंग, बैंक, बैंक एटीएम, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट बुकिंग आफिस, लॉजिस्टिक गतिविधियाँ, वेयर हाऊस एवं अनुशासिक गतिविधियाँ।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। ऐसी आपत्तियाँ/सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

### सूचना

क्र. एफ-3-104-2021-अठारह-5.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, द्वारा प्रस्तुत ग्रामियर-मुरैना विशेष क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2035 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरण का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाइट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण भी किया जा सकेगा:—

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक ए 227, वी. बी. 2 द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना
3. कलेक्टर, जिला मुरैना
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, मुरैना
5. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भिण्ड।

### उपांतरण का विवरण

क्रमांक	तहसील एवं जिला	गांव का नाम एवं सर्वे क्रमांक (2)	प्रारूप योजना 2035 प्रस्तावित भूमि उपयोग (3)	धारा 19 (2) में प्रस्तावित उपांतरण के पश्चात भूमि उपयोग (4)	(5)
1	मुरैना	ग्राम छोंदा के सर्वे क्रमांक— 795, 796, 797, 798, 799, 800, 810, 811, 812, 815, 816, 817, 818, 819, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 854, 861, 862, 816/1268, 860/2  ग्राम भौन्डेरी के सर्वे क्रमांक— 438, 439, 454, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 496, 497, 498, 499.	मेला मैदान के लिये प्रस्तावित हरित क्षेत्र.	बायपास से 120 मीटर तक मिश्रित उपयोग तथा शेष भाग प्रस्तावित आवासीय उपयोग.	

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। ऐसी आपत्तियाँ/सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण राठी, उपसचिव।

## संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-11-13-2021-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2. अतएव मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1964 की धारा 3 एवं 16 द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र	स्मारक का का नाम	राजस्व का नाम	क्षेत्रफल क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	(हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
म. प्र.	अशोक नगर	मुंगावली	मुंगावली	मल्हारगढ़ किला	ग्राम मल्हारगढ़ मुंगावली, जिला मल्हारगढ़	1863.240 1872.769 1831.568 1840.021 1850.010		शासकीय	नहीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वंदना पाण्डेय, अवर सचिव।

## विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम

खण्ड-2 चतुर्थ तल, पर्यावास भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2022

क्र. 438-मविविनि-स्था.-2022.—मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 8-1/2021/पचास-1, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 के तारतम्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आज दिनांक 3 जनवरी 2022 को मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

अमिता चपरा, अध्यक्ष।

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सीधी, दिनांक 6 दिसम्बर 2021

**क्र. 650-भू-अर्जन-2021.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण :—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—बड़खरा 740
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—बड़खरा
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.188 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	636/1/1	0.188	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु।
2	636/1/2			
निजी भूमि का योग . .		0.188		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

**क्र. 652-भू-अर्जन-2021.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुरनैकिन
- (ग) ग्राम—झलवार
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—झलवार
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.231 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	195	0.015	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	211	0.001		
3	218	0.004		
4	300/1/1	0.096		
5	300/2	0.004		
6	300/3	0.004		
7	300/4	0.004		
8	300/5	0.004		
9	300/6	0.004		
10	300/7	0.004		
11	300/8	0.004		
12	300/9	0.004		
13	300/10	0.004		
14	300/11	0.004		
15	300/12	0.004		
16	300/13	0.004		
17	300/14	0.004		
18	300/15	0.004		
19	300/16	0.004		
20	300/17	0.004		
21	313	0.017		
22	321	0.002		
23	454	0.006		
24	527/1	0.006		
25	637	0.02		
निजी भूमि का योग . .			0.231	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 654-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुरनैकिन
- (ग) ग्राम—पड़खुरी पवाई
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—पड़खुरी नम्बर 02
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.061 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1285/1		उपमुख्य अभियंता (निर्माण),	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
2	1285/2	0.001	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	निर्माण हेतु.
3	1292/1	0.001		
4	1293/1	0.012		
5	1293/2	0.006		
6	1313/1	0.007		
7	1313/2			
8	1317/2	0.009		
9	1364	0.001		
10	1409/2	0.002		
11	1414/1	0.02		
12	1414/2/2			
13	1417/1	0.001		
14	1453	0.001		

निजी भूमि का योग . . . 0.061

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 656-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—भेलकी पवाई 821
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—भेलकी
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.582 हेक्टेयर।

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
---------	------------	--	---------------------------------------	----------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	19	0.015	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु।
2	20	0.056		
3	21	0.05		
4	23	0.003		
5	25	0.002		
6	26	0.13		
7	27	0.02		
8	28	0.052		
9	29/1/1			
10	29/1/2			
11	29/1/3			
12	29/1/4			
13	29/1/5	0.014		
14	29/1/6			
15	29/1/7			
16	29/1/8			
17	29/1/9			
18	29/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	30	0.096	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
20	32	0.042	पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
21	33	0.012		
निजी भूमि का योग . .				0.582

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 658-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुरनैकिन
- (ग) ग्राम—गोड़हाटोला
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—बघवार
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.252 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	137/1	0.252	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु।

निजी भूमि का योग . .

0.252

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुर्रहमान खान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 15 दिसम्बर 2021

**क्र. 306-भू-अर्जन-प्रकाशन.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम की अधिकांश भूमि का अर्जन इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	अमझोरी कोलहाई	28.211	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोद.	बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है।

**प्र. क्र. 308-प्रशा.-भू-अर्जन-2021.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	भदावल	0.500	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बुस्टर एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प्र. क्र. 310-प्रशा.-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची में खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	नईगढ़ी	जोरोट	0.500	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बुस्टर एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).	

प्र. क्र. 312-प्रशा.-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची में खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	मनगवां	पहुआ	0.500	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	पी. एच. 2 पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं समुचित सरकार, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 21 दिसम्बर 2021

[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

क्र. 6737-भू-अर्जन-2021-22.—जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ “मण्डलावदा रोकबांध सह पुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण” के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम कुमारिया तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.505 हैक्टेयर भूमि

अपेक्षित है, अर्थात् इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.505 हैक्टेयर भूमि है, जो ग्राम कुमारिया तहसील देवास में है जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:—

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे. में.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं उ. द. पू. प.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	525	निजी भूमि	सिंचित	0.021	कुंताबाई वि. उमरावसिंह जाति खाती	
2.	533/1	निजी भूमि	सिंचित	0.011	कमल पिता घनश्याम नि. डकाच्या	
3.	533/2	निजी भूमि	सिंचित	0.002	राहुल पिता घनश्याम नि. डकाच्या	
4.	534	निजी भूमि	सिंचित	0.012	मनीष पिता संतोष, गोपाल, भारत, पिता राधेश्याम जाति खाती नि. ग्राम कुमारिया	
5.	535/1/1	निजी भूमि	सिंचित	0.003	राधेश्याम पिता नारायण जाति खाती नि. कुमारिया	
6.	535/1/2	निजी भूमि	सिंचित	0.002	मदनलाल पिता नारायण जाति खाती नि. कुमारिया	
7.	535/1/3	निजी भूमि	सिंचित	0.002	घनश्याम पिता नारायण जाति खाती नि. कुमारिया	
8.	535/1/4	निजी भूमि	सिंचित	0.003	रामगोपाल, भारत, कलाबाई पिता राधेश्याम, शांताबाई विधवा राधेश्याम जाति खाती.	
9.	548/1	निजी भूमि	सिंचित	0.011	कमल पिता घनश्याम जाति खाती नि. कुमारिया	
10.	548/2	निजी भूमि	सिंचित	0.012	चतुर्भुज पिता हजारीलाल जाति खाती नि. कुमारिया	
11.	548/3	निजी भूमि	सिंचित	0.013	मानसिंह पिता हजारीलाल जाति खाती नि. कुमारिया	
12.	549	निजी भूमि	सिंचित	0.020	घनश्याम, अर्जुन पिता बाबूलाल, सोदरबाई विधवा बाबूलाल, जाति खाती नि. कुमारिया.	
13.	550	निजी भूमि	सिंचित	0.021	सुभाष, मोहनलाल पिता मोतीराम, आनंदीबाई विधवा मोतीराम, जाति खाती नि. कुमारिया.	
14.	554/1	निजी भूमि	सिंचित	0.030	नीरज पिता विक्रम जाति खाती नि. डकाच्या	
15.	554/2	निजी भूमि	सिंचित	0.010	नेहा पटेल पिता विक्रम पटेल जाति खाती	
		कुल योग		0.173		

किस्म निरंक	वृक्ष संख्या निरंक	प्रकार	संरचना कुर्सी एरिया
—	—	—	—

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या 15 है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:—

ग्राम कुमारिया तहसील देवास जिला देवास क्षेत्र 0.173 (हेक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार।

**कार्यालय, कलेक्टर, एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

खण्डवा, दिनांक 27 सितम्बर 2021

भू-अर्जन प्र. क्र. 15-अ-82-20-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनयम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—खण्डवा
- (ख) तहसील—पुनासा
- (ग) ग्राम—बंजारी
- (घ) अर्जित रकबा—0.30 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हैक्टर में)
(1)	(2)
70/2	0.30
योग . .	<u>0.30</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जल स्तर से ग्राम बंजारी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी कृषि भूमि ढूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्य द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## कार्यालय कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र—क्यू—20—21—भू—अर्जन—2021

विदिशा दिनांक 09 दिसम्बर 2021

अंतर्गत धारा—19 भू—अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील—गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम खरथरी के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा—19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम— खरथरी

तहसील—गंजबासौदा

जिला—विदिशा

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.मे)	कुल अंकित रकवा (हे.मे)
1	2	3	4	5
1	पूरन पुत्र नाथूलाल जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी अहसतातंरणीय भू—राजस्व 5.00	56/2	1.073	0.450
2	भूपतसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नैशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है। भू—राजस्व 7.44	57	1.464	0.100
3	कमलाबाईउर्मिलाबाईपुत्रियांगुलाबसिंह शीलाबाई बेवा गुलाबसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नैशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है। भू—राजस्व 7.44	58	1.464	0.290
4	भूपतसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नैशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है। भू—राजस्व 0.75	59/1	0.529	0.030
5	भूपतसिंहअजयसिंहविजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 3000 / 4000 भाग भूमि स्वामी मुकेशसिंहभगतसिंहपुत्रगणगुमानसिंह शीलाबाई बेवा गुमानसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1000 / 4000 भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व 1.75	59/2	1.000	0.090
6	तोरनसिंहरघुनाथसिंहराजेन्द्रसिंहवीरेन्द्रसिंह पुत्रगणइमरतसिंहकृष्णबाई पुत्री इमरतसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नैशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है भू—राजस्व 20.77	60/1	3.185	0.530
7	मुकेशसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नैशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है भू—राजस्व 4.50	61/1/1	0.591	0.050
8	भगतसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति रघुवंशी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व 4.50	61/1/2	0.591	0.050

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम 2	सर्वे नंबर 3	भूमि का कुल रकवा (हे.मे) 4	कुल अर्जित रकवा (हे.मे) 5
9	भूपतसिंहअजयसिंहविजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 3000 / 4000 भाग भूमि स्वामी मुकेशसिंहभगतसिंहपुत्रगणगुमानसिंह शीलाबाई बेवा गुमानसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1000 / 4000 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.55	61/2	1.000	0.110
10	अजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.10	61/3	1.994	0.135
11	भूपतसिंहअजयसिंहविजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 3000 / 4000 भाग भूमि स्वामी मुकेशसिंहभगतसिंहपुत्रगणगुमानसिंह शीलाबाई बेवा गुमानसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1000 / 4000 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 59 / 2	61/4	1.000	0.060
12	शिवराजसिंह पुत्र विजयसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.28	61/5	0.103	0.005
13	रूपसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अअअयह खाता पंजाब नैशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है भू-राजस्व 0.50	95/3	0.042	0.042
14	पहलादसिंहदेवेन्द्रपुत्रनवलसिंहसंदीपपुत्रइश्वरसिंह सचिनसिंह पुत्र कैलाशसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 23.00	97/1	0.273	0.130
15	भानुप्रतापसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुकता 19.00	97/2	4.065	1.000
16	भानुप्रतापसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 97 / 2	98	5.258	0.300
17	सुदामाबाई पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.51	166/1	0.154	0.010
18	बबलू पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.51	166/2	0.155	0.030
19	मथरा प्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंज में बंधक है भू-राजस्व 0.51	166/3	0.154	0.010
20	द्वारकाप्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.51	166/4	0.154	0.025
21	सुदामाबाई पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.04	178/1	0.126	0.090
22	मोहनलाल पुत्र गनेशराम जाति रैकवार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.08	179/1/1	0.327	0.040

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम 2	सर्वे नंबर 3	भूमि का कुल रकवा (हे.मे) 4	कुल अर्जित रकवा (हे.मे) 5
23	गीताबाई पल्ली चिरोंजीलाल जाति रेकवार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.62	179/3	0.491	0.020
24	बद्रीप्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00	212/1/1	0.865	0.120
25	नीलेश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00	212/1/2	0.865	0.090
26	संजीव पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00	212/2/1	1.000	0.130
27	बबलू पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.00	212/2/2	0.213	0.020
28	मथराप्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंज में बंधक है	212/3	1.750	0.530
29	दवारकाप्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	212/4	1.212	0.170
30	प्रकाश पुत्र लालाराम जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राशा. 189/ 1	211/2/4	0.545	0.030
31	प्रह्लादसिंहपुत्रबाबूलालगिरजाबाई बेवा बाबूलाल जाति रघुवंशी पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	214/2	0.460	0.040
32	लालाराम पुत्र लुख्खु जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंजबासौदा में बंधक है भू-राजस्व 2.90	216	1.453	0.260
33	रईसखों पुत्र कालेखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	217/1	0.724	0.250
34	रईसखों पुत्र कालेखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राशा 217/ 1	217/2	0.724	0.310
35	श्रीमतीसुनीता पल्ली विजय जाति अरोरा पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	217/3	0.724	0.440
36	श्रीमतीसुनीता पल्ली विजय जाति अरोरा पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	217/4	0.724	0.700
37	आसिफखाशाहरुखखाफारुखखाअजहरखा पुत्र आजादखा जाति मुस्लिम पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.50	206/1/1	1.913	0.600
38	श्रीमतीसुनीता पल्ली विजय जाति अरोरा पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.50	206/1/2	1.914	0.670

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.मे.)	कुल अंजित रकवा (हे.मे)
1	2	3	4	5
39	ममतामनीषावारानीनावापुत्रीयाखुशालसिंहसरपरस्त मा कृष्णावाईवेवाखुशालसिंहदेवेन्द्ररनजीतसुरजीत पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा.शा 82	206/2	1.035	0.100
40	कमलसिंह पुत्र भमरलाल जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा.शा. 82 / 2	205/2	1.192	0.130
41	ममतामनीषावारानीनावापुत्रीयाखुशालसिंहसरपरस्त मा कृष्णावाईवेवाखुशालसिंहदेवेन्द्ररनजीतसुरजीत पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा.शा 82 / 1	204/1	0.690	0.280
42	कमलसिंह पुत्र भमरलाल जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा.शा 82 / 2	204/2	1.683	0.150
43	बावूलाल पुत्र भमरलाल जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व 4.44	203	2.456	0.010
44	देवीसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता बैंक ऑफ इंडिया शाखा बासौदा में बंधक है भू—राजस्व 8.21	198/1	2.902	0.260
45	कल्लूउर्फकन्हैयालाल पुत्र बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व 0.59	218/1	0.048	0.048
46	लल्लू पुत्र बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व 0.59	218/2	0.049	0.049
47	राजाराम पुत्र अजबसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व 0.58	218/3	0.049	0.049
48	अजबसिंह नाबा पुत्र बलवंतसिंहसरपरस्तभाईकल्लू जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व 0.58	218/4	0.049	0.049
49	गुलाबबाई बेवा बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व 0.58	218/5	0.049	0.049
50	राजबाई बेवा बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व 0.58	218/6	0.049	0.049
51	केशवसिंह पुत्र विजयसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू. रा.शा 43	62/1/2/1	1.019	0.080
52	शिवराजसिंह पुत्र विजयसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू. रा.शा 38	62/1/2/2	0.917	0.010
53	सुदामाबाई पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा.शा 0.63	167/1	0.245	0.010
	योग		52.711	9.280

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील-कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम पीकलोन के लिए बैराज ढब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

### अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-पीकलोन

जिला - विदिशा

#### तहसील-कुरवाई

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.मे)	
			भूमि का कुल रकवा (हे.मे)	कुल अंजित रकवा (हे.मे)
1	2	3	4	5
1	मेहराजखां पुत्र तुरावखां पता नि.ग्राम वीलाडाना 0.511 / 5.457 भाग भूमि स्वामी शाकिरखां पुत्र सरदारखांभाग 0.316 / 5.457 नि. ग्राम बकवारा रहीसउददीन पुत्र नूरमोहम्मद भूमि स्वामी दभाग 0.317 / 5.457 नि. ग्राम देवली जाकिरखां नावा पुत्र वशीरखां भूमि स्वामी सरफराजखां नावा. पुत्र साविरखां सर.वशीरखां पुत्र सरदारखां पता नि.ग्राम बकवारा भूमि स्वामी सलामउददीन, निजामुददीनपुत्र नूरमोहम्मद भाग 3.801 / 5.457 समान पता नि.ग्राम देवली भूमि स्वामी नूर मोहम्मद पुत्र मोती खां 0.512 / 5.457 जाति मुसलमान नि. ग्राम भूमि स्वामी	1413/2/1	5.457	4.105
2	शरीफखां पुत्र चुन्नुखां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम गुदावल कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू. राजस्व 30.00	1423/1	5.743	4.343
3	वित्तरसिंह पुत्र सोमतसिंह भाग 0.108 / 0.839 इस्लामउद्दीन पुत्र नूरउद्दीन भाग 0.558 / 0.839 गोपीबाई बेवा सोमतसिंह 0.146 / 0.839 भाग भूमि स्वामी कृष्णबाई भाग 0.027 / 0.839 पुत्रियां सोमतसिंह जाति दांगी नि. ग्राम भूमिस्वामी	1423/2/3	0.839	0.839
4	रामवतीबाई रामबाई 146 / 3470 पुत्रिया सोमतसिंह भूमि स्वामी श्रीबाई पत्नि सोमतसिंहभाग 244 / 3470 महाराजसिंह पुत्र बुदसिंह भाग 0244 / 3470 भूमि स्वामी जयसिंह पुत्र नत्थूसिंहभाग 0136 / 3470 ओमकारसिंह पुत्र नत्थूसिंह भाग 136 / 3470 भूमि स्वामी सीताराम पुत्र उधमसिंह भाग 136 / 3470 जाति दांगी भूमि स्वामी नारायणसिंह पुत्र सरदारसिंह भाग 136 / 3470 भीकमसिंह पुत्र दलीपसिंहभाग 136 / 3470 भूमि स्वामी धासीराम पुत्र गोरेलाल भाग 136 / 3470 रामबाई बेवा हल्कूसिंह सुशीलाबाई पुत्री हल्कूसिंह 406 / 3470 संभाग भूमि स्वामी राजरानीबाई बेवा नत्थूसिंह कुन्दनलाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद कालूराम पुत्र चिरोंजीलाल जगन्नाथ पुत्र गुलाबचंद जाति कायस्थ पता नि. ग्राम भाग 406 / 3470 अतिरिक्त पुत्र रकवा पता पीकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी भाग 1208 / 3470	1423/2/2	1.035	0.209
5	मुस्ताक खां असफाक खां जाविद खां पुत्रगण तुराव खां जाति मुसलमान नि. वीलाडाना(पाही)	1423/2/1	2.216	1.973

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर ।	भूमि का कुल रकवा (हे.मे.)	कुल अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
6	सलीमउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी निजामुद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1420/1/1/2	1421/1/1/1	0.154	0.154
7	मिंदूसिंह पुत्र खिलानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	1421/1/2/1	0.390	0.390
8	रहीसउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता देवली पाही कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	1421/1/2/2	0.391	0.391
9	आशाबाई पति जितेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व भमि स्वामी 5.00	1421/2	1.082	1.082
10	सुरेन्द्रसिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व वीरेन्द्रसिंह	1420/1/1/1	0.927	0.860
11	सलीमउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी निजामुद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 4.00	1420/1/1/2	0.773	0.260
12	मिंदूसिंह पुत्र खिलानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 15.75	1420/1/2/1	0.538	0.458
13	रहीसउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता देवली पाही कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 15.75	1420/1/2/2	0.534	0.534
14	प्रेमबाई पति रंजीतसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 8.00	1420/2	0.772	0.652
15	झानबाई पति शिवराजसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 246	1418/1	1.25	0.120
16	अमरसिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 380	1418/2	0.174	0.064
17	रामसिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 294/1	1418/3	4.000	0.260
18	अभिषेक पुत्र अजयसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 5.90	1418/4/1	1.990	0.680
19	विमलाबाई पत्नी अजयसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 5.90	1418/4/2	1.990	0.750
20	अजयसिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	1418/4/3	0.420	0.080
21	अमरसिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 280	1414	3.836	2.130
22	रामकुरवाई पुत्री नारायण सिंह जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.80	1417/5/2	1.135	0.320

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.मे)	कुल अर्जित रकवा (हे.मे)
1	2	3	4	5
23	अजबसिंह पुत्र बाबूलाल जाति नाई पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1417/2/1	1417/6/1	0.261	0.220
24	राजराम पुत्र बाबूलाल जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1404/2	1417/6/2	0.260	0.180
25	काशीराम पुत्र बाबूलाल जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गोपाल पुत्र बाबूलाल जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी नबोबाई पुत्री बाबूलाल पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी फूलाबाई पुत्री बाबूलाल जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1404/3	1417/6/3	0.260	0.030
26	नारायण सिंह पुत्र प्यारेलाल भाग 1.841 बब्लू नावा.पुत्र नारायण भाग 0.470 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हरप्रसाद लीलाबाई पूनाबाई पावर्तीबाई पुत्र पुत्रियां कालूराम भाग 0.110 समान भाग प्रहलाद नावा पुत्र कालूराम बेनीबाई बेवा कालूराम भाग 0.265 समान भाग जाति बीढ़र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी खिलानसिंह पुत्र दौला भाग 0.512 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बालकिशन पुत्र खुमान भाग 1.359 जाति साहू पर्वतसिंह पुत्र भैयालाल भाग 0.331 जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 597/3	1374	0.042	0.042
27	नारायण सिंह पुत्र प्यारा भाग 1.841 बब्लू नावा.पुत्र नारायण भाग 0.470 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हरप्रसाद लीलाबाई पूनाबाई पावर्तीबाई पुत्र पुत्रियां कालूराम भाग 0.110 समान भाग प्रहलाद नावा पुत्र कालूराम बेनीबाई बेवा कालूराम भाग 0.265 समान भाग जाति बीढ़र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी खिलानसिंह पुत्र दौला भाग 0.512 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बालकिशन पुत्र खुमान भाग 1.359 जाति साहू पर्वतसिंह पुत्र भैयालाल भाग 0.331 जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 597/3	1375	0.031	0.031
28	अनिलदेव पुत्र श्रीधररावदेव जाति ब्रह्मण पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.05	1377/1	0.899	0.830
29	साधनादेव पत्नी अनिलदेव जाति ब्रह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.95	1377/2	1.158	0.460
30	विकमसिंह पुत्र श्रीराम उर्फ मुन्ना सिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूराजस्व 5.70	1377/6	1.672	0.150
31	साधनादेव पति अनिलकुमारदेव जाति ब्रह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.70	1377/8	0.209	0.050
32	नारायण पुत्र प्यारा भाग 1.841 बब्लू नावा.पुत्र नारायण भाग 0.470 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हरप्रसाद लीलाबाई पूनाबाई पावर्तीबाई पुत्र पुत्रियां कालूराम भाग 0.110 समान भाग प्रहलाद नावा. पुत्र कालूराम बेनीबाई बेवा कालूराम भाग 0.265 समान भाग जाति बीढ़र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी खिलानसिंह पुत्र दौला भाग 0.512 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बालकिशन पुत्र खुमान भाग 1.359 जाति साहू पर्वतसिंह पुत्र भैयालाल भाग 0.331 जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 597/3	1377/9	4.146	0.060
योग			<b>44.584</b>	<b>22.707</b>

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वर्वस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्वर्वस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्ववासन और पुनर्वर्वस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील-कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम सिरनोटा के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

कोटा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-सिरनोटा

जिला - विदिशा

तहसील-कुरवाई

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.मे.)	कुल अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	देवल पत्नी गौतम शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 28.76	3/1/1	5.610	0.700
2	श्रष्टी पुत्री गौतम शर्मा जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 28.75	3/1/2	5.609	0.770
3	इंद्रादेवी पत्नी केदारनाथ जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.21	3/1/3	0.627	0.030
4	मनु पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 13.72	3/2/1	2.882	0.240
5	विधु पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 12.72	3/2/2	2.883	0.500
6	साधनावाई बेवा सुरेन्द्रकुमार जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.00	3/2/3, 3/3	0.835	0.165
7	गुलशेरखां पुत्र बाजखां जाति मुसलमान पता नि.ग्रा उमरछा 0.051 / 0.460 भाग भूमि स्वामी ईशाक खाँ अशफाक खाँ अस्ताक खाँ, शहीद खाँ, सारीर खाँ, पुत्रगण छोटे खाँ, भूमि स्वामी ईशाक खाँ, अस्फाक खाँ, अस्ताक खाँ शहीद खाँ, सारीर खाँ, पुत्रगण छोटे खाँ, जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी हलीमनबी बेवा छोटे खाँ, जाति मुसलमान, पता नि.ग्रा. उमरछा 0.052 / 0.460 भाग भूमिस्वामी मिस्तर खाँ, अजीज खाँ वकील खाँ, पुत्रगण सरदार खाँ जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा भूमि स्वामी मिस्तर खाँ, अजीज खाँ वकील खाँ, पुत्रगण सरदार खाँ जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा आमनाबी बेबा सरदार खाँ जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा 0.051 / 0.460 भाग भूमि स्वामी सियानीबाई पत्नी कमरुददीन जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा 0.154 / 0.460 भाग भूमि स्वामी मोती बाई पत्नी जाफरअली जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा 0.153 / 0.460 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.75	16/248	0.460	0.190

क्र.	नाम कृषक / पिता का नाम / जाति / ग्राम 2	सर्वे नंबर 3	भूमि का कुल रकवा (हे.मे.) 4	कुल अर्जित रकवा (हे.मे.) 5
8	हरकिशोर पुत्र ईश्वरी प्रसाद जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व 47.12	20/1	9.437	3.100
9	कस्तुरीबाई पुत्री ईश्वरी प्रसाद जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व 42.05	20/2	2.926	0.040
10	सुनीताबाई पुत्री कृष्णस्वरूप जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व शामिल बिलमुक्ता 24.00	98/1	2.038	0.060
11	अक्षय कुमार पुत्र रमेशकुमार जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व 5.62	98/3	0.836	0.200
12	घूमनसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति दांगी पता नि. ग्राम सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू—राजस्व 0.10	97/1	0.063	0.010
13	बलराम शेरसिंह पुत्रगण इमरत सिंह विरोजीबाई वेबा प्यारेलाल घुमनसिंह पुत्र प्यारेलाल मुन्नीबाई बसंती बाई लक्ष्मीबाई पुत्रिया प्यारेलाल भाग 2.734 / 3.125 देवेन्द्र गजेन्द्र पुत्र भारत सिंह भाग 0.391 / 3.125 समान भाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू—राजस्व 0.65	97/2	0.554	0.225
14	हुकुमसिंह उर्फ रविशंकर पुत्र चरणसिंह नि. ग्राम दांगी भूमि स्वामी भू—राजस्व 0.75	97/3	0.616	0.015
15	कल्ला पुत्र नथुबा जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 3.95	115	0.502	0.030
16	कल्ला पुत्र नथू जाति चमार पता नि. ग्राम विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00	116/1/1	0.200	0.020
17	गंगाबाई वेबा कल्ला राधे हुकम रत्नबाई पुत्र पुत्री कल्ला पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भाग 1796 / 2693 सुलेमान पुत्र मेहबूब खान जाति मुसलमान भाग 897 / 2693 पता उमरछा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	126/1 , 160/1	1.766	0.930
18	अमर सिंह पुत्र माधोसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी मलखान सिंह पुत्र माधोसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजबाई वेबा माधोसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	126/2, 160/2	1.672	0.050
19	कन्छेदी पुत्र दगला जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.36	167/1	0.097	0.020
20	मीराबाई वेबा फूला जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.70	167/2	0.233	0.023
21	धनीराम पुत्र मुल्ला जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भूमि स्वामी भू.रा.शा. 113/2/2	167/3	0.057	0.057

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम 2	सर्वे नंबर 3	भूमि का कुल रकवा (हे.मे.) 4	कुल आजत रकवा (हे.मे.) 5
22	ज्योति शर्मा वेबा संजीव शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी संस्कार शर्मा पुत्र संजीव शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग अंकिता शर्मा पुत्री संजीव शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	22	0.387	0.120
23	ज्योति शर्मा वेबा संजीव शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी संस्कार शर्मा पुत्र संजीव शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग अंकिता शर्मा पुत्री संजीव शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	24	0.888	0.300
24	ब्रजेन्द्र कुमार देवेन्द्र संजीव गोतम व इंद्रादेवी उर्मिला देवी सरोजबाई पम्मीबाई उर्फ मधुलिका बाई पुत्र पुत्रीगण रामस्वरूप उमा बाई वेबा रामस्वरूप भाग 9/10 समान कंता शर्मा वेबा राजेन्द्र कुमार शर्मा तृष्णि श्रद्धा मोनिका पुत्रियां राजेन्द्र कुमार शर्मा भाग 1/10 समान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 7.62	25	1.254	0.265
25	साधना बाई वेबा सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 10.62	14/1/1	2.048	0.492
26	देवेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 8.63	14/1/2	1.777	0.460
27	रामकलीबाई पत्नी उमाशंकर जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.00	15/1	0.872	0.245
28	रामकलीबाई पत्नी उमाशंकर जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 4.92	15/2	0.852	0.555
29	विकाश कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 15.00	6/1	2.372	0.230
30	युवराज नाबा, पुत्र गोरख इंद्रा शर्मा वेबा गोरख सर.मा. स्वयं जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू, राजस्व 15.50	6/2	2.300	0.090
	योग		52.653	10.132

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्ववासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

उमाशंकर भागव,  
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
**रायसेन दिनांक 15 दिसम्बर 2021**

प्रकरण क्रमांक /0003/ अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्षित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुर्ववासन और पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

(1) भूमि का विवरण ।

(क) जिला रायसेन ।

(ख) तहसील / तालुका गैरतगंज ।

(ग) ग्राम हरदौट

- अनुसूची :-

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रक्का हेक्टेयर में	अर्जित रक्का हेक्टेयर में	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	गैरतगंज	हरदौट	284/1/1	0.219	0.049	परियाजनन पश्चराम बंतगा परियाजनन कियान्वयन इकाई (श्रीपोत्राइप्प-2) क्रमांक-2 गहतगढ़, जिला सागर (नप्र)	रीना सिवाई पांड्याचना क अनगत महिला बांध सं दूष प्रभावित हटू
			284/2	0.438			
			284/2/1	0.218			
			285	0.543			
			286	0.462			
			287	0.676			
			288	0.704			
			289	0.589			
			310	2.432			
			319	0.344			
			333/1,337/2, 342,344,345,346	3.230	0.041		
			333/2	2.023			
			333/3, 337/1	2.023			
			334	0.991			
			799/1/1	0.016			
			799/1/2	0.525			
			799/1/3	0.527			
			799/2	1.064			
			798/1/1	1.489			
			798/1/2	0.485			
			798/1/3	0.821			

जिला	तहलील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा - 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राप्ति कृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
			808 / 1	0.088	0.088		
			808 / 2	0.058	0.058		
			825 / 1 / 1 / 1	0.231	0.032		
			825 / 1 / 1 / 2	0.101			
			825 / 1 / 2 / 1	0.170			
			825 / 1 / 2 / 2	0.101			
			825 / 2 / 1	0.101			
			825 / 2 / 2	0.101			
			826 / 1 / 1	0.239			
			826 / 1 / 1 / 2	0.202	0.032		
			826 / 2				
			826 / 1 / 2	0.477			
			826 / 2	0.239			
			828 / 1 / 1	0.531		0.035	
			828 / 1 / 2	0.190		0.034	
			848	0.202		0.032	
			850	1.153		0.121	
			858 / 1	0.413		0.012	
			858 / 2	0.513		0.024	
			859	1.330		0.032	
			946 / 1	0.498	0.041		
			946 / 2	0.437			
			946 / 3	0.437			
			946 / 4	0.579			
			947 / 1	0.271		0.010	
			947 / 2	0.272		0.010	
			957 / 1	0.405		0.032	
			957 / 2	0.784		0.041	
			958 / 1	0.118		0.015	
			958 / 2	0.121		0.017	
			959	1.424		0.024	
			1132 / 1	0.907	0.081		
			1132 / 2	0.906			
			1132 / 3	0.906			
			1133 / 1	0.560	0.024		
			1133 / 2	0.607			
			1134	0.907		0.024	
			1135	0.526		0.012	
			1137 / 1	0.489		0.005	

जिला	तहलील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सावेजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
			1137/2	0.489	0.015		
			1138/1	0.303	0.008		
			1138/2	0.303	0.008		
			1138/4	0.692	0.012		
			1140	0.636	0.012		
			1102/1	0.975	0.065		
			1102/2/2				
			1102/2/1/1	0.081			
			1102/2/1/2	0.405	0.020		
			1101/1	0.845	0.035		
			1101/2	1.995	0.033		
			1103				
			1100	1.449	0.024		
			1099/1/1	0.708			
			1099/1/2	0.182	0.036		
			1099/3	0.874	0.012		
			1153/321/1	1.214			
			1153/321/2	1.214	0.045		
			1154/333	3.885	0.150		
			कुल	53.663	1.836		

नोट - मूलि का नकशा (प्लान) अनुविमागीय अधिकारी कार्यालय गैरन्टगज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 18 / अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

- (1)            - भूमि का विवरण ।  
 (क)            - जिला रायसेन ।  
 (ख)            - तहसील / तालुका बेगमगंज ।  
 (ग)            - ग्राम ककरुआ बरामद गढ़ी

-अनुसूची:-

भूमि का विवरण:-

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	आर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	ककरुआ	2/1	1.983	1.983	कार्यपालन यंत्री बीना परियोग्यना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर	बीना सिचाई परियोग्यना के अंतर्गत मैडिया बॉध से ढूब प्रभावित हेतु
		बरामद	2/2	4.266	4.266		
		गढ़ी	2/3/1	0.060	0.060		
			2/3/2	0.260	0.260		
			3	1.011	1.011		
			4	1.983	1.983		
			5	0.947	0.947		
			6/1	1.202	1.202		
			6/2	0.976	0.976		
			7/1	2.298	2.298		
			7/2	2.298	0.862		
			10	3.415	3.415		
			11	0.251	0.251		
			12/1	3.404	3.404		
			12/2	2.022	2.022		
			13	1.243	1.243		
			14/1/1/1/1	0.420	0.420		
			14/1/1/1/2	0.417	0.417		
			14/1/1/2	0.607	0.607		
			14/1/1/3	0.397	0.397		
			14/1/2	0.611	0.611		
			14/2/1	0.409	0.409		

14/2/2	0.408	0.408
15/1	1.460	1.833
15/2	0.731	
15/3	0.731	
15/4	0.731	
16	4.189	3.339
17/1	1.820	1.820
17/2	1.820	1.820
17/3	0.995	0.995
17/4/1	0.506	0.506
17/4/2	0.506	0.506
18/1/1	1.011	1.011
18/1/2	1.445	1.445
18/2	0.405	0.405
19/1/1/1	0.627	0.627
19/1/1/2	0.809	0.809
19/1/2	0.809	0.809
19/1/3/1/1	0.809	0.809
19/1/3/1/2	0.809	0.809
19/1/3/2/1	0.809	0.809
19/1/3/2/2	0.627	0.627
19/2	0.809	0.809
20/1	0.647	0.647
20/2	0.502	0.502
21/1	0.194	0.194
21/2	0.365	0.365
21/3	0.170	0.170
22/1/1	0.975	0.975
22/1/2	0.892	0.892
22/2	0.586	0.586
23/1	1.040	1.040
23/2/1	0.526	0.526
23/2/2	0.526	0.526
24	0.769	0.769
25	1.448	1.448
26/1	0.809	0.809
26/2	1.476	1.476
26/3/1	0.405	0.405
26/3/2	0.267	0.267
27/1	0.316	0.316

		27/2	0.320	0.320
		28/1	2.023	2.023
		30/1/1	1.214	0.380
		30/1/2	1.942	0.020
		31/1	0.506	0.101
		31/2/1	1.473	0.547
		31/2/2	0.563	0.182
		35/1/2	0.731	0.376
		35/1/3	0.731	0.097
		35/2	1.659	0.235
		36/1	1.615	0.847
		36/2/1	1.055	1.014
		36/2/2	0.280	0.280
		36/2/3	0.280	0.280
		37	0.798	0.798
		38	0.954	0.954
		39/1	0.413	0.413
		39/2	0.036	0.036
		40	1.731	1.731
		शा.न. 41		
		42	0.360	0.360
		43	1.318	1.318
		44/2/1	2.023	2.023
		44/2/2	0.567	0.567
		44/2/3	1.295	1.295
		44/2/4	0.809	0.809
		46	0.575	0.575
		47	1.430	1.430
		48	1.335	1.335
		49	0.490	0.490
		50	0.543	0.543
		51	0.729	0.729
		52	0.918	0.918
		53/1	0.445	0.445
		53/2	0.284	0.284
		54/1	0.607	0.607
		54/2	0.117	0.117
		56/1	0.121	0.121
		56/2	0.405	0.405
		57	0.570	0.570

59/3	0.809	0.795
60	0.093	0.093
61	0.332	0.308
62	0.174	0.057
63	0.138	0.097
64	0.069	0.069
65	0.109	0.077
68	0.332	0.332
69/1/1	1.668	1.668
69/1/2	1.668	1.668
69/1/3	1.668	1.668
70/1/1	0.291	0.291
72 73		
70/1/2	0.242	0.242
72 73		
70/2/1/1	0.174	0.174
72 73		
70/2/1/2	0.149	0.149
72 73		
70/2/2/1	1.169	1.169
शा न 72 73		
70/2/2/2/1	0.627	0.627
72 73		
70/2/2/2/2	0.348	0.348
72 73		
74/1	0.178	0.178
74/2	0.149	0.149
76/1 ,77	0.765	0.765
76/2/1 ,77	0.089	0.089
76/2/2/1,77	0.041	0.041
76/2/2/2,77	0.036	0.036
78/1	1.764	1.764
78/2	1.473	1.473
80/1	0.507	0.507
80/2/1/1	0.809	0.809
80/2/1/2	0.809	0.809
80/2/1/3	0.899	0.899
80/2/1/4	0.809	0.809
80/2/2/1	0.405	0.405
80/2/2/2	0.809	0.809

82	0.486	0.486
83	1.113	1.113
84/1	0.387	0.387
84/2	0.628	0.628
86/1	0.882	0.882
86/2	0.235	0.235
88/1	0.675	0.675
88/2	0.470	0.470
89	1.664	1.664
90/1	0.241	0.241
90/2	1.134	1.134
91/1	0.746	0.746
91/2	1.417	1.417
92/1/1	0.925	0.925
92/1/2	0.141	0.141
92/2/1	0.801	0.801
92/2/2	0.196	0.196
93/1	0.766	0.766
93/2	0.983	0.983
95	0.802	0.802
96	1.825	1.825
97	2.096	2.096
98	1.659	1.659
99/1	1.416	1.416
99/2/1	0.544	0.544
99/2/2	0.876	0.876
101/39	0.559	0.559
103/26/1/1	0.566	0.566
103/26/1/2	0.029	0.029
103/26/2/1	0.518	0.518
103/26/2/2	0.081	0.081
105/64	0.036	0.036
107/69/1	1.668	1.668
107/69/2	0.419	0.419
108/22	0.263	0.263
109/84	0.283	0.283

नोट - भूमि का नक्शा (प्लान) अनुदिवासीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

६ //

प्रकरण क्रमांक / 45 / अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुर्ववासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

(1) — भूमि का विवरण ।

(क) — जिला रायसेन ।

(ख) — तहसील / तालुका बेगमगंज ।

(ग) — ग्राम खजुरिया बरामद गढ़ी

—अनुसूची:-

—भूमि का विवरण:-

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	खजुरिया	6/2	1.647	0.142	कार्यपालन यंत्री बीना परियोग्या जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर	बीना सिचाई परियोग्या के अंतर्गत मंडिया बोध से ढूब प्रभावित होता है।
		बरामद	7	0.174	0.032		
		गढ़ी	9	2.012	0.275		
			20/1	0.660	0.344		
			21	0.125	0.053		
			22/1	0.610	0.610		
			22/2	0.610	0.610		
			22/3	0.610	0.610		
			22/4	0.610	0.610		
			23/1/1	0.291	0.291		
			23/1/2	0.275	0.275		
			23/1/3	0.190	0.190		
			23/2	0.567	0.567		
			24	0.045	0.045		
			25/1	0.162	0.162		
			25/2	0.162	0.162		
			26	0.206	0.206		
			27/1	0.139	0.139		
			27/2	0.130	0.130		
			28/1	0.024	0.024		
			28/2	0.101	0.101		

	29/1	0.809	0.182
	29/2/1	0.154	0.154
	29/2/2	0.975	0.562
	30	3.455	1.214
	31	0.165	0.165
	33	0.045	0.045
	35	0.040	0.040
	36	0.202	0.202
	37/1	0.101	0.101
	37/2	0.069	0.069
	38	0.121	0.121
	39	0.113	0.113
	40/1	0.069	0.069
	40/2	0.069	0.069
	41/1	0.061	0.061
	41/2	0.064	0.064
	42	0.255	0.255
	43	0.206	0.206
	44 शा. न. 45	0.150	0.150
	46	0.065	0.065
	47	0.065	0.065
	48	0.020	0.020
	49	0.138	0.138
	50	0.162	0.162
	51	0.105	0.105
	52	0.170	0.170
	53	0.113	0.113
	54	0.240	0.240
	55	0.113	0.113
	56	0.142	0.142
	57	0.109	0.109
	58	0.166	0.166
	59/1	0.081	0.081
	59/2	0.085	0.085
	60	0.206	0.206
	63	0.069	0.069
	64	0.069	0.069
	66	0.113	0.113
	67	0.121	0.121
	68	0.429	0.429

	69	0.093	0.093
	70/1	0.069	0.069
	70/2	0.162	0.162
	71/1	0.125	0.125
	71/2	0.134	0.134
	72	0.251	0.251
	73/1	0.497	0.497
	73/2/1	0.121	0.121
	73/2/2	0.126	0.126
	74	0.821	0.821
	75	1.088	1.088
	77/1	1.214	1.214
	77/2/1	0.202	0.202
	77/2/2	0.425	0.425
	78/1	1.094	1.094
	78/2/1	0.809	0.809
	78/2/2	0.809	0.809
	78/3/1	0.809	0.809
	78/3/2	0.809	0.809
	79/1	1.283	1.283
	79/2/1	0.641	0.641
	79/2/2/1	0.239	0.239
	79/2/2/2	0.405	0.405
	80	0.316	0.316
	81/1	0.352	0.352
	81/2	1.092	1.092
	81/3/1	0.722	0.722
	81/3/2	0.723	0.723
	82/1	0.912	0.367
	82/2	0.898	0.008
	83/1	0.773	0.041
	83/2	0.805	0.097
	84/1	0.825	0.032
	84/2/2	0.352	0.170
	85	0.352	0.352
	86	0.065	0.065
	89	1.259	1.105
	90/1 , 91	0.566	0.083
	90/2/1	0.643	0.643
	90/2/2	0.744	0.744

			90/2/3	0.809	0.704		
			90/3 , 91	1.011	1.011		
			92/1	0.283	0.283		
			92/2	0.315	0.315		
			92/3	0.315	0.315		
			92/4	0.649	0.649		
			93/1/1	0.494	0.494		
			93/1/2	2.355	2.355		
			93/2/1	0.607	0.607		
			93/2/2	0.607	0.607		
			94/1	0.114	0.114		
			94/2	0.069	0.069		
			95/1	1.214	1.214		
			95/2	1.946	1.946		
			96	0.048	0.048		
			97/1	1.235	1.235		
			97/2	0.510	0.510		
			97/3	0.530	0.530		
			97/4	0.331	0.331		
			97/5	0.758	0.758		
			98	0.170	0.170		
			100/1/1	0.119	0.119		
			100/1/2	0.330	0.330		
			100/2	1.225	0.296		
			103/1/2/1	1.214	0.242		
			103/1/2/2	1.214	1.134		
			103/1/2/3	0.809	0.809		
			103/1/2/4/1	0.405	0.405		
			103/1/2/4/2	0.384	0.384		
			103/1/2/4/3	0.020	0.020		
			103/1/2/5/1	0.521	0.521		
			103/1/2/5/2	2.586	2.586		
			103/2/1/1	0.202	0.202		
			103/2/1/2	1.012	1.012		
			103/2/2	1.214	1.214		
			103/2/3	0.526	0.526		
			104	0.490	0.417		
			105/1/1	1.012	0.324		
			105/2/2	1.214	0.668		
			106	0.388	0.388		

		107	0.259	0.259		
		108	0.129	0.129		
		109	1.665	1.665		
		110/1/1	1.012			
		110/1/2	1.012	1.590		
		110/1/3	1.013			
		110/3	0.320	0.320		
		111	1.846	1.846		
		112	0.619	0.619		
		114/1/1/1	2.023			
		114/1/1/2 शा. नं. 114/1/1/3	2.023			
		114/1/1/4	2.023			
		114/1/1/5	0.809			
		114/1/1/6	2.023			
		114/1/1/7	2.023			
		114/1/1/8	2.023			
		114/1/1/9	0.809			
		114/1/1/10	2.023			
		114/1/1/11	1.544			
		114/1/1/12/1	0.101			
		114/1/1/12/2	0.101			
		114/1/1/12/3	0.101			
		114/1/1/12/4/1	0.405			
		114/1/1/12/4/2	0.101			
		114/1/1/13	0.809			
		114/1/1/14	0.809			
		114/1/1/15	2.023			
		114/1/1/16	2.023			
		114/1/2/1/1	0.709			
		114/1/2/2/2	1.182			
		114/1/2/2/2/1	0.675			
		114/1/2/3	1.182			
		114/1/2/4/1	0.607			
		114/1/2/4/2	0.607			
		114/1/2/5	0.607			
		114/1/2/6	0.809			
		114/2	4.852			
		114/3/1	0.809			
		114/3/2/1/1	0.201			
		114/3/2/1/2	0.405			
				1.052		

114/3/2/2	0.606	
114/3/2/3	0.606	
114/3/2/4	0.607	
114/4	2.438	
114/5/1/1	1.751	
114/5/1/2	0.372	
114/5/2	2.023	
116	1.101	0.757
117/1	0.628	0.161
117/2	0.628	0.041
118	0.267	0.081
119/1	0.433	0.433
119/2	0.437	0.437
120/1/1	0.912	0.912
120/1/2	0.912	0.912
120/2	1.824	1.824
120/3	1.812	1.812
120/4	1.812	1.812
121	0.178	0.178
122	0.672	0.672
123	0.194	0.194
124	3.520	3.520
125/1	0.486	0.486
125/2	0.660	0.660
126/1	0.607	0.607
126/2	0.400	0.400
127/1	0.300	0.260
127/2	0.300	0.300
127/3	0.600	0.539
127/4	0.770	0.770
127/5	0.819	0.819
127/6	0.507	0.507
127/7	0.865	0.865
127/8	0.526	0.526
128	0.599	0.599
129	0.680	0.680
130/1	0.180	0.180
130/2	0.277	0.277
131	0.860	0.860
132/1/1, 153	2.310	2.310

			132/1/2,133	0.138	0.138
			132/2,133	2.323	2.323
			134/1	0.770	0.770
			134/2	1.476	1.476
			135/1/1	0.937	0.937
			135/1/2	0.405	0.405
			135/1/3	0.405	0.405
			135/1/4	0.405	0.405
			135/1/5	0.405	0.405
			135/2	1.278	1.278
			135/3	1.279	1.279
			136/2	1.214	1.214
			136/3	1.214	1.214
			136/4	1.214	1.214
			136/5	1.214	1.214
			136/6	1.214	1.214
			136/7	2.023	2.023
			136/8	0.223	0.223
			137/1 138	0.222	0.222
			137/2 शा. नं. 138	1.247	1.247
			139/1	1.214	1.214
			139/2/1	0.405	0.405
			139/2/2	0.614	0.614
			140	0.979	0.979
			141	0.101	0.101
			142/1	0.180	0.180
			142/2	0.073	0.073
			143/1	0.257	0.257
			143/2	0.301	0.301
			144	0.320	0.320
			145/1	0.058	0.058
			145/2	0.667	0.667
			145/3	0.166	0.166
			145/4	0.809	0.809
			146	0.081	0.081
			147	0.522	0.522
			148/1	0.385	0.385
			148/2	1.214	1.214
			149	1.427	1.427
			150	0.262	0.262

	151	1.145	1.145
	152	0.685	0.685
	153	1.412	1.412
	154	1.412	1.412
	155	0.545	0.545
	156/1	1.453	1.453
	156/2/1	0.327	0.327
	156/2/2	0.328	0.328
	156/2/3	0.327	0.327
	157/1/1शा.न. 158	0.559	0.296
	157/1/2शा.न. 158	0.559	0.559
	157/1/3शा. न. 158	0.559	0.559
	157/2 158/2	1.214	1.214
	159/1/1	0.223	0.223
	159/1/2/1	1.214	1.214
	159/1/2/2	0.809	0.809
	159/2/1	1.214	1.214
	159/2/2	1.032	1.032
	160/1/1	1.011	1.011
	160/1/2	1.011	1.011
	160/1/3	2.023	2.023
	160/1/4	0.837	0.837
	160/1/5	0.809	0.809
	160/1/6	0.809	0.809
	160/2	0.202	0.202
	161	0.985	0.985
	162	0.101	0.101
	163	0.320	0.320
	164	0.235	0.235
	165/1/1/1	0.696	0.696
	165/1/1/2	0.696	0.696
	165/1/2	0.047	0.047
	165/2	0.648	0.648
	166/1/1	0.202	0.202
	166/1/2	0.158	0.158
	166/2	0.161	0.161
	169	0.372	0.372
	171/1	1.619	1.619
	171/2	1.609	1.609
	171/3	0.627	0.627

		173	5.094	5.094		
		174	0.813	0.813		
		175	0.834	0.834		
		177/1/1	0.607	0.607		
		177/1/2	0.607	0.607		
		177/2/1	0.127	0.127		
		177/2/2	0.161	0.161		
		178	0.672	0.672		
		179	0.615	0.615		
		181/1/1	0.385	0.385		
		181/1/2	1.011	1.011		
		181/2	0.624	0.624		
		182	1.202	1.202		
		183	0.773	0.773		
		184	0.862	0.862		
		185/1	0.486	0.486		
		185/2	1.040	1.040		
		186	1.469	1.469		
		187/1/1	0.680	0.680		
		187/1/2	0.081	0.081		
		187/2/1	0.255	0.255		
		187/2/2	0.255	0.255		
		188/1	0.061	0.061		
		188/2	0.061	0.061		
		188/3	0.125	0.125		
		189/1	0.607	0.607		
		189/2	0.429	0.429		
		190/1	3.694	3.694		
		190/2	2.112	2.112		
		190/3	1.789	1.789		
		190/4	2.108	2.108		
		190/5	1.983	1.983		
		191/1	1.717	1.717		
		191/2	0.586	0.586		
		193	5.094	5.094		
		194/1/1, 195/2 196/1	0.809	0.809		
		194/1/2/1/1	0.134	0.134		
		194/1/2/1/2	0.134	0.134		
		194/1/2/1/3	0.133	0.133		
		194/1/2/1/4	0.142	0.142		

			194/1/2/2	0.133	0.133		
			194/1/2/3	0.133	0.133		
			194/1/3, 195/2/3 196/1/3	0.696	0.696		
			194/2	0.223	0.223		
			195/1	0.474	0.474		
			196/2	1.506	1.506		
			197	0.874	0.874		
			199/1/1	2.225	2.225		
			199/1/2/1	1.497	1.497		
			199/1/2/2	0.728	0.728		
			199/2/1/1	1.190	1.190		
			199/2/1/2	1.180	1.180		
			199/2/2/1	0.656	0.656		
			199/2/2/2	0.660	0.660		
			199/2/2/3	0.660	0.660		
			200/1	1.214	0.566		
			200/2	1.214	1.214		
			200/3	0.117	0.117		
			201/1	0.330	0.193		
			201/2	0.330	0.243		
			202	0.162	0.162		
			203	0.444	0.444		
			206/1	0.090	0.090		
			206/2	0.056	0.056		
			206/3	0.020	0.020		
			208	0.514	0.514		
			210	1.298	1.298		
			211/1/1	1.214	1.214		
			211/1/2/1	1.619	1.619		
			211/1/2/2/1	0.809	0.809		
			211/1/2/2/1/2	1.533	1.533		
			211/1/2/2/2	2.023	2.023		
			211/1/2/2/3	2.023	2.023		
			211/2/1	1.942	1.942		
			211/2/2	5.260	5.260		
			211/3/1	7.204	7.204		
			211/3/2	7.204	7.204		
			212	0.049	0.049		
			214	0.057	0.057		
			215/1	0.060	0.060		

215 / 2	0.065	0.065
218 / 1	0.069	0.069
218 / 2 / 1 / 1	0.016	0.016
218 / 2 / 1 / 2	0.020	0.020
218 / 2 / 2	0.125	0.125
218 / 2 / 3 / 1	0.014	0.014
218 / 2 / 3 / 2	0.014	0.014
219	0.040	0.040
222	0.036	0.036
223	0.069	0.069
224	0.194	0.194
225 , 226	0.045	0.045
227	0.036	0.036
229	0.065	0.065
230	0.041	0.041
233	0.040	0.040
234	0.024	0.024
235	0.125	0.125
236	0.170	0.170
237	0.045	0.045
238	0.069	0.069
239	0.121	0.121
240	0.089	0.089
244	0.020	0.020
245 / 1	0.008	0.008
245 / 2 / 1	0.200	0.200
245 / 2 / 2	0.016	0.016
246	0.045	0.045
247	0.045	0.045
248	0.069	0.069
305 / 1 / 2	1.351	0.081
305 / 2 / 1	1.351	
305 / 2 / 2 / 1	1.140	
305 / 2 / 2 / 2	0.222	
308 / 2 / 1	0.186	0.125
308 / 2 / 2	0.239	0.219
313 / 1	0.040	0.040
313 / 2 / 1	0.757	0.020
313 / 4 / 1	0.040	0.040
313 / 4 / 2	0.248	0.248

		313/5	0.293	0.293		
		313/6/1	0.028	0.028		
		313/6/2	0.261	0.261		
		316/1	0.668			
		316/2/1	0.334		0.051	
		316/2/2	0.333			
		317/1	1.094	1.094		
		317/2/1	0.626	0.626		
		317/2/2	0.166	0.166		
		318/1	0.324	0.324		
		318/2	0.324	0.324		
		319	0.048	0.048		
		320/1	0.101	0.101		
		320/2	0.101	0.101		
		321/3	1.011	1.011		
		321/4	0.592	0.592		
		322/1	0.069	0.069		
		322/2/1	0.069	0.069		
		322/2/2	0.069	0.069		
		323/1	0.968	0.968		
		323/2	0.972	0.567		
		324	0.186	0.186		
		325/1	0.340	0.340		
		325/2	0.340	0.340		
		326	0.964	0.567		
		327/1	1.023	0.041		
		327/2	0.627	0.161		
		327/3	0.635	0.466		
		328	4.161	4.161		
		329/1	1.762	1.762		
		329/2/1	0.809	0.809		
		329/2/2	0.961	0.961		
		330/1	0.156	0.156		
		330/2	0.077	0.077		
		330/3	0.077	0.077		
		330/4	0.152	0.152		
		331/1	0.036	0.036		
		331/2	0.021	0.021		
		332	0.045	0.045		
		333	0.454	0.454		

			12
	334/1	0.156	0.156
	334/2	0.158	0.158
	335/1	0.293	0.293
	335/2	0.566	0.566
	335/3	1.129	1.129
	336	0.113	0.113
	337/1	0.615	0.615
	337/2	0.405	0.405
	337/3	2.217	2.217
	338/1	2.797	2.797
	338/2	0.809	0.809
	338/3	1.214	1.214
	338/4	1.214	1.214
	340	0.271	0.271
	341/1	1.155	1.155
	341/2	1.155	1.155
	342/1	0.303	0.303
	342/2/1	0.309	0.309
	342/2/2	0.309	0.309
	342/2/3	0.309	0.309
	343	0.866	0.866
	344/1/1	1.169	0.525
	344/2	1.214	0.567
	347/1	1.291	0.425
	347/2	1.287	1.122
	348/1/1	0.671	0.671
	348/1/2	0.672	0.672
	349	2.655	2.655
	350	0.057	0.057
	351/1	0.563	0.563
	351/2	0.559	0.559
	352	1.485	1.485
	353	0.190	0.190
	354	0.170	0.170
	356/1	0.405	0.405
	356/2	0.121	0.121
	358/1, 359	1.083	1.083
	358/2, 359	1.603	1.603
	359/1	2.112	2.112
	359/2	1.428	1.428

359/3	1.428	1.428
360	0.862	0.862
361/1	0.910	0.910
361/2	0.907	0.907
362/1	1.018	1.018
362/2	0.837	0.837
363	0.101	0.101
364/1	0.252	0.252
364/2	0.252	0.252
364/3/1	0.728	0.728
364/3/2	0.295	0.295
365/1	0.809	0.809
365/2	0.615	0.615
366	1.080	1.080
367/1	1.214	1.214
367/2/1/1	0.202	0.202
367/2/1/2	0.809	0.445
367/2/2	1.214	0.527
368/1/1	0.174	0.174
368/1/2	0.162	0.162
368/2	0.330	0.330
369/1	1.214	
369/2/1	1.136	
369/2/2	0.560	
369/2/3	0.575	
381	1.133	1.060
382/1/1/1	0.809	0.809
382/1/1/2	1.214	1.214
382/1/2/1	1.011	1.011
382/1/2/2/1	0.405	0.405
382/1/2/2/2	0.405	0.405
382/1/2/2/3	0.201	0.201
383/1	0.789	0.789
383/2	3.472	1.449
385	8.114	6.900
386/1	0.275	0.012
386/2	0.271	0.271
387	2.860	2.860
388/1	1.833	1.833
388/2	1.825	1.825

			389/1	0.565	0.565		
			389/2	0.117	0.117		
			390/1	0.093	0.093		
			390/2	0.093	0.093		
			391	0.024	0.024		
			392/1	1.481	0.591		
			392/2	1.214			
			395	1.740	0.388		
			396	0.274	0.274		
			397/1	0.158	0.158		
			397/2	0.089	0.089		
			400/1	0.218	0.218		
			400/2	0.081	0.061		
			401/1	0.781	0.781		
			401/2	0.243	0.041		
			403	2.120	1.755		
			404/1	0.963	0.781		
			404/2	1.453	0.461		
			405	0.085	0.085		
			407/1	0.627	0.627		
			407/2	0.565	0.565		
			408/1	0.821	0.821		
			408/2	1.449	1.449		
			408/3/1	0.476	0.476		
			408/3/2	0.607	0.607		
			408/4	1.083	1.083		
			408/5	0.981	0.981		
			408/6	0.668	0.668		
			408/7	0.845	0.845		
			408/8	0.857	0.857		
			409/1	0.120	0.120		
			409/2	0.101	0.101		
			409/3	0.238	0.238		
			409/4	0.020	0.020		
			411	0.498	0.498		
			412/1	1.000	1.000		
			412/2	0.532	0.532		
			413/1	0.231	0.231		
			413/2	0.235	0.235		
			413/3	0.231	0.231		

		414/1/1	0.202	0.202	
		414/1/2	0.138	0.138	
		414/1/3	0.202	0.202	
		414/2	0.543	0.543	
		415	0.571	0.571	
		416/1	0.538	0.538	
		416/2/1	0.952	0.952	
		416/2/2	0.712	0.712	
		416/3/1/1	2.375	2.375	
		416/3/1/2	0.405	0.405	
		416/3/2	0.405	0.405	
		416/4	1.927	1.927	
		416/5	0.405	0.405	
		416/6	0.405	0.405	
		416/7	1.663	1.663	
		417/1	0.263	0.263	
		417/2	0.267	0.267	
		417/3	0.267	0.267	
		418/1	1.578	1.578	
		418/2	1.578	1.578	
		419/1	0.166	0.166	
		419/2	0.166	0.166	
		420	0.526	0.526	
		421	0.640	0.640	
		422	0.251	0.251	
		423/१शा. नं. 424	0.607	0.607	
		423/२शा. नं. 424	0.587	0.587	
		423/३शा. नं. 424	0.367	0.367	
		425/1	1.469	1.469	
		425/2	0.121	0.121	
		426/1	1.505	1.505	
		426/2	1.619	1.619	
		427	0.530	0.530	
		428/1	1.769	1.769	
		428/2	1.610	1.610	
		429	1.000	1.000	
		430/1/1	0.991	0.991	
		430/1/2	1.214	1.214	
		430/2	1.801	1.801	
		431/1	0.068	0.068	

		431/2	0.069	0.069	
		432/1	1.011	1.011	
		432/2/1	0.607	0.607	
		432/2/2/1	0.364	0.364	
		432/2/2/2	1.214	1.214	
		433/3	0.749	0.749	
		433/4	1.781	1.781	
		433/5	1.011	1.011	
		434/1 , 435	0.510	0.510	
		434/2 , 435	0.506	0.506	
		436	0.421	0.421	
		437/1	1.619	1.619	
		437/2	0.829	0.829	
		437/3	0.833	0.833	
		437/4	0.830	0.830	
		438	0.762	0.762	
		439	0.399	0.399	
		440/1	0.210	0.210	
		440/2	0.191	0.191	
		441	1.703	1.703	
		442	0.328	0.328	
		443	0.255	0.255	
		444/1/1	1.821	1.821	
		444/1/2	0.734	0.734	
		444/2	0.939	0.939	
		445/1	1.391	1.391	
		445/2	1.457	1.457	
		447/1	0.347	0.347	
		447/2	0.405	0.405	
		447/3/1	0.202	0.202	
		447/3/2	0.202	0.202	
		449	0.024	0.024	
		451	1.295	1.295	
		452/1	0.789	0.789	
		452/2	0.761	0.761	
		453/1	0.024	0.024	
		453/2	0.181	0.181	
		454/1	0.482	0.482	
		454/2/1	0.465	0.465	
		454/2/2	0.105	0.105	

			455	0.231	0.231		
			456	0.335	0.335		
			458	2.076	2.076		
			459/1	0.405	0.405		
			459/2	1.052	1.052		
			460	0.158	0.158		
			461	0.454	0.454		
			462/1	0.092	0.092		
			462/2	0.092	0.092		
			463/1	0.142	0.142		
			463/2	0.142	0.142		
			464	1.360	1.360		
			465/1	1.387	1.387		
			465/2	1.383	1.383		
			466/1	0.324	0.324		
			466/2	0.429	0.429		
			467	0.709	0.709		
			468/1	0.547	0.547		
			468/2	0.543	0.543		
			469/1/1	0.149	0.149		
			469/1/2	0.149	0.149		
			469/1/3	0.150	0.150		
			469/1/4	0.299	0.299		
			469/1/5	0.149	0.149		
			469/1/6	0.149	0.149		
			469/1/7	0.053	0.053		
			469/2/1	0.202	0.202		
			469/2/2	0.202	0.202		
			470/1	0.709	0.709		
			470/2	0.172	0.172		
			471/1/1	0.133	0.133		
			471/1/2	0.133	0.133		
			471/2	0.133	0.133		
			472/1	0.093	0.093		
			472/2	0.093	0.093		
			473/1	0.129	0.129		
			743/2	0.129	0.129		
			474/1	0.065	0.065		
			474/2	0.069	0.069		
			475/1/1	0.065	0.065		

			475/1/2	0.065	0.065		
			475/2	0.129	0.129		
			476/1	0.024	0.024		
			476/2	0.027	0.027		
			477/1	0.190	0.190		
			477/2	0.190	0.190		
			478/1/1	0.036	0.036		
			478/1/2	0.036	0.036		
			478/2	0.040	0.040		
			479/1/1	0.995	0.995		
			479/1/2	0.999	0.999		
			479/2/1	0.770	0.770		
			479/2/2/1	0.275	0.275		
			479/2/2/2	0.148	0.148		
			479/2/2/3	0.277	0.277		
			480/1/1	0.551	0.551		
			480/1/2	0.020	0.020		
			480/1/3	0.060	0.060		
			480/2	0.405	0.405		
			494	0.045	0.045		
			495	0.020	0.020		
			496/1	0.469	0.469		
			496/2	0.041	0.041		
			497	0.239	0.239		
			498	0.283	0.170		
			499	0.652	0.242		
			500	0.660	0.365		
			501	2.209	2.067		
			503	2.857	2.857		
			504	1.687	1.687		
			506/1	0.607	0.607		
			506/2/2/1	0.405	0.405		
			506/2/2/2	1.011	1.011		
			506/2/2/3	0.202	0.202		
			506/2/2/4	0.053	0.053		
			506/2/2/5	0.405	0.405		
			506/2/2/6	0.417	0.417		
			507/1	0.089	0.089		
			507/2	0.142	0.142		
			509	0.243	0.243		

511	0.073	0.073
512/1	0.687	0.687
512/2	0.708	0.708
513/1/1	0.405	0.405
513/1/2/1/1	0.607	0.607
513/1/2/1/2	0.809	0.809
513/1/2/1/3	0.000	0.000
513/1/2/1/4	0.809	0.809
513/1/2/2	0.830	0.830
513/2	0.911	0.911
514/1/1/1	0.105	0.105
514/1/1/2	0.433	0.433
514/1/1/3	0.190	0.190
514/1/2	0.202	0.202
514/1/3	0.962	0.962
514/1/4	0.967	0.967
514/1/5/1	0.486	0.486
514/1/5/2	0.482	0.482
514/1/6	0.238	0.238
514/2/1	0.562	0.562
514/2/2	0.470	0.470
514/3/1	0.566	0.566
514/3/2/1/1	0.134	0.134
514/3/2/1/2	0.542	0.542
514/3/2/2	0.194	0.194
515/1	0.789	0.789
515/2	0.789	0.789
516	0.526	0.526
517/1/1	0.458	0.458
517/1/2/1	0.227	0.227
517/1/2/2	0.231	0.231
517/2	0.405	0.405
518	0.462	0.462
520	0.372	0.372
521	1.315	1.315
522/1	0.246	0.246
522/2	0.223	0.223
523	1.696	1.696
524	0.324	0.324
525	0.278	0.278

	526/1 , 527	1.149	1.149
	526/2 , 527	1.108	1.108
	528/1/1	0.607	0.607
	528/1/2	0.247	0.247
	528/1/3/1	0.809	0.809
	528/1/3/2	0.586	0.586
	528/2	1.044	1.044
	530/1/1 , 531	0.777	0.777
	530/1/2 , 531	0.789	0.789
	530/2 , 531	1.570	1.570
	533	2.614	2.614
	534	0.793	0.793
	536/1	0.486	0.486
	536/2	4.136	4.136
	538	0.178	0.178
	540/1/1	1.619	1.619
	540/1/2	3.476	3.476
	540/2/1	1.704	1.704
	540/2/2	1.700	1.700
	540/2/3/1	0.885	0.885
	540/2/3/2	0.809	0.809
	541	0.239	0.239
	544	1.028	1.028
	547/1	1.427	1.427
	547/2	0.296	0.296
	548		
	549	0.854	0.854
	550	0.405	0.405
	551	4.573	4.573
	552	1.019	1.019
	553/1/1	0.692	0.692
	553/1/2/1	0.186	0.186
	553/1/2/2	0.190	0.190
	553/2	0.539	0.539
	554/1	0.158	0.158
	554/2	0.158	0.158
	555/1	0.585	0.585
	555/2	0.354	0.354
	556	1.315	1.315
	558	0.498	0.498

			559	0.571	0.571		
			560	1.267	1.267		
			561	0.636	0.636		
			562	0.642	0.642		
			563/1	2.428	2.428		
			563/2/1	1.325	1.325		
			563/2/2	1.214	1.214		
			563/2/3	1.214	1.214		
			564/1	1.202	1.202		
			564/2	0.469	0.469		
			565	1.011	1.011		
			566	1.011	1.011		
			567	0.433	0.433		
			568	0.967	0.967		
			569/1/1	0.401	0.401		
			569/1/2	0.515	0.515		
			569/1/3	0.085	0.085		
			569/2	1.007	1.007		
			570	0.259	0.259		
			571	0.166	0.166		
			572/1	0.174	0.174		
			572/2	0.263	0.263		
			573	2.112	2.112		
			576/548	0.446	0.446		
			580/261	0.040	0.040		
			582/31	0.061	0.061		
			584/33	0.020	0.020		
			586/34	0.024	0.024		
			593/94	0.146	0.146		
			594/107	1.084	1.084		
			595/111	0.223	0.223		
			596/114	0.251	0.251		
			597/125	0.793	0.761		
			598/129/1	0.331	0.331		
			598/129/2	0.033	0.033		
			599/104	0.554	0.493		
			600/134/1	1.254	1.254		
			600/134/2	0.445	0.445		
			601/159	1.193	1.193		
			602/173/1/1	2.833	2.833		

			602 / 173 / 1 / 2	2.833	2.833		
			602 / 173 / 2	0.890	0.890		
			603 / 177	0.486	0.486		
			604 / 181	0.324	0.324		
			605 / 181 / 1	0.809	0.809		
			605 / 181 / 2 / 1	1.071	1.071		
			605 / 181 / 2 / 2	0.081	0.081		
			606 / 188	0.121	0.121		
			607 / 188	0.073	0.073		
			608 / 191 / 1	0.809	0.809		
			608 / 191 / 2	0.631	0.631		
			609 / 193 / 1 / 1	0.930	0.930		
			609 / 193 / 1 / 2 / 1	1.181	1.181		
			609 / 193 / 1 / 2 / 2	0.032	0.032		
			609 / 193 / 2	1.619	1.619		
			610 / 193	0.809	0.809		
			611 / 196	2.761	2.761		
			612 / 218	0.016	0.016		
			613 / 228	0.024	0.024		
			615 / 230	0.024	0.024		
			616 / 241	0.024	0.024		
			618 / 248	0.028	0.028		
			626 / 329	1.780	1.780		
			627 / 330	0.437	0.437		
			628 / 332	0.300	0.300		
			629 / 353	0.020	0.020		
			632 / 425 / 1	0.119	0.119		
			632 / 425 / 2	0.332	0.332		
			633 / 427	0.219	0.219		
			634 / 427	0.085	0.085		
			635 / 436	0.061	0.061		
			636 / 436 / 1	0.040	0.040		
			636 / 436 / 2	0.017	0.017		
			638 / 468 / 1	0.234	0.234		
			638 / 468 / 2	0.169	0.169		
			639 / 471	0.097	0.097		
			640 / 471	0.061	0.061		
			642 / 495	0.020	0.020		
			644 / 495	0.028	0.028		
			648 / 518	0.182	0.182		

		650 / 558	0.417	0.417		
		652 / 573	0.466	0.466		
		653 / 573	0.397	0.397		
		654 / 573	0.628	0.628		
		655 / 130	0.121	0.121		
		656 / 130	0.142	0.142		
		657 / 130	0.101	0.101		
		658 / 146 / 1	0.041	0.041		
		658 / 146 / 2	0.040	0.040		
		659 / 516	0.494	0.494		
		660 / 197 / 1	0.059	0.059		
		660 / 197 / 2	0.059	0.059		
		660 / 197 / 3	0.060	0.060		
		661 / 419	0.089	0.089		
		662 / 545	0.158	0.158		
		663 / 179	0.559	0.559		
		664 / 471	0.024	0.024		
		666 / 445 / 1	1.457	1.457		
		666 / 454 / 2	0.061	0.061		
		667 / 179	0.405	0.405		

नोट -- मूलि का नकशा (प्लान) अनुविमागीय अधिकारी कार्यालय वेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 43 / अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-

- (1) — भूमि का विवरण ।  
 (क) — जिला रायसेन ।  
 (ख) — तहसील / तालुका बेगमगंज ।  
 (ग) — ग्राम चंदोरिया

—::अनुसूची::—

—::भूमि का विवरण::—

जिल्हा	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	चंदोरिया	318 —	0.255	0.081	कार्यपालन यंत्री बीना परियोगना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर	बीना सिचाई परियोगना के अंतर्गत मंडिया बौघ से ढूब प्रमाणित हेतु
			319/1	0.202	0.053		
			319/2	0.203	0.128		
			320/1	0.667	0.053		
			320/2	0.668	0.060		
			361/1/1	1.011			
			.361/1/2/1	5.869			
			361/1/2/2	1.214			
			361/2/1/1	0.405			
			361/2/1/2	0.518			
			361/2/2/1	0.405			
			361/2/2/2	0.518			
			361/2/3/1/1	0.405	0.413		
			361/2/3/1/2	0.404			
			361/2/3/2/1	1.214			
			361/2/3/2/2	1.089			
			361/2/3/2/3	0.508			
			361/2/3/3	2.023			
			361/2/3/4	0.581			
			363	0.028	0.028		
			364	0.109	0.109		
			365	0.344	0.344		
			367	0.259	0.259		
			368	4.513	3.704		
			369	0.845	0.845		
			370	0.603	0.603		

			371	1.530	0.089	
			372/1	8.498	4.432	
			372/2	3.027	0.708	
			373	2.549	2.549	
			374/1	1.691	1.691	
			374/2	1.691	1.691	
			375/1	1.696	1.696	
			375/2	1.696	1.696	
			375/3	1.696	1.696	
			375/4	1.696	1.696	
			376/1/1	0.144	0.144	
			376/1/2	0.192	0.192	
			376/2	0.332	0.332	
			376/3	0.332	0.332	
			376/4/1	0.191	0.191	
			376/4/2	0.141	0.141	
			377/1	0.523	0.523	
			377/2	0.559	0.559	
			377/3	0.040	0.040	
			377/4	0.101	0.101	
			378/1/1	1.840	1.840	
			378/1/2	0.018	0.018	
			378/2	1.858	1.858	
			378/3	1.858	1.858	
			378/4/1	0.927	0.927	
			378/4/2	0.927	0.927	
			379/1	0.526	0.526	
			379/2	0.530	0.530	
			380/1	0.890	0.890	
			380/2/1	0.506	0.506	
			380/2/2	0.384	0.384	
			380/3	0.368	0.368	
			380/4	0.368	0.368	
			385	0.458	0.458	
			386/1	0.910	0.910	
			386/2	0.753	0.753	
			387	0.134	0.134	
			389	0.077	0.077	
			390/1/1	0.051	0.051	
			390/1/2	0.051	0.051	
			390/1/3	0.050	0.050	
			390/1/4	0.050	0.050	
			390/2	1.246	1.246	
			391	0.154	0.154	
			392	2.464	2.331	
			393/1	0.450		
			393/2	0.465		
			393/3	1.120	0.020	

			394	0.214	0.214		
			395	0.227	0.227		
			396	0.162	0.162		
			397/1	0.060	0.060		
			397/2	0.693	0.693		
			398/2/1	2.239	2.239		
			399				
			398/2/2	3.682	3.682		
			399				
			399/1/1	0.303			
			399/1/2/1/1/1	0.935			
			399/1/2/1/1/2	0.934			
			399/1/2/1/2	0.934			
			शामिल नवर				
			400/1/1,				
			401/1				
			399/1/2/2	0.607			
			शा. न.				
			400/1/2				
			401/2				
			399/1/2/4	1.339			
			400/1/1,				
			401/4				
			399/1/2/5	1.335			
			शा. न.				
			400/1/1				
			401/5				
			399/1/2/400	1.339			
			1/1/, 401/3				
			399/1/2/401/1/2	0.809			
			शा. न.				
			401/1/1				
			400/1/2	0.506			
			400/2	1.594			
			406/1	1.240		0.161	
			406/2	0.946			
			407	1.259	0.721		
			408	1.113	0.101		
			436/1	2.198	0.101		
			436/2	2.023	1.546		
			438	0.312	0.113		
			439	0.368	0.020		
			440/1	0.667	0.405		
			440/2	0.462	0.032		
			441/1	0.546	0.320		
			441/2	0.291	0.170		
			445/1/1	0.405	0.405		
			445/1/2	0.221	0.221		
			445/2/1	1.410	0.892		

			445/2/2 ✓	0.303	0.303		
			446/1	0.615	0.121		
			446/2	0.283	0.032		
			461	0.761	0.494		
			462	1.064	0.081		
			463/1/1/1/1	0.619			
			463/1/1/1/2	0.620			
			463/1/1/2	1.238			
			463/1/2/1	0.061			
			463/1/2/2	0.056			
			463/2/1	1.295			
			463/2/1/2	1.295			
			467/1	1.234			
			467/2	1.234			
			468/1	0.041	0.041		
			468/2/1	0.486	0.486		
			468/2/2	0.283	0.283		
			468/3	0.186	0.186		
			468/4	0.543	0.543		
			469/1/1	0.083	0.083		
			469/1/2	0.083	0.083		
			469/2	0.166	0.166		
			470/1/1	0.049	0.049		
			470/1/1/2	0.048	0.048		
			470/1/2	0.097	0.097		
			470/2/1	0.096	0.096		
			470/2/1/2	0.101	0.101		
			470/2/2	0.101	0.101		
			471/1	0.093	0.093		
			471/2	0.093	0.093		
			472	0.380	0.380		
			473/1 शामिल नम्बर 474	1.214			
			473/2/1 474	0.579			
			473/2/2 474	1.105			
			475	0.397	0.397		
			477	1.165	1.165		
			479	0.918	0.918		
			481/444/1	0.809			
			481/444/2	0.615			
			505/319/1	0.385	0.202		
			505/319/2	0.384	0.203		
			506/395/1	0.170	0.170		
			506/395/2	0.235	0.235		
			511/380/1	0.295	0.295		
			511/380/2/1	0.046	0.046		
			511/380/2/2	0.046	0.046		
			511/380/2/3	0.264	0.264		
			512/385	0.708	0.708		
			कुल				

नोट - भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कायालय वैगमगज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 41 / अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

- (1) — भूमि का विवरण ।  
 (क) — जिला रायसेन ।  
 (ख) — तहसील / तालुका बेरगमगंज ।  
 (ग) — ग्राम बेरखेडी बरामद गढ़ी

--अनुसूची--

--भूमि का विवरण--

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
1	2	3	4	5	6	7	8		
रायसेन	बेरगमगंज	बेरखेडी बरामद गढ़ी	5/1	1.214	0.049	कार्यपालन यंत्री बीना परियोग्या जल संसाधन संभाग शहतगढ़ जिला सागर	बीना सिल्लौइ परियोग्या के अंतर्गत भंडिया बोध से ढूब प्रभावित हैतु		
			5/2	1.214					
			5/3	1.214					
			5/4	1.327					
			13	0.291	0.257				
			14	0.198	0.198				
			15	0.923	0.526				
			16/1	3.490	2.306				
			16/2	3.003					
			17/1	2.356	3.763				
			17/2/1	1.161					
			17/2/2	1.267					
			20/1	0.736	0.736				
			20/2	0.736	0.736				
			21	2.995	2.995				
			22/1	2.833	2.833				
			22/2	3.893	3.893				
			23	0.611	0.611				
			24	1.372	1.372				
			25	0.085	0.085				

26	0.093	0.093
27	0.182	0.182
28	0.045	0.045
29/1	0.530	0.530
30/1	1.283	1.283
31/1	0.809	0.809
31/2	1.781	1.781
32	0.227	0.227
33/1	0.409	0.409
34	0.134	0.134
35	0.773	0.773
36	0.129	0.129
37	0.741	0.741
38	0.085	0.085
39	0.854	0.854
41/1/1/1	1.000	0.809
41/1/1/2	0.821	
41/1/2	1.821	
41/2/1	0.512	
41/2/2	0.360	
43/1/1	0.364	0.931
43/1/2	0.405	
43/2	1.214	
44	0.429	
45/1/1	1.080	1.080
45/1/2	0.405	0.405
45/2	0.405	0.405
46/1	0.316	0.316
46/2	0.040	0.040
47	0.522	0.522
48/1	0.606	2.489
48/2	1.273	
48/3	1.146	
49	0.121	0.020
52/1	0.174	0.161
52/2	0.178	
55	0.178	0.041
56	0.178	0.178

57	0.227	0.227
58/1/1	0.052	0.607
58/1/2	0.049	
58/2	0.324	
58/3	0.304	
59/1	0.081	0.741
59/2	0.267	
59/3	0.356	
59/4	0.073	
60/1	0.040	0.040
60/2	0.174	0.174
61/1	0.239	0.239
61/2	0.242	0.242
62/1/1	0.287	0.287
62/1/2	0.696	0.696
62/2	0.210	0.210
63	0.117	0.117
64/1	0.450	0.450
67		
64/2	0.607	0.607
शा. न. 67		
65	0.057	0.057
66	0.182	0.182
68	0.065	0.065
69/1	0.121	0.121
69/2	0.045	0.045
71/1	0.299	0.299
71/2	0.478	0.478
72	0.121	0.121
73/1	0.238	1.982
73/2	0.344	
73/3/1	0.405	
73/3/2	0.405	
73/3/3/1	1.279	
73/3/3/2	0.020	
73/3/3/3	0.032	
73/3/3/4	0.020	
75	0.239	0.239

76/1	0.907	0.907
76/2	0.906	0.906
77/1	0.891	3.217
77/2	1.076	
77/3	0.938	
77/4	0.757	
78/1	0.186	0.186
78/2	0.190	0.190
82/1/1	0.324	0.036
82/1/2	0.442	
82/2	1.691	
82/3	1.691	
83/1	2.428	0.951
83/2/1	1.611	
83/2/2	1.214	
83/3/2	0.405	
89	0.704	0.485
90	1.044	0.526
92	0.150	0.150
93	0.190	0.190
95	0.343	0.202
96	0.627	0.121
97	0.397	0.024
103	1.165	0.041
105	0.837	0.089
108/1	0.344	0.311
108/2	0.381	
118/1	0.227	0.556
118/2	0.506	
119	0.223	0.182
120	0.097	0.097
121	0.182	0.182

		123	0.198	0.061	
		125	0.518	0.081	
		126	0.036	0.036	
		127	0.530	0.101	
		141/1/2/1	0.512	0.456	
		141/1/2/2	0.299		
		185/1/1	0.276	0.283	
		185/1/2	0.275		
		185/2	0.364		
		185/3/1	0.611		
		185/3/2	0.020		
		185/4	1.234		
		185/5	0.425		
		187	0.198	0.032	
		188/1	0.081	0.607	
		188/2	1.441		
		189	0.121	0.028	
		191	0.089	0.089	
		192	0.494	0.494	
		195	0.421	0.421	
		196	0.555	0.555	
		197/1	0.279	0.279	
		197/2/1	0.065	0.065	
		197/2/2	0.069	0.069	
		197/2/3	0.061	0.061	
		197/2/4	0.061	0.061	
		197/2/5	0.061	0.061	
		197/3	0.109	0.109	
		198/1/1	0.133	2.918	
		198/1/2/1	0.016		
		198/1/2/2	0.020		
		198/1/2/3	0.020		
		198/1/2/4	0.020		
		198/1/2/5	0.020		
		198/1/3	0.299		
		198/1/4/1	0.405		
		198/1/4/2	0.595		

198/1/4/3	0.197	
198/2/1	1.218	
198/2/2	0.238	
199/1/1	0.737	
199/1/2/1	0.607	
199/1/2/2	0.121	
199/1/3	0.490	
199/2/1	0.441	
199/2/2	0.441	
199/3	0.121	
199/4	0.445	
203/1/1	1.619	
203/1/2	1.619	
203/1/3	1.619	
203/1/4	0.729	
203/1/5	0.729	
203/1/6	0.728	
203/1/7	0.728	
203/1/8	0.728	
205/1	0.157	0.157
205/2	0.297	0.297
207/1/1	0.267	0.267
207/1/2	0.210	0.210
207/1/3	0.264	0.264
207/2	0.166	0.166
207/3	0.303	0.303
207/4/1	0.348	0.348
207/4/2	0.348	0.348
208/1/1	0.405	0.405
208/1/2	0.405	0.405
208/1/3	0.404	0.404
208/2	0.745	0.745
208/3	0.708	0.708
208/4/1	0.583	0.583
208/4/2	0.583	0.583
208/5	0.065	0.065
212	0.308	0.308

213 / 1	0.344	0.344
213 / 2	0.113	0.113
213 / 3	0.113	0.113
213 / 4	0.113	0.113
213 / 5	0.115	0.115
214	0.053	0.053
215	0.093	0.093
216	0.089	0.089
217	0.053	0.053
218	0.785	0.785
219 / 1	0.809	0.809
219 / 2	0.057	0.057
220 / 1	0.324	0.324
220 / 2 / 1	0.162	0.162
220 / 2 / 2 / 1	0.425	0.425
220 / 2 / 2 / 2	0.202	0.202
220 / 2 / 3	0.061	0.061
220 / 3 / 1	0.445	0.445
220 / 3 / 2	0.647	0.647
220 / 4	1.011	1.011
220 / 5 / 1	0.134	0.134
220 / 5 / 2	0.161	0.161
220 / 5 / 3	0.161	0.161
220 / 5 / 4	0.134	0.134
220 / 5 / 5	0.117	0.117
220 / 5 / 6	0.138	0.138
220 / 5 / 7	0.142	0.142
220 / 5 / 8	0.142	0.142
220 / 5 / 9	0.142	0.142
221 / 1 / 1	0.089	0.089
221 / 1 / 2	0.890	0.890
221 / 1 / 3	0.093	0.093
221 / 1 / 4	0.093	0.093
221 / 1 / 5	0.089	0.089
221 / 1 / 6	0.089	0.089
221 / 1 / 7	0.089	0.089
221 / 1 / 8	0.089	0.089
221 / 1 / 9	0.089	0.089

221/1/10	0.215	0.215
221/1/11	0.126	0.126
221/1/12	0.101	0.101
221/1/13	0.113	0.113
221/1/14	0.133	0.133
221/1/15	0.124	0.124
221/1/16	0.122	0.122
221/1/17	0.122	0.122
221/1/18	0.122	0.122
221/2	0.890	0.890
221/3/1	0.486	0.486
221/3/2	0.323	0.323
221/4/1	0.283	0.283
221/4/2/1	0.748	0.748
221/4/2/2	0.242	0.242
221/4/3	0.141	0.141
221/5	1.214	1.214
222/1/1	0.061	0.061
222/1/2	0.081	0.081
222/1/3	0.097	0.097
222/1/4	0.093	0.093
222/1/5	0.081	0.081
222/1/6	0.081	0.081
222/1/7	0.081	0.081
222/1/8	0.081	0.081
222/2	2.012	2.012
222/3/1/1	0.280	0.280
222/3/1/2	0.676	0.676
222/3/2	1.053	1.053
222/4/1	0.365	0.365
222/4/2/1	0.713	0.713
222/4/2/2	0.365	0.365
222/4/3	0.202	0.202
222/5	2.242	2.242
223/1/1	0.830	0.830
223/1/2	0.405	0.405
223/2	0.410	0.410
223/3	0.287	0.287
223/4	0.767	0.767

223/5	0.020	0.020
224/1	0.405	0.405
224/2	0.388	0.388
225	0.295	0.295
226/1	0.252	0.252
226/2	1.230	1.230
227/1/1	0.512	0.512
227/1/2	0.512	0.512
227/1/3	0.512	0.512
227/1/4	0.512	0.512
227/2	0.080	0.080
228/1	0.589	0.589
228/2	0.589	0.589
228/3	0.589	0.589
228/4	0.588	0.588
229/1/1	0.785	0.785
229/1/2	0.789	0.789
229/2	0.809	0.809
229/3	0.405	0.405
230/1/1	0.324	0.324
230/1/2	0.202	0.202
230/2	0.255	0.255
231	1.769	1.769
232	1.779	1.779
233/1/1	0.988	
233/1/2	0.600	
233/1/3	0.600	
233/1/4	0.300	
233/1/5	0.520	
233/2	1.000	
233/3	1.000	
233/4	1.000	
233/5	0.486	
233/6	1.000	
233/7	1.000	
233/8/1	0.040	
233/8/2	1.174	
233/9	1.000	
233/10	1.000	

10.01

234	0.656	0.656
235	0.530	0.530
237 / 1	0.809	0.809
237 / 2	3.767	3.767
238 / 1 / 1 / 1	0.121	2.850
238 / 1 / 1 / 2	0.365	
238 / 1 / 1 / 3	0.121	
238 / 1 / 3	0.607	
238 / 2 / 2	1.000	
238 / 2 / 3	1.000	
238 / 2 / 4	1.000	
238 / 2 / 5	1.000	
238 / 2 / 6	1.000	
238 / 2 / 7	1.000	
238 / 2 / 8	1.000	
238 / 2 / 9	1.000	
238 / 2 / 10	1.000	
240 / 1 / 1	0.162	0.162
240 / 1 / 2	1.149	1.149
240 / 2 / 1	0.709	0.709
240 / 2 / 2	0.101	0.101
241 / 1 / 1	0.101	0.101
241 / 1 / 2	0.377	0.377
241 / 2 / 1	0.910	0.910
241 / 2 / 2	0.304	0.304
242	1.627	1.627
243	0.506	0.506
247 / 213	0.736	0.736
248 / 41	0.299	0.081
250 / 41	0.486	0.405
257 / 213	0.117	0.117
258 / 219	0.283	0.283

	259 / 220	0.129	0.129	
	264 / 61 / 1	0.405	0.405	
	264 / 61 / 2	0.150	0.150	
	265 / 184 / 1 / 1	0.323		
	265 / 184 / 1 / 2	0.607		
	265 / 184 / 1 / 3 / 1	0.257		
	265 / 184 / 1 / 3 / 2	0.202		
	265 / 184 / 2 / 1	0.482		
	265 / 184 / 2 / 2	0.477		
	265 / 184 / 3 / 1	0.323		
	265 / 184 / 3 / 2	0.133		
	265 / 184 / 3 / 3	0.040		
	265 / 184 / 5	0.000		
	265 / 184 / 6	0.133		
	265 / 184 / 7	0.041		
	266 / 205 / 1	0.518	0.518	
	266 / 205 / 2	0.817	0.817	
कुल				

2.431

नोट - मूलि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बैगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / ३२/ अ-८२/२१-२२- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

- (1) — भूमि का विवरण ।  
 (क) — जिला रायसेन ।  
 (ख) — तहसील / तालुका बेगमगंज ।  
 (ग) — ग्राम सेमरा

—::अनुसूची::—

—::भूमि का विवरण::—

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	सेमरा	2 3/1/1 3/1/2 3/2 3/3/1 3/3/2 4/1 4/2 5/1/क 67, 68 69, 70/2	0.308 0.182 0.182 0.360 0.551 0.052 0.150 0.154 3.286	0.308 0.182 0.182 0.360 0.551 0.052 0.150 0.154 0.486	कार्यपालन यंत्री बीना परियोगना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर	बीना सिवाई परियोगना के अंतर्गत मंडिया बौद्ध से दूब प्रभावित हेतु
			5/2/3/2 शान. 13/1, 18/1, 67 68,69, 70]	0.809	0.178		

5/2/ख शा.न. 13/1, 18/1, 67,68,69, 70/3/1/1/1	0.859	0.389
5/2/ग शा.न. 13/1, 18/1, 67,68,69, 70/3/1/1/2	0.809	0.186
5/2/घ 13/1, 18/1, 67,68,69, 70/3/1	0.607	0.141
5/2/ङ शा.न 13/1, 18/1, 67,68,69, 70/3/1/2	0.202	0.049
5/3 11/1 13/2 18/2	3.035	0.384
5/3/छ 11/1 13/2 18/2	3.035	0.234
7	0.089	0.089
8/1	0.736	0.736
8/2	0.736	0.736
9	0.291	0.291
10/1/1 शा०न० 23	1.458	0.858
10/1/2	1.756	0.870
10/2/1 शा०न० 23 19	1.724	0.376
10/2/2 शा०न० 23	1.724	0.344
10/3 शा०न० 23 19	0.101	0.101
10/4 23	0.202	0.202
10/5, 23	0.999	0.769
11/2/1	2.930	2.857
11/2/2	1.926	0.201
12/1/1	0.134	0.134
12/1/2	0.133	0.133

12/2	0.267	0.267	
12/3	0.494	0.494	
13/3/1	0.283	0.283	
13/3/2	0.486	0.486	
14	0.202	0.202	
15	0.433	0.290	
16	0.166	0.166	
17	0.251	0.157	
22/1	1.161	0.016	
22/2/1	0.809	0.283	
22/2/2	1.509	1.214	
22/2/3	0.183	0.126	
24/1/1	0.287	0.016	
24/1/2/1	0.147	0.056	
24/2	0.712	0.471	
24/3/1	0.429	0.429	
24/3/2	0.242	0.242	
26/1	0.056	0.056	
26/2	0.242	0.242	
30	0.534	0.534	
39/1,39/2	0.275	0.275	
39/3	0.405	0.405	
40/1	0.421	0.393	
40/2	0.417	0.417	
67/1/1शा0न0 68	1.516	0.048	
69.70			
67/1/2शा0न0 68	1.512	0.057	
69.70			
67/2,68.69. 70 / 1	1.512	0.192	
342/34/2	0.580	0.020	
कुल			

नोट - भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेरगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 34 / अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकत करता है :—

(1) — भूमि का विवरण ।

(क) — जिला रायसेन ।

(ख) — तहसील / तालुका बेगमगंज ।

(ग) — ग्राम माला

—:अनुसूची:—

—:भूमि का विवरण:—

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	माला	69	0.765	0.049	कार्यपालन यंत्री	बीना सिचाई परियोचना के अंतर्गत मंडिया बौद्ध से डूब प्रभावित हेतु
			84	0.332	0.012	बीना परियोचना	
			85	0.166	0.041	जल संसाधन	
			87/1/2	0.279	0.048	संभाग राहतगढ़	
			94	0.741	0.020	जिला सागर	
			95	1.955	1.931		
			97/1	1.631	1.631		
			97/2	1.214	1.214		
			99/1	1.097	1.097		
			99/2/1	0.607	0.607		
			99/2/2	0.502	0.502		
			99/3	0.266	0.266		
			100/1	1.175	0.124		
			100/2	1.760	1.760		
			100/3/1	1.618	1.618		
			100/3/2/1	0.733	0.644		
			100/3/2/2	1.695	1.615		
			101	5.419	5.419		
			102/1/1	1.214	1.214		
			102/1/2	1.214	1.214		
			102/1/3	1.214	1.214		
			102/1/4	0.684	0.684		
			102/2	1.214	1.032		
			103/1	0.097	0.097		

103/2	0.161	0.081
103/3	1.630	0.434
103/4/1	0.405	0.226
103/4/3	0.405	0.020
103/4/4	0.112	0.020
104/1	0.227	0.227
104/2	0.198	0.198
104/3	0.041	0.041
105/1	0.517	0.517
105/2	1.012	1.012
105/3	1.012	1.012
105/4	1.012	1.012
106/1	0.129	0.129
106/2	0.611	0.611
106/3	0.275	0.275
107/1	0.299	0.299
107/2	0.041	0.041
108	1.271	1.271
110/1	0.203	0.203
110/2	0.198	0.198
110/3	0.632	0.632
110/4	0.198	0.198
110/5	0.203	0.203
111	0.040	0.040
112	0.129	0.129
113/1/1	1.149	1.149
113/1/2/1	0.137	0.137
113/1/2/2	1.012	1.012
113/2	0.930	0.930
114	2.526	2.526
115		
116		
117/2	0.809	0.081
121/1	8.649	0.671
121/2	3.446	0.647
122/1/1	0.570	0.570
122/1/2	0.547	0.547
122/2	1.660	1.660
122/3	1.890	1.890
122/4/1	0.405	0.405
122/4/2	2.023	2.023
123/1	0.324	0.324
123/2	0.324	0.324
123/3	0.538	0.538
123/4	0.534	0.534
124/1	0.233	0.233
124/2	0.237	0.237
124/3	0.237	0.237
124/4	0.237	0.237
125	0.862	0.862

126/1/1	0.702	0.702
127		
126/1/2	0.165	0.165
127		
126/2	1.619	1.619
127		
127	0.001	0.001
126		
134/1	0.355	
134/2/1	0.567	
134/2/2	0.809	
134/3	1.420	
274/2	3.103	0.170
274/3/1	3.760	0.121
274/3/2	2.023	1.950
279/1	0.263	0.040
279/2	0.405	0.405
281	0.409	0.389
287	0.595	0.121
288	2.424	2.404
289/1	2.343	1.473
289/2	2.342	0.068
335/1	0.607	0.547
335/2	1.011	0.020
336/1	1.522	1.498
336/2/1	1.246	0.902
336/2/2	1.652	0.032
337	0.125	0.125
338	0.081	0.081
339	0.219	0.219
340	1.125	1.125
341		
342	1.550	1.550
शा. न. 343		
344	0.036	0.036
345	2.108	1.428
346	4.326	4.326
347	1.189	1.189
348	0.611	0.611
349	0.494	0.494
350/1	1.198	1.198
350/2	0.809	0.809
352	1.485	1.485
353	1.906	1.906
354/2	0.162	0.162
355	1.226	1.226
356	2.331	2.331
357	0.502	0.502
358/1	0.304	0.304
गोड		
358/2	0.154	0.154
359/1	1.190	1.190
359/2	0.704	0.704
360	0.983	0.983
361	1.291	1.291
362	0.959	0.959
363	1.028	1.028
364	0.316	0.316
365	0.518	0.518
366	1.291	1.291
कुल		

नोट - मूँग का नकशा (लान) अनुविमागीय अधिकारी कार्यालय बेरगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 34 / अ-82/21-22— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकत करता है :—

(1) — भूमि का विवरण ।

(क) — जिला रायसेन ।

(ख) — तहसील / तालुका बेगमगंज ।

(ग) — ग्राम माला

—अनुसूची—

—भूमि का विवरण—

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	भाला	69	0.765	0.049	कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर	बीना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मंडिया बौद्ध से डूब प्रभावित हेतु
			84	0.332	0.012		
			85	0.166	0.041		
			87/1/2	0.279	0.048		
			94	0.741	0.020		
			95	1.955	1.931		
			97/1	1.631	1.631		
			97/2	1.214	1.214		
			99/1	1.097	1.097		
			99/2/1	0.607	0.607		
			99/2/2	0.502	0.502		
			99/3	0.266	0.266		
			100/1	1.175	0.124		
			100/2	1.760	1.760		
			100/3/1	1.618	1.618		
			100/3/2/1	0.733	0.644		
			100/3/2/2	1.695	1.615		
			101	5.419	5.419		
			102/1/1	1.214	1.214		
			102/1/2	1.214	1.214		
			102/1/3	1.214	1.214		
			102/1/4	0.684	0.684		
			102/2	1.214	1.032		
			103/1	0.097	0.097		

103/2	0.161	0.081
103/3	1.630	0.434
103/4/1	0.405	0.226
103/4/3	0.405	0.020
103/4/4	0.112	0.020
104/1	0.227	0.227
104/2	0.198	0.198
104/3	0.041	0.041
105/1	0.517	0.517
105/2	1.012	1.012
105/3	1.012	1.012
105/4	1.012	1.012
106/1	0.129	0.129
106/2	0.611	0.611
106/3	0.275	0.275
107/1	0.299	0.299
107/2	0.041	0.041
108	1.271	1.271
110/1	0.203	0.203
110/2	0.198	0.198
110/3	0.632	0.632
110/4	0.198	0.198
110/5	0.203	0.203
111	0.040	0.040
112	0.129	0.129
113/1/1	1.149	1.149
113/1/2/1	0.137	0.137
113/1/2/2	1.012	1.012
113/2	0.930	0.930
114	2.526	2.526
115		
116		
117/2	0.809	0.081
121/1	8.649	0.671
121/2	3.446	0.647
122/1/1	0.570	0.570
122/1/2	0.547	0.547
122/2	1.660	1.660
122/3	1.890	1.890
122/4/1	0.405	0.405
122/4/2	2.023	2.023
123/1	0.324	0.324
123/2	0.324	0.324
123/3	0.538	0.538
123/4	0.534	0.534
124/1	0.233	0.233
124/2	0.237	0.237
124/3	0.237	0.237
124/4	0.237	0.237
125	0.862	0.862

126/1/1	0.702	0.702	
127		,	
126/1/2	0.165	0.165	
127			
126/2	1.619	1.619	
127			
127	0.001	0.001	
126			
134/1	0.355		
134/2/1	0.567		
134/2/2	0.809		
134/3	1.420		
274/2	3.103	0.170	
274/3/1	3.760	0.121	
274/3/2	2.023	1.950	
279/1	0.263	0.040	
279/2	0.405	0.405	
281	0.409	0.389	
287	0.595	0.121	
288	2.424	2.404	
289/1	2.343	1.473	
289/2	2.342	0.068	
335/1	0.607	0.547	
335/2	1.011	0.020	
336/1	1.522	1.498	
336/2/1	1.246	0.902	
336/2/2	1.652	0.032	
337	0.125	0.125	
338	0.081	0.081	
339	0.219	0.219	
340	1.125	1.125	
341			
342	1.550	1.550	
शा. नं. 343			
344	0.036	0.036	
345	2.108	1.428	
346	4.326	4.326	
347	1.189	1.189	
348	0.611	0.611	
349	0.494	0.494	
350/1	1.198	1.198	
350/2	0.809	0.809	
352	1.485	1.485	
353	1.906	1.906	
354/2	0.162	0.162	
355	1.226	1.226	
356	2.331	2.331	
357	0.502	0.502	
358/1 बीड	0.304	0.304	
358/2	0.154	0.154	
359/1	1.190	1.190	
359/2	0.704	0.704	
360	0.983	0.983	
361	1.291	1.291	
362	0.959	0.959	
363	1.028	1.028	
364	0.316	0.316	
365	0.518	0.518	
366	1.291	1.291	
कुल			

नोट -

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बैगमांज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
क्र. 11057—भू—अर्जन—2021—अ.वि.अ.कुक्षी का प्र.क्र. 04—अ—82—2020—21 धार, दिनांक 22 नवम्बर 2021

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुर्ववासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में थाना तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम घुड़दलिया तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्ववासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

### अनुसूची (01)

#### ग्राम — घुड़दलिया

#### तहसील — कुक्षी

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	थाना तालाब योजना में प्रभावित होने से योग	0.655	0.000	0.655
		<b>0.655</b>	<b>0.000</b>	<b>0.655</b>

### अनुसूची (02)

#### थाना तालाब योजना में अन्तर्गत प्रभावित भूमि का विवरण

#### ग्राम — घुड़दलिया

#### तहसील — कुक्षी

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		खसरा क्रमांक	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सूरपसिंह पिता नानका जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	68/1	0.655	0.000	0.655	0.655	0.000	0.655
	योग:-		<b>0.655</b>	<b>0.000</b>	<b>0.655</b>	<b>0.655</b>	<b>0.000</b>	<b>0.655</b>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
क्र— 53-82-भू-अर्जन-21-11911

सागर दिनांक 03 दिसम्बर 2021

## :: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अंतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं।—

- (1) परियोजना का नाम :— बीना सिंचाई परियोजना भडिया बांध निर्माण  
(2) भूमि का विवरण :—

1. जिला	सागर
2. तहसील	राहतगढ़
3. ग्राम	परासरी खुर्द
4. पटवारी हल्का नं.	10
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	152.300

## :: अनुसूची -01::

सं. क्र.	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टेर में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टेर में)			भूमि पर स्थित परिसंपत्तियाँ
					सिवित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ऋषिराज बल्द सुखलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	3	1.150	1.150	0.000	0.000	1 कोहा, 1 उमर
			64/1/1	0.220	0.220	0.000	0.000	
2	अरविंद, राजेश, गजराज पिता मुंशीलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	4/1	0.880	0.880	0.000	0.000	
			7	0.610	0.610	0.000	0.000	1 उमर
			73	0.030	0.000	0.000	0.030	2 बेरी, 1 बेरी छूट, 1 पीपल, 1 नीम, 2 बमूरा
3	रामबाबू बल्द हरिशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	4/2	0.110	0.110	0.000	0.000	
			5	0.950	0.950	0.000	0.000	
			12	0.140	0.140	0.000	0.000	
			16/1	1.650	1.650	0.000	0.000	
			47	0.360	0.360	0.000	0.000	
			68	1.220	1.220	0.000	0.000	
4	कुंजीलाल पुत्र मिहीलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र01/2 माग भूमि स्वामी रामरामी बेवा मिहीलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/2 माग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1/1	0.170	0.170	0.000	0.000	1 पीपल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	महेश पुत्र मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी छोटू पुत्र मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी नोनीबाई बेवा मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी शांतिबाई पुत्री मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी राजबाई पुत्री मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0 प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी पूजाबाई पुत्री मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1/2	0.170	0.170	0.000	0.000	
6	फूलसींग पुत्र आलम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	6/1/3	0.170	0.170	0.000	0.000	
7	जैबाई पुत्री आलम पता सा. दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	6/1/4	0.160	0.160	0.000	0.000	
8	अशोक बल्द रामप्रसाद निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	6/2	0.670	0.670	0.000	0.000	
			94/4	1.600	1.600	0.000	0.000	
			97/2	1.190	1.190	0.000	0.000	1 द्यूवरेल, 1 जामुन, 2 अमरुद, 2 आम, 2 आंवला, 2 बेरी, 16 सागौन, 2 बांस का धेरा
			102/2	0.770	0.770	0.000	0.000	1 द्यूवरेल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	<p>राजेश पुत्र जैसींग पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/12 भाग भूमिस्वामी रामप्यारी पुत्री जैसींग पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/12 भाग भूमिस्वामी मथुराबाई पुत्री जैसींग पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/12 भाग भूमिस्वामी कुवरबाई बेवा जैसींग पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/12 भाग भूमिस्वामी कसिया पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी हल्कई पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी नत्थू पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी रामसींग पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी रवीदास पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी प्रभा पुत्री कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी दसोदा बेवा कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी पुनिया बेवा पंचा पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/3 भाग भूमिस्वामी</p>	भूमि स्वामी	6/3	0.500	0.500	0.000	0.000	
10	<p>सुमत्रा बाई पुत्री रामसींग पता सा. ककरवा भूमिस्वामी</p>	भूमि स्वामी	9/1	0.760	0.760	0.000	0.000	2 रेंजा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	हरिशंकर पिता अयोध्याप्रसाद पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	9/2	0.750	0.750	0.000	0.000	
			15/2	1.210	1.210	0.000	0.000	
			15/4	2.020	2.020	0.000	0.000	
			28/1	2.320	2.320	0.000	0.000	1 आम, 1 बेरी, 3 बमूरा
			28/2	2.430	2.430	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 तालाब 1 छेवला
			28/3	0.810	0.810	0.000	0.000	
			28/4	2.400	2.400	0.000	0.000	
			41	0.200	0.000	0.000	0.200	
12	श्यामबाबू बल्द हरिशंकर पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	11	0.400	0.400	0.000	0.000	
			15/1	2.230	2.230	0.000	0.000	
			15/3	1.820	1.820	0.000	0.000	
			16/2	0.400	0.400	0.000	0.000	
			24	0.120	0.000	0.000	0.120	
			42	0.210	0.210	0.000	0.000	
13	शमसींग पिता कडोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 माग भूमि स्वामी विनोद पिता करोड़ी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी प्रेम पिता कडोरी पता परासरी खुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 माग भूमि स्वामी सनमान पिता कडोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 माग प्रेमनारायण पिता कडोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी किरण पुत्री कडोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी अंगूरीबाई बेवा कडोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17	0.070	0.000	0.000	0.070	
			44	0.950	0.950	0.000	0.000	1 आम
			66	0.030	0.000	0.000	0.030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	प्रकाश पिता सूरतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	19	0.940	0.940	0.000	0.000	3 बेरी, 1 बेल, 3 छेवला
15	युवराज नरेन्द्र नावा बल्द बली पि. प्रकाश पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	20	0.940	0.940	0.000	0.000	1 बेरी, 1 छेवला, 1 उमर
			21	0.510	0.510	0.000	0.000	3 छेवला
			22	2.880	2.880	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 3 छेवला, 1 बमूरा
			69/1	0.310	0.302	0.000	0.008	9 बमूरा
			70/1	0.020	0.020	0.000	0.000	
			25	0.020	0.000	0.000	0.020	1 जामुन, 2 बमूरा, 1 शोबबूल
16	हल्कङ्ग बल्द परम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	39/2	0.800	0.800	0.000	0.000	1 आम, 2 कोहा
18	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	40	1.610	1.610	0.000	0.000	
			89	0.680	0.645	0.000	0.035	2 बमूरा, 1 शोबबूल, 1 बांस का घेरा
19	रघुराज प्यारेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	46	0.340	0.340	0.000	0.000	
			50/5	0.060	0.060	0.000	0.000	
			91/1	0.010	0.000	0.000	0.010	
20	सुखदेव पिता पवन जाति लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49	1.760	1.760	0.000	0.000	
21	लक्ष्मन पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	50/1	0.150	0.150	0.000	0.000	
			114/3	0.270	0.270	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	मलखान पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	50/2	0.420	0.000	0.000	0.420	
23	गुवरधन पिता ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी राजेश पिता ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी प्रेमनारायण पिता ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी इयामाबाई बेवा ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमिस्वामी लक्ष्मी पुत्री ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमिस्वामी अंगूरी पुत्री ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र01/6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/3	0.420	0.420	0.000	0.000	
24	दलीप पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	50/4	0.420	0.420	0.000	0.000	2 आम,
			91/2	0.010	0.000	0.000	0.010	
25	सेवक पिता हजारी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	51	0.500	0.500	0.000	0.000	1 छेवला फूट, 2 रेंजा, 1 कोहा, 1 उमर
			93/1	0.550	0.550	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी, 1 बमूरा, 3 महुआ
26	मगवानसोंग ना.बा. बल्द बली पृथ्वीराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	117	0.200	0.200	0.000	0.000	
			52	0.520	0.520	0.000	0.000	
			53	0.510	0.510	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	शोभाराम बल्द अमरसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	54/1	0.740	0.740	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
			76	0.010	0.000	0.000	0.010	
			141	2.340	2.337	0.000	0.003	1 पक्का कुआ, 4 आंवला, 2 अमरुद, 4 आम, 1 बेल, 2 छेवला, 1 नीम, 1 रुसल्ला
			142/1	0.600	0.600	0.000	0.000	
			155	0.300	0.300	0.000	0.000	1 कोहा
28	अशोक , महराजसींग, पन्ननालाल पिस. रामप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	54/2	1.140	1.140	0.000	0.000	1 द्यूवेल, 4 कोहा, 3 उमर, 3 छेवला
29	रामप्रसाद पिता मूलचंद पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/1/2	0.210	0.210	0.000	0.000	
30	कुवेरसिंह पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भूमि स्वामी भारतसींग पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी रचना पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र01/4 भाग भूमि स्वामी शिवरानी उर्फ चंदाबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/2	0.110	0.110	0.000	0.000	
			77	0.020	0.020	0.000	0.000	
			78	0.020	0.020	0.000	0.000	
			79	0.030	0.030	0.000	0.000	
			80	0.030	0.030	0.000	0.000	
			101/1	0.670	0.644	0.000	0.026	7 आंवला, 1 जामुन, 2 आम, 1 बहेरा, 3 सागौन, 2 शोबबूल, 1 नीम
			107/3 107/4	5.090	5.090	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 रुसल्ला, 2 छेवला, 1 छेवला झट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	पृथ्वीसिंह बल्द सूरतसिंह पता निवासी ग्राम भूगिस्वामी	भूमि स्वामी	69/2	0.160	0.151	0.000	0.009	1 बेरी, 6 बमूरा, 1 सागौन
			70/3	0.010	0.010	0.000	0.000	
			75	0.840	0.840	0.000	0.000	1 बेरी, 2 बमूरा, 3 बबूल
			84/2	0.020	0.020	0.000	0.000	1 रसल्ला, 1 पीपल
			108	0.520	0.520	0.000	0.000	13 छेवला, 3 कोहा, 1 उमर, 1 बहेरा
			109/2	0.970	0.970	0.000	0.000	1 उमर, 1 गुरार, 3 छेवला, 1 बमूरा
			136/2	2.700	2.700	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 नीम, 2 रसल्ला, 1 छेवला
			137/3.	3.000	3.000	0.000	0.000	
32	महादेव बल्द सूरतसिंह पता सा.देह भूगिस्वामी	भूमि स्वामी	69/3	0.150	0.100	0.000	0.050	2 बेरी, 1 इमली, 1 आम, 6 बमूरा
			70/2	0.010	0.006	0.000	0.004	
			84/1	0.030	0.030	0.000	0.000	
			109/1	0.520	0.520	0.000	0.000	2 कोहा, 1 छेवला
			112	1.780	1.780	0.000	0.000	1 बेरी झूट, 7 छेवला, 1 उमर, 1 बमूरा, 1 रसल्ला
			135	0.770	0.770	0.000	0.000	1 ट्यूबेल, 1 रेंजा, 8 छेवला
			136/1	2.710	2.710	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 ट्यूबेल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	कमलेश भगवानदास पिता बबू प्रेमरानी बेवा बबू पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	81	0.090	0.078	0.000	0.012	1 दयूवेल, 2 बेरी, 1 अमरुद, 1 कटहल, 1 आम, 1 लसल्ला झूट
34	महराजसींग, अशोकसींग पिता रामप्रसाद गीताबाई पत्नी पन्नालाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	82	0.010	0.010	0.000	0.000	
35	फूलरानी बेवा सिरदारसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	83	0.070	0.070	0.000	0.000	1 बेरी,
36	छोटेलाल शिवराज ना.बा. पिता सिरदार बली मा खुद फूलरानी पति शिवराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	86	0.040	0.029	0.000	0.011	1 बेरी, 1 बबूल
			87	1.090	1.090	0.000	0.000	1 बेरी, 4 बमूरा
			116	0.160	0.160	0.000	0.000	1 रेंजा
37	पवन पिता हरिराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	90	0.030	0.005	0.000	0.025	
			113	1.490	1.490	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
38	मानसींग पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	114/1	0.420	0.420	0.000	0.000	1 दयूवेल, 1 नीम
			91/3	0.010	0.000	0.000	0.010	
39	सूरतसिंह पिता मूलचन्द्र पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	92	0.180	0.180	0.000	0.000	1 दयूवेल
40	मूलामसींग पिता हजारीलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	93/2	1.600	1.600	0.000	0.000	4 आंवला, 1 बेरी
41	रामप्रसाद पिता मूलचन्द्र पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	94/1	0.370	0.370	0.000	0.000	
42	दीपेश अनिकेश बल्द पन्नालाल पता सा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	94/2	2.000	2.000	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	सदीप बल्द महाराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	94/3	1.600	1.600	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
44	भरत कुवरसींग पिता बद्रीप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	95/1	2.350	2.350	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी,
			100/2	1.180	1.180	0.000	0.000	
			104	0.720	0.720	0.000	0.000	1 छेवला
45	रोहित बल्द विष्णुप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	95/2	2.350	2.350	0.000	0.000	कच्चा कुआ 1
			138/2	0.500	0.500	0.000	0.000	
			139/1	0.330	0.330	0.000	0.000	
			139/2	1.220	1.220	0.000	0.000	1 बमूरा, 1 छेवला, 1 कोहा
			139/4	0.070	0.000	0.000	0.070	
46	जाहिद अली पिता कुदरत अली पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	96/1	0.840	0.840	0.000	0.000	1 छेवला
			100/1	0.070	0.070	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
			103	0.850	0.850	0.000	0.000	
47	पन्नालाल बल्द रामप्रसाद पता सा. सागर भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	96/2	1.610	1.610	0.000	0.000	
			132	0.610	0.610	0.000	0.000	
			133	0.050	0.000	0.000	0.050	
			134/1	1.620	1.620	0.000	0.000	
			134/2	0.190	0.190	0.000	0.000	
48	महराजसींग बल्द रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	97/1	1.190	1.190	0.000	0.000	
			102/1	0.780	0.780	0.000	0.000	
			131/3	0.800	0.800	0.000	0.000	2 छेवला
			131/4	0.500	0.500	0.000	0.000	
			145/2	0.400	0.400	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	नरसिंह बल्द महादेव पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	98	1.180	1.180	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 ट्यूबवेल, 3 बेरी, 2 नीवू, 1 आम, 3 अमरुद, 1 छेवला, 10 सागौन
50	राधाबाई बेवा अमरसींग मल्लीबाई पुत्री अमरसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	99	0.050	0.050	0.000	0.000	2 बेल,
51	विष्णुप्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	106	0.220	0.188	0.000	0.032	
			107 / 1	2.020	2.020	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी, 7 आम, 1 अमरुद, 2 बमूरा
			107 / 2	3.080	3.080	0.000	0.000	7 छेवला
			110 / 1	0.290	0.290	0.000	0.000	1 छेवला
			110 / 2	0.290	0.290	0.000	0.000	
52	नबोबाई बेवा प्यारेलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	114 / 2	0.810	0.810	0.000	0.000	1 पक्का कुआ 1 बेरी, 1 उमर
53	श्री महावीरस्वामी मौजा देह मु खूबसींग प्रबंधक कलेक्टर महो. सागर पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	118	2.520	2.520	0.000	0.000	
54	भगवासींग बल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	120	0.060	0.060	0.000	0.000	
			121	0.090	0.090	0.000	0.000	3 कोहा, 1 छेवला
			122 / 1	0.140	0.140	0.000	0.000	4 आम, 1 जामुन
			125	0.600	0.600	0.000	0.000	1 बेरी, 3 कोहा, 1 छेवला
			137 / 1	1.210	1.192	0.000	0.018	1 पक्का कुआ, 4 जामुन, 3 अमरुद, 3 आम, 2 बेरी, 2 बमूरा, 1 कोहा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	महेश बल्द हरीसोंग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	122/2	0.300	0.300	0.000	0.000	1 द्यूवेल, 8 आम, 3 कोहा, 1 चिरोंल छूट, 1 सागौन
			123/1	0.300	0.300	0.000	0.000	3 कोहा, 1 खेर
			123/2	0.300	0.300	0.000	0.000	
			137/2	1.210	1.210	0.000	0.000	1 कोहा
56	राकेश बल्द प्रेमसोंग पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	126/1	2.000	2.000	0.000	0.000	1 बेरी, 2 कोहा
57	सूरजबाई पति प्रेमसोंग पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	126/2	2.000	2.000	0.000	0.000	1 पक्का कुआ,
58	प्रेमसोंग बल्द तुलसीराम पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	126/3	0.810	0.810	0.000	0.000	2 बेरी, 1 छेवला, 2 रेंजा
59	आमिर खान ना.बा. बल्द ब बली इस्माईल खान पता निवासी ककरुवा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	128/1	0.430	0.430	0.000	0.000	
			128/2	0.300	0.300	0.000	0.000	
60	छोटेखां पिता अमीर खां पता सा. ककरुवा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	129	1.600	1.600	0.000	0.000	6 बेरी, 3 रेंजा, 2 छेवला
61	हरीसोंग पिता पूरन पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	130	1.350	1.350	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 रेंजा, 2 छेवला, 1 पीपल+छेवला, 2 उमर
62	मथुराप्रसाद बल्द हल्के पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	131/1	0.400	0.400	0.000	0.000	3 छेवला
63	लक्मन वा रगवर नेतराम नरेश ना.बा. पिता शेवप्रसाद सुदामाबाई सुहागबाई प्रीतिबाई ना.बा. पुत्रियां शेवप्रसाद बली ब खुद मा उषाबाई बेवा शेवप्रसाद पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	131/2	0.710	0.710	0.000	0.000	
64	जीयन बल्द बाबूलाल पता सा. छीरखेड़ा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	134/3	1.620	1.620	0.000	0.000	5 बेरी, 2 रेंजा, 1 सेमर
			134/4	0.850	0.850	0.000	0.000	1 छेवला
65	महराजसोंग बल्द सुंदरलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	138/1	2.000	2.000	0.000	0.000	1 द्यूवेल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	खूबसींग पिता शोभाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	139/3	0.820	0.820	0.000	0.000	
			151/1	0.810	0.810	0.000	0.000	2 आम
67	रमकेश बल्द शोभाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	140	0.100	0.100	0.000	0.000	
			151/2	1.210	1.210	0.000	0.000	2 आम
68	पूनाबाई पुत्री भगोनी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	142/2	1.470	1.470	0.000	0.000	1 उमर, 2 कोहा
69	रामवती पिता भगोनी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	142/3	1.470	1.470	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
70	दुर्गा अनंदी पिस. छुट्टी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	143	1.200	1.200	0.000	0.000	1 ट्यूवेल, 3 आम, 1 जामुन, 2 इमली, 3 अमरुल, 3 बेरी, 3 उमर, 2 नीम, 1 रसल्ला, 1 बमूरा, 1 छेवला, 2 बांस का घेरा
71	हरीचरण पुत्र खिलान जाति कुर्मी पता परासरी खुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	144/1	0.820	0.820	0.000	0.000	2 अमरुल, 2 नीबू, 1 नीम
			101/2	0.800	0.800	0.000	0.000	
72	रामशंकर बल्द हरिचरन पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	144/2	1.800	1.800	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 3 बेरी, 1 छेवला
73	दामोदर पिता अजुदी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	145/1/1	0.290	0.268	0.000	0.022	6 आम, 3 आंवला, 3 नीबू, 1 जामुन, 1 कटहल, 3 उमर
74	वीरसिंह पिता अजुदी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0. 1/2 भाग भूमिस्वामी दिनेश, नाबा पिता कम्पोद बली मां प्रेमरानी बेवा कम्पोद पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमि स्वामी गोलू नावा पिता कम्पोद बली मा प्रेमरानी बेवा कम्पोद पता परासरी खुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमि स्वामी शारदा नाबा पुत्री कम्पोद बली मां प्रेमरानी बेवा कम्पोद पता परासरी खुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमि स्वामी आरतीबाई नाबा पुत्री कम्पोद बली मां प्रेमरानी बेवा कम्पोद पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमिस्वामी देवबाई पुत्री कम्पोद बली मां प्रेमरानी बेवा कम्पोद पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	145/1/2	0.510	0.510	0.000	0.000	2 आम, 1 जामुन,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	जमना बल्द भगोनी विधाबाई पति जमुना पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था	भूमि स्वामी	146/2	0.800	0.800	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 आम,
76	उधम बल्द बाबूलाल संतोषरानी पति उधम पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था	भूमि स्वामी	146/3	0.800	0.800	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
77	आजादरानी पल्ली प्रकाशर्सींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	147/1	0.1800	0.1800	0.000	0.000	
			147/3	1.140	1.140	0.000	0.000	1 बेरी,
78	रमेश कुमार पिता बाबूलाल पता सा.राहतगढ़ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	147/2	2.020	2.020	0.000	0.000	कच्चा कुआ 1
79	युवराज ना.बा.बल्द बली प्रकाशर्सींग पता सा. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	147/4	1.620	1.620	0.000	0.000	कच्चा कुआ 1
80	गोविंद बल्द गौरी पता सा. भबूकाबारी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	150	0.550	0.550	0.000	0.000	
81	नर्मदाप्रसाद पिता शोभाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	151/3	1.210	1.210	0.000	0.000	2 आम, 1 पीपल
82	हैदरअली बल्द हसनअली पता सा. ककरुवा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	152/1	1.950	1.950	0.000	0.000	
			153	0.030	0.000	0.000	0.030	
			156/1	0.110	0.110	0.000	0.000	
83	सयैद अरशद अली पिता सैयद हसन अली पता परासरी खुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	152/2	1.980	1.980	0.000	0.000	
		भूमि स्वामी	156/2	0.100	0.100	0.000	0.000	
			184	152.300	150.965	0.000	1.335	

## भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण

सं. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	झेत्रफल वर्ग में	धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
1	हल्कई बल्द परम पता सा.देह भूमिस्वामी	जितेन्द्र पिता गोपाल अहिरवार	25	कच्चा कमरा	48.93	निरंक
				बरामदा कच्चा	34.72	
				गाय सार खपरैल	8.19	
				ओंगन कच्चा	29.44	
				W.C.PMGSY	1.32	
2	(शासकीय) हरिवाई पति राजू चढ़ार	हरिवाई पति राजू चढ़ार	72	कच्चा कमरा	16.50	निरंक
				गाय सार	12.18	
				बरामदा पन्नी	16.10	
				ओंगन कच्चा	17.50	
3	युवराज नरेन्द्र नावा बल्द बली पि. प्रकाश पता सा. देह भूमिस्वामी	नरेन्द्र बल्द प्रकाश	69/1	गाय सार	65.61	निरंक
				पर्छी खुली पन्नी	14.85	
				पक्का शौचालय W.C.	1.50	
4	महादेव बल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	महादेव / सूरतसींग	69/3	कच्चा मकान	147.13	निरंक
				ऑंगन कच्चा	10.92	1. नरसिंह पिता महादेव
					7.68	2. प्रशांत पिता महादेव
				W.C.	0.38	
5	महादेव बल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी		70/2	गायशाला	44.66	
6	महादेव बल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	पृथ्वीसींग / सूरतसींग	69/3	कच्चा मकान	147.13	निरंक
				ऑंगन कच्चा	10.92	1. भगवानसींग पिता पृथ्वीरांज
					7.68	2. रामजी कुर्मी पिता पृथ्वीसींग
				W.C.	0.38	

सं. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3डी के तहत प्रमाणित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
7	महादेव बल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	प्रकाश / सूरतसींग	69/3	कच्चा मकान	147.13	निरंक
				ऑंगन कच्चा	10.92	1.. युवराज पिता प्रकाश
					7.68	
				W.C.	0.38	
8	पृथ्वीसिंह बल्द सूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	पृथ्वीसिंग / सूरतसींग	69/2	कच्चा मकान	57.96	निरंक
				टीन सेट	25.80	
				W.C.	7.52	
9	पवन पिता हरिराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	पवन बल्द हरिराम	90	कच्चा मकान वरामदा	75.71	निरंक
				ऑंगन कच्चा	23.94	'सुखदेव पिता पवन सींग
					23.69	
				नहानी W.C.	6.58	
				पक्का शौचालय W.C. PMGSY	1.82	
10	पवन पिता हरिराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अखिलेश बल्द मनमोहन सिंह	90	कच्चा कमान	18.42	निरंक
					25.45	
				बरामदा	15.21	
					18.77	
				गाय सार	16.95	
				ऑंगन कच्चा	23.56	
11	दलीप पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	दलीप बल्द प्यारेलाल	91/2	पक्का मकान	26.57	निरंक
				ऑंगन कच्चा	2.88	1.. कैलाश लोधी पिता दलीप
						1.. रीना लोधी पिता दलीप

सं. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
12	दलीप पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	राकेश पिता दलीप	91/2	कच्चा मकान	47.03	निरंक
					15.84	
				बरामदा	26.98	
				आँगन कच्चा	13.91	
				नहानी	4.46	
				W.C.	1.35	
13	मानसींग पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	मानसींग बल्द प्यारेलाल	91/3	कच्चा मकान	32.78	निरंक
				बरामदा	18.29	
				पन्नी बरामदा	15.75	
					20.54	
				आँगन कच्चा	7.98	
14	रघुराज प्यारेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	रघुराज बल्द प्यारेलाल	91/1	कच्चा मकान	9.86	निरंक
					34.77	
				बरामदा	20.58	
					33.78	
				आँगन कच्चा	7.44	
15	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	गोविंद बल्द गौरी	89	पक्का मकान	35.96	निरंक

सं. क्र.	मूँझारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3जी के तहत प्रभावित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
16	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	नरेश पिता गोविंद	89	कच्चा मकान खपरैल	8.29	निरंक
					1.87	
					7.56	
					5.95	
					बरामदा खपरैल	6.09
					बरामदा खपरैल	5.31
					गाय सार खपरैल	9.78
17	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	कल्याण पिता गोविंद	89	कच्चा मकान खपरैल	8.29	निरंक
					1.87	
					7.56	
					5.95	
					बरामदा खपरैल	6.09
					बरामदा खपरैल	5.31
					गाय सार खपरैल	9.78
18	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	लक्ष्मीनारायण पिता गोविंद	89	कच्चा मकान खपरैल	8.29	निरंक
					1.87	
					7.56	
					5.95	
					बरामदा खपरैल	6.09
					बरामदा खपरैल	5.31
					गाय सार खपरैल	9.78

सं. क्र.	भू-धारक का विवरण	मंकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
19	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	छोटेलाल पिता गोविंद	89	कच्चा मकान खपरैल	8.29 1.87 7.56 5.95	निरंक
				बरामदा खपरैल	6.09	
				बरामदा खपरैल	5.31	
				गाय सार खपरैल	9.78	
				नहानी कच्ची	1.38	
				शौचालय पक्की	0.57	
20	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	गोपाल बल्द तुलाराम लोधी		कच्चा मकान	61.43 5.70	
				आँगन कच्चा	13.38	
21	कुवेशिंद पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भूमि स्वामी भारतसींग पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी रचना पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी	बाबूलाल बल्द हरनाम लोधी	101/1	कच्चा मकान	61.71	निरंक
				W C	2.89	
22	कुवेशिंद पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भूमि स्वामी भारतसींग पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी शिवरानी उर्फ चंदाबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी	हरनाम बल्द बैजनाथ लोधी	101/1	कच्चा मकान	78.60	निरंक
				आँगन कच्चा	53.94	

सं. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
23	<p>कुवेरसिंह पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भूमि स्वामी भारतसींग पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी रचना पुजी बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी शिवराजी उफ चंदाबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी</p>	<p>भागचंद बल्द प्राणचंद कुर्मी</p>	101/1	पक्का मकान	24.29	निरंक
				कच्चा मकान	12.60	
					10.50	
				ऑंगन कच्चा	14.28	
24	<p>भगवासींग बल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी</p>	<p>हरीसींग बल्द पूरनसींग कुशवाह</p>	137/1	कच्चा मकान	88.58	निरंक
				पनी सेट	10.20	
					17.10	
25	<p>छोटेलाल शिवराज ना.बा. पिता सिरदार बली मा खुद फूलरानी पति शिवराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी</p>	<p>उधमसींग बल्द बाबूलाल</p>	86	कच्चा मकान	66.63	निरंक
				W C	1.38	
				ऑंगन कच्चा	24.96	
				पनी टपरा	14.19	
26	<p>कमलेश भगवानदास पिता बबू प्रेमरानी बेवा बबू पता सा.देह भूमिस्वामी</p>	<p>कमलेश भगवानदास ,संतोष</p>	81	कच्चा मकान	86.45	निरंक
					15.53	
				बरामदा टीन	17.82	
				W C	3.63	
						प्रियंका विश्वकर्मा

सं. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	घास 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
27	शोभाराम बल्द अमरसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	शोभाराम बल्द अमरसींग	76	गाय सार	14.00	निरंक
				बरामदा सार A C सीट	39.60	
				बरामदा A C सीट	20.72	
				कच्चा मकान	44.06	
				कच्चा मकान	34.04	
				सार पन्नी	26.65	
				W.C. A C Sheet	1.38	
				पन्नी छत	18.13	
				टपरा	8.14	
28	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	छोटेलाल शिवराज बल्द सिरदार सींग	89	कच्चा मकान	24.57	निरंक
				परछी पन्नी	18.27	
					6.32	
29	भगवासींग बल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सुमित पिता भगवानसींग कुशवाहा	137/1	पक्का मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई टीन सेट	33.21	निरंक
				पक्की दहलान टीन सेट, लोहा पाइप पाया	29.97	
30	दामोदर पिता अजुद्दी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	गुडडा बल्द दामोदर	145/1	कच्चा मकान खपरैल	12.96	निरंक
					15.12	
				कच्चा मकान टीन की छत	16.81	
				खपरैल रूम	20.50	
				पर्छी पन्नी	19.60	
				W.C. A C Sheet	1.27	
				ऑगन कच्चा	19.35	
31	दामोदर पिता अजुद्दी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	अजमेर पिता दामोदर	145/1	कच्चा मकान खपरैल	22.41	निरंक
				WC PMGSY	1.27	

सं. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	आजत सपात्त का विवरण	क्षत्रफल वर्ग मी. में	धारा ३७ के पास प्रगति कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
32	दामोदर पिता अजुद्दी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	छोटेलाल पिता दामोदर	145/1	कच्चा मकान खपरैल	12.20	निरंक
					8.33	
				W.C.	1.27	
33	दामोदर पिता अजुद्दी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	गब्बर पिता दामोदर	145/1	कच्चा मकान खपरैल	29.15	निरंक
					11.25	
				W.C.A.C Sheet	1.27	
34	दामोदर पिता अजुद्दी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	दामोदर बल्द अजुद्दी	145/1	गाय सार खपरैल	25.13	निरंक
35	विष्णुप्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	मंदिर हनुमान जी	106	पक्का मंदिर	198.81	निरंक
					11.32	
				प्रथम तल गुम्बद	9.61	
36	विष्णुप्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	शाकीय प्राथमिक शाला	106	पक्का स्कूल	50.96	निरंक
					13.00	
				W.C. पक्का	10.66	
				Platform	22.14	
	योग—		34		3255.76	

प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्का नं. 0031 तहसील राहतगढ़ जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1, 9, 11 एवं 59 रकवा कमश: 5.57, 21.57, 4.12, 7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकवा 44.91 वर्गमीटर पर शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) / 117 / 18 / एम.पी.एस. / 31 / 1761 / भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के द्वूष से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-

- (अ) छूब क्षेत्र की निंजी भूमि हेतु—  
 (i) क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 1 करोड़ (एक करोड़) लाख की दर से एक मुश्त राशि।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे पक्का कुआँ होने की दशा में रूपये 2 (दो) लाख प्रति कुआँ।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपये 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि मे फेलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के (ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जमरी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशिं से कम हो जाए अंतर की राशि कष्टक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे।

(iii) सहमति से भूमि सौज्य शासने को बिक्रय करने के प्रकरणों मे भूमि को किक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अमुदाज मानी जावे।

(ब) परियोजना के छूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितों की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए।

(i) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वासा नियमित बांजार सूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान तथा ग्रामीण क्षेत्र से भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रु. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू-खण्ड नहीं लेना चाहता है तो रु. 5,00 (पाँच) लाख संकमुश्त पुनर्वास अनुदान।

(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिकल्पना अनुरूप ऐसे पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि समिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

(iii) परिवार से आशय है :— (i) शादी शुदा व्यस्क को परिवार (ii) परिवर्त्यकता का परिवार अथवा (iii) विधवा का परिवार

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जाए। लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक १५/१/२०२३ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-२) क्रमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र —523—82—20—21—भू—अर्जन—21—11903

सागर दिनांक 3 दिसम्बर 2021

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम :- हनौता सिंचाई परियोजना
- (2) भूमि का विवरण :-
- |                             |         |         |  |
|-----------------------------|---------|---------|--|
| 1. जिला                     | सागर    |         |  |
| 2. तहसील                    | राहतगढ़ |         |  |
| 3. ग्राम                    | विनायकी |         |  |
| 4. पटवारी हल्का नं.         | 3       |         |  |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 0.490   | हेक्टे. |  |

## :: अनुसूची -01::

संक्र.	भू—धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित सीधे परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ता	
1	इन्द्रपाल सिंह पिंता दलीपसिंह पता सा. विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/3	1.080	0.110	0.000	0.000	-
2	बहादुर गनेश इन्द्रसिंह वल्द गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/5	0.700	0.000	0.080	0.000	केम-1 कोहा-5
3	गेदाराम वल्द रतन ऊषाबाई पत्नि गेदाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/6	0.500	0.000	0.090	0.000	बेर-2 जामुन-1 कोहा-5 शूलबूल-5 लसल्ला-8
4	समशुलकमर पिता लालभिया पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/7	1.200	0.060	0.000	0.000	कमर-1 चिरौल-1 गुरास-1 छेवला-2
5	रामकिशन पिता जगन्नाथ पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/1	0.810	0.000	0.006	0.000	-
6	बारेलाल पि.मनमोहन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/1	0.120	0.016	0.000	0.000	-

7	भगवानसीरा पिता हरप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/2	0.120	0.000	0.008	0.000	-
8	राजकुमार पि.शमेश्वरप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78	0.620	0.000	0.060	0.000	-
9	बिहारीलाल पि.शंकरलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/1	0.080	0.000	0.020	0.000	-
10	अर्जुन चर्फ मथराप्रसाद ना.बा.वल्द व बली अमरतसोंग कुर्मा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89	2.580	0.040	0.000	0.000	-
	योग		10	7.810	0.226	0.264	0.000	

2— परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सूचित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम सजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
  - (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्वर्वस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पति और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्येक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथोचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंद्धों के अनुसार विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102आ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को<sup>1</sup> प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब कों दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकर्ता और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/10/2021 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने—अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र -49 अ-82-20-21-भू-अर्जन-11905

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियाँ लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1)	परियोजना का नाम :-	हनौता सिंचाई परियोजना					
(2)	भूमि का विवरण :-						
1.	जिला	सागर					
2.	तहसील	राहतगढ़					
3.	ग्राम	साईखेड़ा					
4.	पटवारी हल्का नं.	2					
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	0.050	डेक्टे.				
:: अनुसूची -01::							
संक्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खस्सा नं.	कुल रकवा (डेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण		अर्जित भूमि पर स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	
1	सबरु पुत्र गोरेलाल पता साईखेड़ा राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/2/1	0.240	0.000	0.050	0.000
	योग			1	0.240	0.000	0.050
							सतकना मिश्रित-13 खजूर-1

2— परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्भित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्भित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

- (5). (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सूचित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम भजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निवार्ह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्व्यवस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिधात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पकड़ी सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाड़
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के संबंधों के अनुसार विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर— 22 का कुल रकवा 12,890 है, में से हस्तांतरित रकवा 3.09 है, और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15,460 है, में से हस्तांतरित रकवा 13.71 है, एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11,410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 है, भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक—0102अ/19(3) वर्ष 2019–20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनात्मक प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाठरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/01/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने—अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मार्पों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र -47अ-82-21-22-भू-अर्जन-11910

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम :-	हनौता सिंचाई परियोजना		
(2) भूमि का विवरण :-			
1. जिला	सागर		
2. तहसील	राहतगढ़		
3. ग्राम	झिला		
4. पटवारी हल्का नं.	4		
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	0.105	हेक्टे.	

:: अनुसूची -01::

संक्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकम (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित सीधेर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	बासिचित	पहरी	
1	सियाबाई पत्नी हल्काई पता झिला राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76/1	0.560	0.000	0.000	0.035	कोहा-3 छेवला-5 ऊसर-2 ऊसला-5
2	राधबेन्द्रसिंग पि.देवेन्द्र सिंग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78	1.220	0.000	0.000	0.070	कोहा-2 छेवला-1
	योग		2	1.780	0.000	0.000	0.105	

2— परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहत है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य को, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार दीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनियोजित करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्व्यवस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संस्था
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य समिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कनिस्तान या शबदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 है. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 है. और खसरा नंबर 57 का कुल रकवा 15.460 है. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 है. इवं खसरा नंबर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 है. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 21/1/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र —51 अ—82—21—21—11909

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित संरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियाँ लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं—

(1)	परियोजना का नाम :-	हनौता सिंचाई परियोजना
(2)	भूमि का विवरण :-	
1.	ज़िला	सागर
2.	तहसील	राहतगढ़
3.	ग्राम	मढ़ियावदा (मढ़िया)
4.	पटवारी हल्का नं.	3
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	3.504 हेक्टेरे.

## :: अनुसूची -01::

स.क्र.	मू—धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वाक्षित का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेर में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थान व परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	आसीचत	पड़ती	
1	गब्बू पिता दिमान इमरतबाई पुत्री गब्बू आदिवासी सौर पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/2	0.900	0.410	0.000	0.000	कोहा-1 चंदनझगती-2 कोहा-5
2	लक्खू पिता दिमान जानकी बाई पति लक्खू पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/3	0.500	0.000	0.230	0.000	खजूर-1 शूलबबू-5
3	बुद्धा पिता गोरेलाल गुर्जीबाई पति बुद्धा पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/4	0.500	0.130	0.000	0.000	आम-4 कोहा-1 कसई-1
4	मंगल पिता गोरेलाल कुंवरबाई पिता मंगल पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/5	0.500	0.010	0.000	0.000	नीमू-2 अमरुद-3 छेवला-5
5	हल्कई पिता महताप सुमतरानी पति हल्कई पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/8	0.500	0.350	0.000	0.000	बेर-2 गुरास-1 खजूर-1

6	रामसींग पिता महताप चन्द्रानी पति रामसींग पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/9	0.500	0.270	0.000	0.000	आम-2 आँवला-1 नींबू-5 आम-3 अमरुद-1 महुआ-1 वेल-1 रेजा-2 छेवला-6 तेंदू-1 बबूल-1 शूलबबूल-1 मकान कच्चा-1 क्षेत्र. 55.35 वर्गमी
7	बिहारी पिता खरगे आदिवासी पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	1.660	0.310	0.000	0.000	करघई-2
8	नन्हेराम वल्द शेरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	2.130	0.320	0.000	0.000	-
9	कशिया पिता खरगे पता सा.वोदरी तह. खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10	1.860	0.000	0.160	0.000	वेस-1 गुरार-1 बबूल-2 खेर-1 सीमर-1 कोहा-1
10	दिनेश वल्द गुमान ललिताबाई पति दिनेश पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/1	0.650	0.080	0.000	0.000	-
11	महताप पिता धन्से पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23/1	1.240	0.000	0.020	0.000	-
12	मुहरसींग नाबा वल्द वली नारायण सिंह पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/2	0.400	0.000	0.030	0.000	-
13	बल्लू बल्ल रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/3	0.400	0.000	0.010	0.000	-
14	साविर भिया पिता शेख चुन्ना पता निवासी ग्राम राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37	0.370	0.260	0.000	0.000	रेजा-1 बबूल-1
15	कमल पिता फूलसींग पता निवासी ग्राम विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/1	0.110	0.010	0.000	0.000	-
16	शुभम पिता बलराम जाति कुर्मी पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी ममता बेवा बलराम जाति कुर्मी पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/2	0.110	0.000	0.010	0.000	-

17	रामप्रसाद पिता रत्न पता राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	40/1/1	0.480	0.045	0.000		वेल-1 नींबू-1 जामुना-1 ऊमर-1 कोहा-1
18	गेंदाराम पिता रत्न पता राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	40/1/2	0.440	0.010	0.000		-
19	नेतराम पिता रत्न पता राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	40/1/3	0.480	0.035	0.000		-
20	पूना बाई वेवा रामसींग पता राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	40/1/4	0.440	0.050	0.000		-
21	पुनु पिता रत्न पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/2	0.400	0.020	0.000	0.000	-
22	हजारी रामरत्न हरकिशन पिता मोतीलाल पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42	1.680	0.330	0.000	0.000	वेर-2 आम-1 बदूत-1 खण्डूर-1
23	दिमान पिता रामकिशन आदिवासी (सौर) पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45	0.860	0.000	0.205	0.000	-
24	भीकमसींग पिता अमानसींग पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48	0.050	0.000	0.005	0.000	-
25	उमराव पिता अमान कुर्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	51/2	0.350	0.000	0.002	0.000	-
26	दुरगसिंह पिता प्रेमसिंह पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57/1 57/2/1 - 0.810	4.430	0.045	0.000	0.000	-
27	शिवकांत पिता जीवनसींग पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65	0.130	0.002	0.000	0.000	-
28	चन्द्रभान पिता लच्छ पता निवासी विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67/4	0.520	0.035	0.000	0.000	-
29	विनोद कुमार पिता धनश्याम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74 79/2	0.550 0.740	0.010 0.035	0.000 0.000	0.000 0.000	कोहा-3 ऊमर-1
30	भगवानसींग पिता हरप्रसाद कुर्मी पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	1.200	0.040	0.000	0.000	कोहा-2 ऊमर-2

31	सोहिल ना वा बल्द बली नेतराम पता सा. करैया गूजर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/5	0.230	0.000	0.025	0.000	-
	योग		32	25.310	2.807	0.697	0.000	-

2— परियोजनानंतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से बंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सूजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
  - (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारी संदाय ; या
  - (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपमोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानान्तरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आवागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्व्यवस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पति और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसर्चनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिधात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुरक्षाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ११/१/२०२२ को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मांपों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र -48 अ-82-21-22—11908

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबनित सम्यक जाच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं—

- |     |                             |                       |
|-----|-----------------------------|-----------------------|
| (1) | परियोजना का नाम :-          | हनौता सिंचाई परियोजना |
| (2) | भूमि का विवरण :-            |                       |
|     | 1. जिला                     | सागर                  |
|     | 2. तहसील                    | राहतगढ़               |
|     | 3. ग्राम                    | बम्हौरी सेठ           |
|     | 4. पटवारी हल्का नं.         | 2                     |
|     | 5. अर्जित मूमि का क्षेत्रफल | 2.806 हेक्टे.         |

:: अनुसूची -01::

संक्र.	मूँ-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	राजेश बबलू पिता बुद्धूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/4	0.800	0.100	0.000	0.000	-
2	गोविन्द वल्द बल्लु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/6	0.500	0.000	0.375	0.000	छेवला-2 कोहा-3
3	सतोष वल्द कहमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/7	0.700	0.000	0.060	0.000	
4	चुन्ना पिता हल्काई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1	1.610	0.130	0.000	0.000	बेर-1 पीपल-1 कैथ-1 छेवला-1
5	हरी व.बलराम पता सा.खताखेड़ी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/2	0.400	0.000	0.040	0.000	-
6	मागीरथ व.बलराम पता सा.खताखेड़ी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/3	0.400	0.000	0.020	0.000	-

7	श्रीमति विद्यादेवी पति जगतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/4	0.800	0.000	0.100	0.000	
8	रमेश प्यारेलाल पिता चुन्नीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/1	0.590	0.000	0.090	0.000	छेवला-6
9	प्रेम व. पलू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/2	0.600	0.060	0.000	0.000	गुरार-2 छेवला-5 कोहा-6
10	बाबूलाल व.भबूती साहू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	1.090	0.000	0.210	0.000	छेवला-10 कोहा-2
11	घनश्याम व.बलराम पता सा.खताखेड़ी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	0.460	0.000	0.120	0.000	जामुन-1 कोहा-5 छेवला-5
12	कमलेश वल्द शीलचन्द जैन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/3	0.820	0.031	0.000	0.000	-
13	प्रानसिंह वल्द हुकुमसिंह पता सा.बासोदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64	0.050	0.000	0.004	0.000	-
14	सुनील कुमार पिता रामसेवक पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65/1	0.900	0.000	0.045	0.000	छेवला-5
15	नर्मदा प्रसाद पिता मिहीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65/2	0.900	0.000	0.035	0.000	-
16	मनोज ना.वा.वल्द व वली नर्मदाप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66	0.410	0.000	0.040	0.000	कोहा-2
17	छोटेलाल पिता जबार पता राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68	0.400	0.000	0.120	0.000	कोहा-2 छेवला-3 खजूर-1
18	चैनसींग पिता खिलान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/1	0.140	0.010	0.000	0.000	-
19	करनसींग पिता धन्नू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/2	0.620	0.045	0.000	0.000	-
20	कमलेश वल्द शीलचन्द जैन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/3	1.420	0.020	0.000	0.000	-
21	गनेश पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/8	0.140	0.045	0.000	0.000	-
22	रमेश प्यारेलाल पिता चुन्नीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/1	1.530	0.040	0.000	0.000	खजूर-2 छेवला-3
23	प्रेम व. पलू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/2	1.520	0.050	0.000	0.000	बेर-2 छेवला-5 खजूर-5

24	अमान पिता बारेलाल पता सा.बासोदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71	1.040	0.042	0.000	0.000	कोहा-3 शूलबबूल-10 दासप्रिंग-1 खजूर-10
25	राजीवकुमार पिता नर्मदाप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72/1	0.850	0.000	0.042	0.000	खजूर-3 कोहा-6 रेंजा-2
26	रामबाई पुत्री भागीरथ प्रसाद ब्राह्मण पता सा.घसोय जि.विदिशा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72/2	0.400	0.000	0.030	0.000	खजूर-3
27	विजयसींग अजयसींग पिता सीताराम शारदाबाई सुनीताबाई विनीताबाई पुत्री सीताराम पता सा.वट्यावदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74	1.220	0.000	0.170	0.000	सेमर-1 सतकठा-1 कोहा-6 छेवला-3 हड्डुवा-2
28	श्री मुरलीधर जी देव मंदिर वाके प्रबंधक कले.महो.सोगंग- पता सा.बासोदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75	2.790	0.440	0.000	0.000	खजूर-6 गर्व-2 पीपल-1 रेंजा-1 बबूल-1 छेवला-12 हड्डुवा-1 सागौन-1
29	मंदिर श्रीदेव जानकी रमण जी देवमंदिर वाके मौजा रुसल्ला मु.गनेशसिंह पिता ग्याप्रसाद प्रबंधक कले. भूमि स्वामी महो. सागर पता सा.रुसल्ला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77	0.820	0.000	0.024	0.000	-
			78	6.670	0.000	0.170	0.000	बेर-2 खजूर-3
30	आशाराम बल्द धरमचंद अहिल्याबाई पुत्री धरमचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/1/1/1	0.350	0.015	0.000	0.000	-
31	रहूपमिया बल्द शरीफ अहमद पता निवासी राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/1/1/2	0.400	0.010	0.000	0.000	-
			85/1/2	0.400	0.010	0.000	0.000	-
			85/3	1.200	0.026	0.000	0.000	-
32	चैनसींग पिता खिलान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/2	0.200	0.005	0.000	0.000	-
33	शिवराज पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/6	0.200	0.000	0.010	0.000	-
34	रामकिशन बल्द रामेश्वर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96/1	0.780	0.000	0.006	0.000	-
35	प्राणसिंह बल्द हुकुमसिंह पता सा. बासोदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96/2	0.400	0.004	0.000	0.000	-
36	रामनाथ बल्द रामचरण शारदा पुत्री रामचरण पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98/1	0.560	0.000	0.004	0.000	-

37	मु. समीर नांगा. बल्द व बली प्यारेमियां पिता लालभियां पता राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98/2	0.470	0.000	0.004	0.000	-
38	जगदीश प्रसाद बल्द बाबूलाल दुबे पता निवासी ग्राम बिनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/3	3.200	0.004	0.000	0.000	-
	योग		41	38.750	1,087	1.719	0.000	-

2— परियोजनानांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है—

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्व्यवस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पति और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क, और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और स्रुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्भिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सी कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 है, में से हस्तांतरित रकवा 3.09 है और खसरा नंबर 57 का कुल रकवा 15.460 है, में से हस्तांतरित रकवा 13.71 है, एवं खसरा नंबर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 है, भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक १३/१/२०२२ को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने—अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मार्पों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र— क्यू—82—20—21—भू—अर्जन

सागर दिनांक 24 नवम्बर 2021

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची—1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चुकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय सागर परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निमानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

—:: अनुसूची (1) ::—

तहसील : त्योदा  
हनौता सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू—अर्जन प्रस्ताव, ग्राम सेरवासा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकवा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकवा	प्रभावित रकवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	हनौता सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम – सेरवासा की भूमि की आवश्यकता	113.803	40.166
	कुल योग :	113.803	40.166

## —: अनुसूची (2) :-

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7
1	रामकिशन पुत्र खिलानसिंह जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 9640 / 42450 भाग भूमि स्वामी अजय पुत्र रामदयाल जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 3210 / 42450 भाग भूमि स्वामी अंजलि पुत्री रामदयाल जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 3210 / 42450 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई बेवा रामदयाल जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 3220 / 42450 भाग भूमि स्वामी दुर्गाबाई बेवा खिलानसिंह जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 9630 / 42450 भाग भूमि स्वामी गुलाबसिंह पुत्र खिलानसिंह जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 9640 / 42450 भाग भूमि स्वामी प्रेमबाई पुत्री खिलानसिंह जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 3900 / 42450 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/1 58/1	0.272 1.944	0.272 0.450	0.000 1.494
2	पुरुषोत्तम पुत्र रामप्रसाद जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/2/1	0.091	0.091	0.000
3	घनश्याम पुत्र खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 7 भाग भूमि स्वामी रामकिशन पुत्र खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 7 भाग भूमि स्वामी गुलाब पुत्र खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 7 भाग भूमि स्वामी प्रेमबाई पुत्री खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा 1 / 7 भाग भूमि स्वामी सरस्वतीबाई पुत्री खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 7 भाग भूमि स्वामी दुर्गाबाई बेवा खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 7 भाग भूमि स्वामी अजय पुत्र रामदयाल जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 21 भाग भूमि स्वामी अंजली पुत्री रामदयाल जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 21 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई बेवा रामदयाल जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 21 भाग भूमि स्वामी		3/2/2	0.091	0.091	0.000

4	प्रेमनारायण पुत्र बलीराम जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/2/3	0.090	0.090	0.000
5	देशराज पुत्र ग्याप्रसाद जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	0.439	0.439	0.000
			16	0.868	0.738	0.130
			49/1	0.627	0.276	0.351
			49/2	0.784	0.688	0.096
			96	1.108	0.210	0.898
6	पुरुषोत्तम पुत्र रामप्रसाद जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/1	0.470		
7	प्रेमनारायण पुत्र बलीराम जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/2	0.470		
8	शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सेरवासा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		5/3	0.705		
9	घनश्यामरामकिशनगुलाबप्रेमबाईसरस्वतीबाईपुत्रपुत्री खिलानदुर्गाबाई बेवा खिलान सामान भाग जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 402/1177 भाग भूमि स्वामी शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सेरवासा विदिशा मध्य प्रदेश 235/1177 भाग भूमि स्वामी अजयपुत्ररामदयाल अंजलीपुत्रीरामदयाल उर्मिलाबाई बेवा रामदयाल सामान भाग जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 68/1177 भाग भूमि स्वामी राकेशबलकृष्णपुत्रगण अमरसिंह जयंतीबाई पुत्री अमरसिंह सामान भाग जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 236/1177 भाग भूमि स्वामी राजुसीतारामपुत्रगणहल्कई ममताबाईपुत्रीहल्कई गीताबाई बेवा हल्कई सामान भाग जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 236/1177 भाग भूमि स्वामी		5/4	1.177		
	योग			2.822	2.592	0.230

10	हाकिमसिंह पुत्र गयाप्रसाद जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	1.777	0.789	0.988
			7/1	0.053	0.030	0.023
			51/2	0.941	0.057	0.884
11	राजाभाई पुत्र भगवानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी  रकबा 0. 658,13 रकबा 1. 473 23 रकबा 0. 084	7/2	0.114	0.015	0.099
			8	0.261	0.053	0.208
			11 12	2.727	0.726	2.001
			180	0.115	0.005	0.110
12	घनश्याम पुत्र जमनाप्रसाद जाति ब्राह्मण पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		9/2	0.087	0.087	0.000
			10/2	0.077	0.047	0.030
			45	0.355	0.273	0.082
13	प्रकाश पुत्र जमनाप्रसाद जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/3	0.087	0.068	0.019
			10/3	0.076	0.051	0.025
14	रामनारायण पुत्र जमनाप्रशाद जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10/1	0.077	0.049	0.028
15	महेन्द्रकुमार पुत्र चतुर्भुज उर्फ हल्कूराम जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी रामकलीवाई बेवा चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी अशोककुमार पुत्र चतुर्भुज उर्फ हल्कूराम जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14 15 रकबा 0.105	1.129	0.806	0.323
			38	0.115	0.020	0.095
			68	0.575	0.284	0.291
			85	0.042	0.005	0.037
			164	0.063	0.063	0.000
			188	0.136	0.007	0.129
16	प्रकाश पुत्र विन्द्रावन जाति कुर्मी पता सैरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी रामदयाल पुत्र विन्द्रावन जाति कुर्मी पता सैरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17	0.335	0.015	0.320
17	शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/1	0.152		

18	साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/2	0.151		
	योग			0.303	0.031	0.272
19	प्रकाश पुत्र वृन्दावन जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	0.073	0.010	0.063
			24/3/1र 0. 591.25 / 1 ₹.0.245	0.836	0.714	0.122
			76/2/1/1	0.193	0.168	0.025
20	रामसेवक पुत्र मथुराप्रसाद जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22/1	0.836	0.067	0.769
			76/3 77 (0.418) 78(0.42) 93 (1. 202)	1.714	0.438	1.276
21	शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22/2/1	0.444		
22	साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22/2/2	0.444		
	योग			0.888	0.239	0.649
23	मथुराप्रसाद पुत्र जगन्नाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी सरस्वतीबाई पुत्री जगन्नाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24/1	0.209	0.200	0.009
24	शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24/2/1	0.080		
25	साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24/2/2	0.080		
	योग			0.160	0.155	0.005
26	रामदयाल पुत्र विन्द्रावन जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24/3/2	0.172	0.172	0.000
27	अरविन्द कुमार पुत्र रामदयाल जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/2	0.246	0.246	0.000

28	अनिलकुमार पुत्र गोपीलाल जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26	0.512	0.065	0.447
			30/1	0.554	0.550	0.004
			37/1	0.826	0.062	0.764
29	अनीलकुमार पुत्र गोपीलाल जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी शिदोबाई पुत्री गोपीलाल जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी कृणाबाई बेवा गोपीलाल जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29/2	1.871	0.015	1.856
			41	0.052	0.022	0.030
			60	0.251	0.040	0.211
30	महेन्द्रकुमार पुत्र चतुर्भुज उर्फ हल्कूराम जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी अशोककुमार पुत्र चतुर्भुज उर्फ हल्कूराम जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30/2/1	0.277	0.225	0.052
			30/2/2	0.277	0.277	0.000
			35	0.481	0.148	0.333
			37/2	0.836	0.149	0.687
31	मिलनसिंहनावा पुत्र रामवावू सर दादा भगवानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31/1	0.264	0.072	0.192
			108/2	0.790	0.388	0.402
32	मधुरसिंहनावा पुत्र रामवावू सर मॉ रामेतीवाई जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31/2	1.252	0.860	0.392
33	भगवानसिंह पुत्र मानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32	0.763	0.428	0.335
			69/1	0.314	0.291	0.023
34	अशोक कुमार पुत्र चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी महेन्द्रकुमार पुत्र चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33	1.045	0.448	0.597
			36	0.993	0.025	0.968
35	मुन्नालाल पुत्र भगवानदास जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 209/2101 भाग भूमि स्वामी कमलेश पुत्र भगवानदास जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 350/2101 भाग भूमि स्वामी राजा पुत्र भगवानदास जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 350/2101 भाग भूमि स्वामी राकेश पुत्र भगवानदास जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 350/2101 भाग भूमि स्वामी गुडा पुत्र भगवानदास जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 351/2101 भाग भूमि स्वामी ग्याप्रसाद पुत्र गोकुलप्रसाद जाति कायस्त पता वा न 2 कैलाश नगर पलवल कैलाश नगर फिराजाबाद उत्तर प्रदेश 491/2101 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39 40रकवा 0.021	2.007	0.075	1.932

36	शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/1	1.192		
37	साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/2	1.180		
	योग			2.372	1.297	1.075
38	साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44	0.324	0.294	0.030
39	पूरन पुत्र उमरावसिंह जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	46	1.024	1.024	0.000
40	शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48/1 76/2/2	0.627 0.313	0.627 0.233	0.000 0.080
41	साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48/2 50 52/1	0.073 0.136 0.418	0.073 0.136 0.072	0.000 0.000 0.346
42	शुभम नाबा पुत्र रामबाबू सर पिता रामबाबू पुत्र ग्याप्रशाद भाग 1/6 प्रकाश रामदयाल पुत्रगम ब्रन्दावन श्यामबाई उमावाई पुत्रियां ब्रन्दावन भाग 1/3 शेरसिंह साहवसिंह पुत्रगम बैजनाथ भागवाई चन्द्रीवाई द्वोपती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी वाई सुमनवाई पुत्रियां बैजनाथ भाग 1/3 लखनपुत्र साहवसिंह भाग 1/3 मथराप्रसाद पुत्र जगन्नाथ व सरस्वतीबाई पुत्री जगन्नाथ हि 1/6 में समान भाग जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53	1.191	0.490	0.701
43	हरिचरण वावूलाल पुत्रगण बहादुरसिंह शीलावाई कस्तूरीवाई उसावाई उमावाई पुत्रियां वहादुर सिंह जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54	0.125	0.125	0.000
44	आशीषप्रताप पुत्र हरनामसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55 56 57	0.063 1.024 2.696	0.063 1.012 1.948	0.000 0.012 0.748
45	अजय पुत्र रामदयाल जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी अंजली पुत्री रामदयाल जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई बेवा रामदयाल जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/2	0.418	0.229	0.189

46	मनमोहनसोदान पप्पूकमलेशपुत्रगणगोर्वधनमीनावाईवेवीवाईपुत्रियां गोर्वधनपार्वतिवाई बेवा गोर्वधन समान भाग जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी ग्याप्रशाद पुत्र रामप्रशाद जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/1	0.094		
47	सुखलाल पुत्र खिलान जाति लुहार पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/2/1	0.808		
48	मुरलीधर पुत्र खिलान जाति लुहार पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/2/2	0.801		
49	मनमोहन पुत्र खिलान जाति लुहार पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/2/3	0.627		
	योग			2.330	0.720	1.610
50	प्रेमनारायण पुत्र बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी मोहन पुत्र बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी जगदीश पुत्र बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी रामकुंवरबाई पुत्री बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी ललताबाई पुत्री बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी ममताबाई पुत्री बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई पुत्री बलीराम जाति साहू पता विदिशा 1/8 भाग भूमि स्वामी नन्हीबाई बेवा बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/1	1.656	0.608	1.048
51	घनश्याम पुत्र खिलान जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/2	1.657	0.359	1.298
52	सरदारसिंह पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/1/1	0.549		
53	रत्नीबाई पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/1/2	0.549		
	योग			1.098	0.470	0.628

54	राजाराम पुत्रगण भैयालाल, रामवती बाई पुत्री भैयालाल, जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/2	1.097	0.393	0.704
55	अशोक कुमार पुत्र चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी महेन्द्रकुमार पुत्र चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72	0.428	0.015	0.413
56	जबारखाँ पुत्र तालेवर खाँ जाति मुस्लमान पता सैरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1557 / 4462 भाग भूमि स्वामी अनवरखाँ पुत्र तालेवर खाँ जाति मुस्लमान पता सैरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1139 / 4462 भाग भूमि स्वामी हस्सोबाई पुत्री तालेवरखाँ जाति मुस्लमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1557 / 4462 भाग भूमि स्वामी शकील खाँ पुत्र जब्बार खाँ जाति मुस्लमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 209 / 4462 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76/1	0.314	0.227	0.087
57	अरविन्द कुमार पुत्र रामदयाल जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76/2/1/2	0.194	0.179	0.015
58	अनिलकुमार पुत्र गोपीलाल जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80/1	0.042		
59	रतीबाई पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80/2	0.042		
	योग			0.084	0.047	0.037
60	लक्ष्मीवाई पुत्री महाराजसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 180 / 3897 भाग भूमि स्वामी साहवसिंह पुत्र बैजनाथसिंह जाति कुर्मी पता त्यांदा विदिशा मध्य प्रदेश 993 / 3897 भाग भूमि स्वामी गोपीवाईसेठानीवाईरामसखीवाईलक्ष्मीवाई नर्वदीवाईप्रदेशवाई पुत्री महाराजसिंह समान भाग जाति दांगी पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 3 / 3897 भाग भूमि स्वामी लाखनसिंह पुत्र रूपसिंह जाति दांगी पता त्योंदा त्यांदा विदिशा मध्य प्रदेश 42 / 3897 भाग भूमि स्वामी जाहरसिंह नाबालिंग पुत्री हरी सिंह संरक्षक पिता स्वयम जाति दांगी पता त्योंदा त्योंदा विदिशा	भूमि स्वामी 81 82 रकवा 0. 052	0.167	0.052	0.115	
		106/1	1.295	0.150	1.145	
		166	0.094	0.094	0.000	
		177	1.494	0.010	1.484	

	313 / 3897 अनवासा ग्राम भूमि स्वामी सतराम पुत्र आशाराम पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 726 / 3897 भाग भूमि स्वामी जाहरसिंहमहेशरजोरसिंहअनीताबाईविनीताबाईपुत्रपुत्रीहरिसिंह लक्ष्मीबाई बेवा हरिसिंह सामान भाग जाति दांगी पता सेरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1640 / 3897 भाग भूमि स्वामी		178 179 400	0.178 0.052 0.345	0.020 0.016 0.228	0.158 0.036 0.117
61	मनमोहनसोदान पष्पूकमलेशपुत्रगणगोर्वधनमीनावाईवेदीवाईपुत्रियां गोर्वधनपार्वतिवाई बेवा गोर्वधन समान भाग जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी र्याप्रशाद पुत्र रामप्रशाद जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84 123 124 0.63 125- 0.209, 126 - 0.125, 127 - 1.878	0.042 2.892	0.025 0.507	0.017 2.385
62	रामवालू पुत्र भगवानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165/2 170/2 173 175	0.032 0.486 0.063 0.042	0.032 0.301 0.063 0.042	0.000 0.185 0.000 0.000
63	सुखलाल पुत्र खिलान जाति लुहार पता सेरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107 108/1	0.700 1.300	0.452 0.543	0.248 0.757
64	मुरलीधर पुत्र खिलान जाति लुहार पता सेरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165/1/1 172/1 174/2/1 187/1	0.015 0.083 0.387 0.021	0.015 0.043 0.010 0.021	0.000 0.040 0.377 0.000
65	सरदारसिंह पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता सेरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167/1 169/1	0.047 0.062	0.047 0.062	0.000 0.000
66	रत्नीबाई पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167/2 169/2	0.047 0.063	0.047 0.063	0.000 0.000

67	सरदारसिंह पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176/1	0.015		
68	रतीबाई पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176/2	0.016		
	योग			0.031	0.015	0.016
69	घूमनसिंह व कमलाबाई पुत्र पुत्री नरायणसिंह प्रेमबाई बेवा नारायणसिंह हि. 1.775 हि. समान अरविन्द व रीनेशबाई, विमलेशबाई पुत्र पुत्रीया विजयसिंह, पुष्पाबाई बेवा विजयासिंह हि. 0.592 हि. समान गजरासिंह जाति दागी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	186	0.073	0.005	0.068
70	घासीराम पुत्र उदेतसिंह जाति काढी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	197	0.230	0.031	0.199
71	तुलसीराम लाखन नाबा. पुत्रगण मोहन निर्मला राजकुमारी नाबा. पुत्रियां मोहन सुकवतीबाई विधवा मोहन सर.माता स्वयं जाति सहरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/1/1	1.000		
72	पानबाई बेवा देवीसिंह भगवानसिंह बा. तुलसीराम घनश्याम कमलेश ना.बा. पुत्र देवीसिंह सर, माँ स्वयं अनीताबाई पुत्री देवीसिंह जाति सहरिया पता निवासी ग्राम साहबा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/1/2	1.000		
73	मुन्नीबाई पत्नी बुझा जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/1/3	1.000		
74	पानबाई पुत्री सुमंत्राबाई पत्नी देवी जाति सहरिया पता साहबा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/1/4	0.947		
75	जग्गू पुत्र तरवरिया जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/2/1	1.254		
76	जुकखा पुत्र खिलान जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/2/2	1.045		
77	मुन्ना पुत्र खिलान जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/2/3	1.045		
	योग			7.291	2.162	5.129

78	हीराबाई पली बाबूलाल जाति सहरिया पता साहबा विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	304/1	1.000		
79	गज्जू पुत्र मूलचंद जाति सहरिया पता साहबा विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	304/2	1.000		
80	रम्धीरसिंह हरिराम बुन्देलसिंह पुत्रगण श्यामलाल लीलाबाई रामसखीबाई पुत्रियों श्यामलाल कलाबाई वेवा श्यामलाल जाति पता निवासी ग्राम साहबा भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	304/6	1.000		
81	हीरालाल पुत्र सुखलाल जाति चमार पता साहबा विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	304/8	0.703		
	योग			3.703	2.124	1.579
82	लाखनसिंह पुत्र रूपसिंह जाति दागी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	399	1.086	0.542	0.544
83	गोविन्दसिंह पुत्र लाखनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	401	1.036	0.593	0.443
84	शिवेंद्र पुत्र गोविंदसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/1 405/4/2 405/5 405/6	0.460 1.327 0.754 0.754		
85	घूमनसिंह व कमलाबाई पुत्र पुत्री नरायणसिंह प्रेमबाई वेवा नारायणसिंह हि. 1.775. हि. समान अरविन्द व रीनेशबाई, विमलेशबाई पुत्र पुत्रीया विजयसिंह, पुष्पाबाई वेवा विजयासिंह हि. 0.592 हि. समान गजराजसिंह जाति दागी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/2	1.108		
86	जमनाबाईवेवाचितरसिंह हेमवतीबाईशिववातीबाईदुर्गाबाई पुत्री चित्तरसिंह समान भाग जाति दांगी पता उकायला विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/3/1	0.500		
87	दशोदाबाई रामकलीबाई शांतिबाई पुत्री अमोलसिंह समान भाग जाति दांगी पता उकायला विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/3/2	0.033		

88	राजोरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी अनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी विनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई बेवा हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/4/1	0.909		
89	हिमतसिंह पुत्र पंचा जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/7	0.754		
90	गोरेलाल पुत्र कल्लू जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/8	0.754		
91	गोरेलाल पुत्रकलुआभूरीबाईराजकुमारीपुत्रियॉकलुआ कोसाबाई बेवा कलुआ सामान भग जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/9	0.077		
	योग			7.430	1.127	6.303
92	अंशुल पुत्र ग्रीतमसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	406/1	3.255	0.353	2.902
93	महेशसिंह पुत्र लाखनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	406/2/1	2.200		
94	वकीलसिंह पुत्र लाखनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	406/2/2	1.055		
	योग			3.255	0.255	3.000
95	ओमकार पुत्र भगवानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	415/1	0.941	0.180	0.761
96	राजा पुत्र रूपसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	415/2	0.919	0.183	0.736
			417	0.178	0.158	0.020
			418/2	0.188	0.054	0.134
97	सोनाबाई यशोदाबाईपुत्रियॉरूपसिंह चम्पाबाई बेवा रूपसिंह समान भग जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	418/1	0.564	0.070	0.494
98	संतोष पुत्र रूपसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	419 420 रकबा 0. 794	1.034	0.291	0.743
			423	0.251	0.140	0.111

99	मोहन पुत्र धीरा जाति काढी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	425/1	0.303	0.216	0.087
100	सावित्रीबाई पुत्री धीरा जाति काढी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी कुसुमबाई पुत्री धीरा जाति काढी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी पुत्रीबाई बेवा धीरा जाति काढी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	425/2	0.084	0.039	0.045
101	कडोरी पुत्र नथू जाति काढी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	427	0.826	0.005	0.821
102	राजोरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी अनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी विनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई बेवा हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	428/1/1	0.087	0.087	0.000
			428/2	0.261	0.177	0.084
103	खेतसिंह पुत्र छमाधर जाति दांगी पता पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी निरपतसिंह पुत्र छमाधर जाति दांगी पता पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	428/1/2	0.174	0.174	0.000
104	रघुराजसिंह पुत्र गनेशराम जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	429	1.066	0.205	0.861
105	रघुराजसिंह शिवराजसिंह, बाबूसिंह पुत्रगण गनेशराम जाति दांगी पता नि.ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी राजपाल बा.नीरज व कान्ता रीना ना. बा. पुत्र पुत्रियाँ राजेन्द्रसिंह व चन्द्रबाई बेवा राजेन्द्र सिंह सर. माँ स्वयं जाति 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	433/1/1	1.045		
106	रणवीरसिंह पुत्र भुगंतसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	433/1/2	1.045		

107	हरनामसिंह पुत्र खुमानसिंह जाति दागी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	433/1/3 / क	0.671		
108	गोरेलाल पुत्रकलुआभूरीबाईराजकुमारीपुत्रियॉकलुआ कोसाबाई बेवा कलुआ सामान भग जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	433/1/3 / ख	0.677		
109	जशवंतसिंह,वीरेन्द्रसिंह पुत्र गण गनेशराम समान भाग जाति दागी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	433/2	0.794		
	योग			4.232	0.032	4.200
110	मिठदू लख्खू पुत्रगण कुन्जा भैवरबाई फूलबाई पुत्रियॉ कुन्जा जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	435/1	0.157		
111	धनसिंह मुल्ला रन्जीता पुत्र गण हल्का समान भाग जाति रावत पता वन्द्रावली विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	435/2	0.418		
112	हीरालाल पुत्र सुखलाल जाति चमार पता साहबा विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	435/3/1	0.297		
113	बाबूलाल पुत्र हरिराम जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	435/3/2	1.182		
114	रामचरण पुत्र सोमत जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	435/3/3	0.195		
115	गप्पू पुत्र रघूवर जाति धोबी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	435/4	0.157		
	योग			2.406	0.582	1.824

116	पप्पू पुत्र ग्यापसद सुखवतीबाई पुत्री ग्याप्रद व सुन्दरबाई बेवा ग्याप्रसाद पता नि.ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी तरवर पुत्र भूरा हि. 0.279 रामगोपाल पुत्र भगवानसिंह जाति दांगी हि. 0.487 नीलेश ना. बा. पुत्र करोड़ी हि. 0.209 सर. मां कमलाबाई जाति खगार पता नि.ग्राम 2/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	436	1.463	0.366	1.097
117	खयाली पुत्र भूरगा जाति रावत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	437	0.418	0.418	0.000
118	N.A		446/1/1	0.810		
119	जाहरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी महेश पुत्र हरीसिंह जाति दांगी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रजोरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति दांगी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश दांगी 1/6 भाग भूमि स्वामी अनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी विनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई बेवा हरीसिंह जाति दांगी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	446/1/2 /1	0.202		
120	खेतसिंह पुत्र छमाधर जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी निरपतसिंह पुत्र छमाधर जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पुत्र छमाधर जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी		446/1/2 /2	0.608		
121	गजराजसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	446/2/1	0.889		

122	गुलाबबाई सियाबाई मोहरबाई सियाबाई मोहरबाई पुत्र मर्दनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1221 / 1635 भाग भूमि स्वामी गोभतीबाई रामकलीबाई रामकलीबाई पुत्री मर्दनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 12 <sup>व</sup> / 1635 भाग भूमि स्वामी भीराबाई शांतिबाई शांतिबाई पुत्री इन्द्रसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 103 / 1635 भाग भूमि स्वामी भगवानसिंह पुत्र मर्दनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 299 / 1635 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	446/2/2	0.104		
123	कडोरी पुत्र नथू जाति काढी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	446/3 446/4 रकबा 0. 815	1.233		
	योग			3.846	0.005	3.841
	कुल योग:-		186	113.803	40.166	73.637

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ 16—15—(7)2014—सात—शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू—अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिन्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू—अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देश दिया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ 16—15—(7)2014—सात—शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू—अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिन्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू—अर्जन शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकें।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
**प्र. क्र / जा.क्र—९२७—भू—अर्जन—२०२१**

आगर मालवा दिनांक 10 दिसम्बर 2021

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्वव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया परियोजना के द्वाव प्रभावित ग्राम गोठडा तहसील नलखेडा जिला आगर-मालवा, कुण्डलिया बांध क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमाक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

ग्राम - गोठडा		तहसील - नलखेडा जिला आगर-मालवा	
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने से	4.420	2.350
	योग	4.420	2.350

**अनुसूची (2)**

**(1) कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से**

क्र.	प्रमाणित कक्ष का नाम पता सहित	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	रिकार्ड
1	गणपत पिता भेरुलाल, गीताबाई वि. भेरुलाल, सूरज पिता जगदीश जाति भील नि. ग्राम भूमि स्वामी	1322	0.670	0.350	-
		1328	1.330	0.450	"
	योग		2.000	0.800	-
2	राजेन्द्र सिंह यसवंतसिंह जुगराजसिंह, पिता भंवरसिंह सजनसिंह बलदेवसिंह सकरामसिंह भारतसिंह सोदानसिंह पिता भैरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1377	1.110	0.280	-
	योग		1.110	0.280	-
3	प्रेमसिंह मोहनसिंह महेन्द्रसिंह पिता सोनारसिंह, मानकुंवरबाई वि. सोनारसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	1379	0.070	0.030	-
	योग		0.070	0.030	-
4	भगवतसिंह पिता अर्जूलसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	1419 min 6	0.200	0.200	-
	योग		0.200	0.200	-
5	आनन्दलाल भारत ईश्वर पिता धीसा प्रेमबाई नि. धीसा जाति शील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1423	1.040	1.040	-
	योग		1.040	1.040	-
<b>TOTAL :-</b>			<b>4.420</b>	<b>2.350</b>	

प्र. क्र / जा.क्र ए-929-भू-अर्जन-2021-22

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया परियोजना के द्वब प्रभावित ग्राम सामरी तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा, कुण्डलिया बांध क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

क्र.	विवरण	तहसील - नलखेड़ा जिला आगर मालवा	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं द्वब क्षेत्र में प्रभावित होने से	21.964	6.889
	योग	21.964	6.889

**अनुसूची (2)**

## (1) कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	प्रभावित कक्ष का नाम पता सहित	खसरा न.	रकबा हेक्टेयर	वर्णित रकबा हेक्टेयर में	रिमार्क
1	उमराव बंशी पिता नार. आदि जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	584/1	0.784	0.200	
	योग		0.784	0.200	
2	नारायणसिंह हिंदुसिंह रमेश पिता भागीरथ व कमलाबाई पारुबाई पुत्रिया भागीरथ बालुसिंह पिता प्रभुलाल भुरीबाई विधवा प्रभुलाल हि. 1/2 समभाग तुलाराम निर्भयसिंह पिता गंगाराम गीताबाई सीताबाई भुलीबाई शारदाबाई पुत्रिय गंगाराम हि. 1/4 समभाग धीशु पिता दौला शंकुबाई लीलाबाई पिता दोला हि. 3/8 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	319/1 326/1	2.644 4.526	0.700 0.500	
	योग	327	0.460	-0.460	
3	बापूलाल उकार पिता धन्ना बरजुबाई पिता धन्ना हि.20 पैसे रामलाल हरलाल कमलाबाई दरयावबाई पिता मन्ना भूरीबाई नंदुबाई धापुबाई पिता देवा हि.20 चौपार	576/2 580/1	0.300 0.481	0.300 0.250	
	योग		0.781	0.550	

क्र.	प्रमाणित कक्ष या नाम पता सहित	खसरा नं.	रकमा हेक्टेयर	अर्जित रकमा हेक्टेयर में	रिपार्क
4	धीरू पिता दौला हि 1/2 नारायणिंह हिंदुसिंह रमेश पिता भागीरथ कमलावाई पारुबाई पिता भागीरथ आदि जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	329	0.428	0.428	
	योग		0.428	0.428	
5	संकुबाई लीलावाई पिता दौला हि.3/4 समानुपात दौलाराम निर्भयसिंह पिता गंगाराम गीतावाई भूरीबाई शारदावाई पुत्रिया गंगाराम हि. 1/4 समान गाग होकमसिंह धनसिंह गोकुलसिंह सौरमवाई शांतावाई मानुवाई सरजुवाई पिता धिसु कुंदीबाई वि. धिसु जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि रखामी	332	0.794	0.450	
	योग		0.794	0.450	
6	दिलीपकुमार पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	542/2/1	0.418	0.418	
		592/2	0.418	0.418	
		593/1,594			
	योग	595	0.627	0.627	
			1.463	1.463	
7	नारायणसिंह हिंदुसिंह रमेश पिता भागीरथ व कमलावाई पुत्रिया भागीरथ बालुसिंह पिता प्रभुलाल भूरीबाई विधवा प्रभुलाल हि. 1/2 समान तुलाराम निर्भयसिंह पिता गंगाराम गीतावाई भूलीबाई शारदावाई पुत्रिय गंगाराम हि. 1/4 समान धीरू पिता दौला शंकुबाई लीलावाई पिता दौला हि. 3/8 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	331	1.129	0.500	
	योग		1.129	0.500	
8	हरलाल शंकरलाल पिता प्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/1	0.366	0.020	
	योग		0.366	0.020	
9	नयाजबाई वि. गुलाबनबी हि.8 पैसे पल्ली मो पिता गोदाखा हि. 82 पैसे जाति विलायती	386/2	0.251	0.020	
	योग		0.251	0.020	
10	सुनिल पिता पृहलाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	631	0.941	0.400	
	योग		0.941	0.400	
11	भंवरलाल शंकुबाई पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	400/2/1	2.174	0.281	
			2.174	0.281	
12	हरलाल पिता प्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	380	2.571	0.506	
		371	0.060	0.060	
		402/2,400/4	2.174	0.259	
		427/2,429/366	0.418	0.092	
	योग		5.223	0.917	
	TOTAL :-		21.964	6.889	

प्र. क्र./ए. —941—भू—अर्जन—2021—22

आगर मालवा, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

(अंतर्गत धारा – 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तःहसील नलखेड़ा जिला आगर—मालवा कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के दूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवनों का सर्वे क्रमांक बार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भवन अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भवनों की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ व्यापकता है।



## ग्राम – लटुरीउठमठ

तःहसील – नलखेड़ा जिला आगर मालवा म.प्र.

क्र. 1	विवरण	अर्जित की जाने भवनों का क्षेत्रफल वर्गमीटर		
		कुल भवन 24	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर	अर्जित भवन का क्षेत्रफल वर्गमीटर
1	निजी भवनों के लिये 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं दूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	24	2458.14	1956.43
	योग	24	2458.14	1956.43

## अनुसूची (2)

स.क्र.	मकान नं.	भवन के मुख्या का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाम			क्षेत्रफल वर्गमीटर में
				5	6	7	
1	2	3	4	10.95	x	9.05	99.10
1	4	गीता बाई पति रमेश चंद्र	आर सी सी				99.10
2	5	चंद्र सिंह पिता धुला जी	आर सी.सी.	13.55	x	9.85	133.47
							133.47
3	6	देवी सिंह पिता नारायण सिंह	टीनशेड	10.00	x	5.40	54.00
			टीनशेड	7.95	x	3.10	24.65
			टीनशेड	6.85	x	1.10	7.54
			टीनशेड	6.65	x	3.65	24.27
			कवेलू	6.65	x	3.80	25.27
			शोचालय फर्सी	1.10	x	1.10	1.21
							136.94
4	7	अंबाराम पिता बंशीलाल	कवेलू	5.00	x	4.00	20.00
			टीनशेड	5.60	x	4.60	25.76
			टीन शेड	4.50	x	3.70	16.65
			आंगन	8.20	x	2.40	19.68
			आंगन	12.90	x	5.65	72.89
							154.98
			कवेलू	4.50	x	3.00	13.50

संक्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप			क्षेत्रफल वर्गमीटर में
1	2	3	4	5	6	7	8
5	8	रामसिंह पिता बंशीलाल	आंगन	4.65	x	3.30	15.35
			टीनशेड	6.85	x	3.60	24.66
							53.51
6	8/1	सोहनसिंह पिता बंशीलाल	कवेल	5.00	x	3.10	15.50
			टीनशेड	5.70	x	3.40	19.38
			आंगन*	11.30	x	5.60	63.28
							98.16
7	8/2	प्रभुलाल पिता बंशीलाल	कवेल	6.30	x	3.30	20.79
			टीनशेड	6.30	x	3.50	22.05
			टीनशेड	12.70	x	4.85	61.60
							104.44
8	8/3	गानसिंह पिता बंशीलाल	टीनशेड	3.30	x	3.10	10.23
			टीनशेड	3.50	x	3.10	10.85
			टीनशेड	10.30	x	3.20	32.96
			शोचालय फर्सी	1.15	x	1.10	1.27
							55.31
9	9	बाबुलाल पिता मांगीलाल	टीनशेड	8.55	x	3.00	25.65
			टीनशेड	5.45	x	2.40	13.08
							38.73
10	10	भगवानसिंह पिता छीता जी	टीनशेड	7.80	x	2.80	21.84
			टीनशेड	7.00	x	2.65	18.55
			आंगन	4.70	x	3.90	18.33
							58.72
11	11	तोलाराम पिता बोंदा जी	घास फूस टापरी	7.50	x	3.20	24.00
			टीनशेड	7.50	x	3.20	24.00
							48.00
12	12	मांगीलाल पिता भग्गा जी	टीन शेड	4.10	x	7.10	29.11
			टीन शेड	4.20	x	5.00	21.00
			कवेल	8.00	x	6.00	48.00
							98.11
13	13	चंदर सिंह पिता नानुराम	कवेल	5.15	x	7.00	36.05
			टीनशेड	2.90	x	5.20	15.08
			टीनशेड	5.00	x	1.80	9.00
							60.13
14	14	मेहरबाज़सिंह पिता प्रहलादसिंह	कवेल	8.00	x	4.80	38.40
			कवेल	2.50	x	3.50	8.75
			टीन शेड	2.50	x	1.30	3.25

संक्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप			क्षेत्रफल वर्गमीटर में
1	2	3	4	5	6	7	8
							50.40
15	15	महरबानसिंह पिता धुला जी	आर सी सी	11.25	x	4.10	46.13
			आर सी सी	11.00	x	11.25	123.75
							169.88
16	16	लीला बाई पति रमेश	आर सी सी	8.30	x	4.20	34.86
			टीनशेड	10.00	x	8.30	83.00
			टीनशेड	14.20	x	4.65	66.03
							183.89
17	17	विकमसिंह पिता मांगीलाल	टीन शेड	11.00	x	7.70	84.70
			टीनशेड	8.40	x	7.00	58.80
			आर सी सी	7.20	x	3.95	28.44
							171.94
18	21	पारस पिता अनार सिंह	टीनशेड	13.60	x	6.00	81.60
							81.60
19	22	मोडसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर	कवेलू	13.60	x	4.00	54.40
			कवेलू	4.00	x	5.30	21.20
			टीनशेड	13.60	x	3.70	50.32
			टीनशेड	8.30	x	4.00	33.20
							159.12
						कुल योग	1956.43

नोट— (1) भूमि/भवन के नम्बरों एवं खाल का निरीक्षण अनुचिनियमीय एवं न्यून अधिकारी प्रतिकारी प्रसंगति जिला आगर-मालदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

- (2) उक्त अधिनियम की घास 12 में यथा उपर्युक्त एवं विनिर्दिष्ट कुलालिया परियोजना के अधिकारी और उसके कर्मचारीहृष्ट को भूमि/भवन में प्रवेश करने और उसका संरक्षक करने किसी भी भूमि उत्तमदा ने खुदाई करने या बैवन करने और अपने कार्यक्रमोंपरिवर्तन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राप्तिकृत किया जाता है।
- (3) अधिनियम की घास 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्ण अनुग्रहन के दिना किसी अधिकृतन के प्रकाशन की तारिख से भूमि/भवन का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्या/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि/भवन पर कोई पिल्लगम सूचित नहीं करेगा।
- (4) अधिनियम की घास 15 के अधीन यद्या उपर्युक्त इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि/भवन अर्जन के बारे में अनुचिनियमीय अधिकारी राजस्व सुसंगत कोई हो फाइल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे-2018-20-21

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलौ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम जौरा प0ह0क0-55 राठनि० वृत्त-4 तहसील -जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 0.668 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- जौरा प0ह0क0-55 राठनि० वृत्त-4 तहसील-जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	जौरा
ग. ग्राम	जौरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.668 हेक्टेयर

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	117	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.097	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुरखा श्री महादेव जी बांके देह हाजा नि० ग्राम शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।
2	118	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.123	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुरखा श्री महादेव जी बांके देह हाजा नि० ग्राम शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।
3	124	भूमिस्वामी	भूखण्ड/पडत	0.065	रोशनलाल रमेशचन्द्र मुन्नालाल कल्याणसिंह पुत्र पतिराम कलावती पुत्री पतिराम स भाग 3375 वर्गफीट जाति रावत, सुनील पुत्र प्रभुदयाल भाग 875 वर्गफीट जाति त्यागी नि० ग्राम जैतपुर, मुन्नी पत्नी सूरेश भाग 2075 वर्गफीट जाति रावत सोनू बंसल पुत्र रामप्रकाश बंसल भाग 1600 वर्गफीट जाति

					वैश्य निः 0 जौरा रामकली पत्ती नवावसिंह भाग 1000 वर्गफीट जाति राहौर निः 0 जौरा भूमि स्वामी प्रेमवती पत्ती पातिराम भाग 1100 वर्गफीट जाति त्यागी निः 0 जैतपुर रामो पत्ती बाबूलाल भाग 1200 वर्गफीट निः 0 सकतपुर लालसिंह विशभर पुत्रान् प्रभूदयाल स भाग 875 वर्गफीट निः 0 शेखपुर रामो पत्ती कुअरपाल भाग 875 वर्गफीट निः 0 चिन्नोनी मंगलिया पत्ती मातादीन भाग 1600 वर्गफीट निः 0 जैतपुर मीरा पत्ती रामलखन भाग 875 वर्गफीट सभी जाति त्यागी उम्मेदी पत्ती सुरेन्द्र भाग 900 वर्गफीट जाति त्यागी निः 0 चिन्नोनी पता निः 0 ग्राम भूमि स्वामी ब्रजभूंशन पुत्र हरिओम भाग 6677 वर्गफीट जाति ब्राह्मण निः 0 बंसल विहार कालोनी ग्वालियर अंगूरी देवी पत्ती सुरेश जोशी भाग 600 वर्गफीट निः 0 सिगंलपुरा गिरीश शैलन्द्र लक्ष्मीनारायण पुत्रान् बाबूलाल स 0 भाग 4183 वर्गफीट जाति ब्राह्मण निः 0 सकतपुर सुल्तान पुत्र फैलीराम भाग 1120 वर्गफीट जाति जाटव नि थरा आनन्द पुत्र बृजेश भाग 1120 वर्गफीट जाति ब्रां 0 निः 0 मुरैना सियावेटी पत्ती श्रीनिवास झङ 1000 वर्गफीट जाति राठौर निः 0 पता निः 0 ग्राम सकतपुर भूमि स्वामी सीमा पत्ती उत्तम भाग 1000 वर्गफीट जाति ब्राह्मण निः 0 जौरा जंकक्षी पत्ती रामप्रकाश भाग 1200 वर्गफीट जाति त्यागी निः 0 सकतपुर प्रहलाद पुत्र प्रभूदयाल भाग 1100 वर्गफीट जाति ब्राह्मण निः 0 बदरपुरा नवावसिंह पुत्र सोना भाग 750 वर्गफीट बजाति तेली कमलेश हरीशंकर पुत्रान् नवावसिंह स 0 भाग 1100 वर्गफीट जाति तेली नाहरसिंह पुत्र रामप्रसाद रामदुलारी वेवा रामप्रसाद स 0 भाग 750 वर्गफीट सोनू बंसल पुत्र रामप्रकाश बंसल भाग 750 वर्गफीट जाति वैश्य पता निः 0 जौरा भूमि स्वामी रेखा पत्ती बनवारीलाल भाग 750 वर्गफीट जाति ब्राह्मण ममता पत्ती बदनसिंह भाग 750 वर्गफीट जाति रावत पता निः 0 ग्राम सिकरौदा भूमि स्वामी विकमसिंह पुत्र रोशनलाल भाग 750 वर्गफीट जाति रावत निः 0 जौरा करनसिंह पुत्र भगवानसिंह भाग 800 वर्गफीट जाति त्यागी निः 0 सकतपुर भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.80
4 /	129	भूमिस्वामी	कृषिभूमि / पडत	0.094	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल जाति रावत पजा निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

5	130	भूमिस्वामी	भूखण्ड / पड़त	0.023	ओमप्रकाष पुत्र बदनसिंह भाग 6900 वर्गफीट जाति रावत वीरवल दीनदयाल पुत्रान रामसिंह स0 भाग 1000 वर्गफीट जाति त्यागी निर्मास गुड़ी पत्नी राजन्द्र राठौर भाग 1000 वर्गफीट निर्मास डोंगरपुर लोकेन्द्र पुत्र नेतराम भाग 1200 वर्गफीट दंवेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप भाग 1250 वर्गफीट निर्मास विजैली मुन्नी पत्नी रामविलास भाग 3400 वर्गफीट जाति शाक्य निर्मास डोंगरपुर प्रदीप, जगदीश पुत्रान दुर्गाप्रसाद स0 भाग 1000 वर्गफीट जाति त्यागी पता निर्मास ग्राम निर्मास भूमिस्वामी।
6	465 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि / पड़त	0.014	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल पत्नी बाबूलाल जाति रावत पता निर्मास भूमिस्वामी।
7	465 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि / पड़त	0.014	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल पत्नी बाबूलाल जाति रावत पता निर्मास भूमिस्वामी।
8	466 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि / पड़त	0.079	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल जाति रावत पता निर्मास भूमिस्वामी।
9	469	भूमिस्वामी	कृषिभूमि / पड़त	0.052	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल जाति रावत पता निर्मास भूमिस्वामी।
10	470	भूमिस्वामी	भूखण्ड / पड़त	0.003	रामश्री पुत्री सुन्दर भाग 7039 वर्गफीट जाति रावत शारदा पत्नी मुकेशकुमार भाग 2414 वर्गफीट प्रमोदकुमार पुत्र राजाराम मनीशा पत्नी राकेशकुमार भाग 990 वर्गफीट जाति त्यागी निर्मास चिन्नोनी दिनेशकुमार सुनील कुमार पुत्रान महेश स0 भाग 675 वर्गफीट जाति ब्राह्मण निर्मास दीपैरा कैलाशी पत्नी गणेशराम कुशवाह भाग 604 सही 1/2 वर्गफीट राजाबेटी पत्नी रामसनेही कुशवाह भाग 505 सही 1/2 वर्गफीट शारदा पत्नी मुकेश त्यागी भाग 980 वर्गफीट मातादीन ज्वालाप्रसाद पुत्रान काशीराम स0 भाग 1250 वर्गफीट गिराज पुत्र द्वारिकाप्रसाद नावा० सर० रामकली मां खुद भाग 750 वर्गफीट राजकुमारी पत्नी सतीशकुमार भाग 940 वर्गफीट अंगुरीदेवी पत्नी बैजनाथ त्यागी भाग 650 वर्गफीट जसमन्त पुत्र पूरनचन्द्र भाग 750 वर्गफीट महावीर प्रसाद, गिराज, राकेश पुत्रान मातादीन स0 भाग 840 वर्गफीट जाति ब्राह्मण निर्मास वधेल अंगद पुत्र हरीप्रसाद भाग

					६८२ वर्गफीट जाति काढी निः ० ग्राम तालपुरा सुरेश पुत्र रामसिंह भाग ७७६ वर्गफीट राकेश पुत्र जण्डेल सिंह भाग १००० वर्गफीट जाति ब्राह्मण निः ० जौरा सुमन पल्ली भरतकुमार त्यागी भाग ७५० वर्गफीट निः ० चिन्नोनी, राजवेटी पल्ली रामसनहेही, देवसिंह, दिनेशसिंह पुत्रान् रामसनहेही स.भाग १००० वर्गफीट जाति काढी निः ० तालपुरा महेन्द्रप्रसाद पुत्र गिरवरलाल भाग ७५० वर्गफीट जाति ब्राह्मण प्रेमवती पल्ली चन्दनलाल भाग १/२ रामवती पल्ली पुरुषोत्तम भाग १/२ दरभाग ९/१९ धर्मेन्द्र सुरेश नावां० पुत्रान् देवीराम सर० पिता खुद स० भाग ७/१९ मनोजकुमार योगेन्द्रकुमार पुत्रान् रामभजन नावां० सर० पिता. खुद स० भाग ३/१९ दर भाग ४७५० वर्गफीट रामेश्वर दयाल नारायणलाल पुरुषोत्तम पूर्णलाल पुत्रान् रघूनाथप्रसाद स० भाग १८०० वर्गफीट जयप्रकाश उमेश प्रमोद पुत्रान् सुरेश फूलवती वेवा सुरेश रामलंता निर्मला पुत्रियान् सुरेश स० भाग ४५० वर्गफीट जाति ब्राह्मण निः ० खेरिया रामदीन वनवारी वा श्रीराम नावां० पुत्रान् राजाराम नावां० सर० मां वैजन्ती खुद स० भाग १/२ दर भाग ११२५. वर्गफीट प्रभूदयाल मुरारीलाल राधेश्याम गौरीशंकर अनिलकुमार पुत्रान् राजाराम स० भाग २३०४ वर्गफीट जाति वैश्य रामदीन वालिग श्रीराम राकेश नावां० पुत्रान् राजाराम सर० मां वैजन्ती स० भाग ४५० वर्गफीट निः ० चिन्नोनी श्रीनिवास पुत्र उदयसिंह भाग १६५० वर्गफीट जाति त्यागी रामजीलाल पुत्र रूपचन्द भाग ४२१ वर्गफीट दिलीप प्रदीप पुत्रान् बाबूलाल मधू वेवा बाबूलाल स भाग १२५० वर्गफीट जाति त्यागी निः ० बदरपुरा वासुदेव कृपाल पुत्रान् रूपचन्द स भाग १४८ वर्गफीट छत्रपालसिंह भोगीराम पुत्रान् भगवानलाल स भाग ११३१ वर्गफीट विनोद पुत्र भगवानलाल ९ वर्गफीट अंगुरी पल्ली वैजनाथ भाग ७५० वर्गफीट जाति त्यागी निः ० वधेल प्रकुल कपिलदेव नावा पुत्रान् धर्मेन्द्रकुमार पुत्रान् भगवानसिंह नावां० सर० धर्मेन्द्रसिंह पुत्रान् भगवानसिंह स भाग २१८० वर्गफीट जाति त्यागी निः ० जौरा, हेमराज पुत्र कुंआरपाल जाति त्यागी ब्रा. निवासी स्यारू भाग १०१२ वर्गफीट भूमिस्वामी।
11	481	भूमिस्वामी	कृष्णभूमि	0.056	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा ओकाफ डिपार्टमेन्ट

					शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।
12	482	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.035	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा ओकाफ डिपार्टमेन्ट शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।
13	483	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.013	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा ओकाफ डिपार्टमेन्ट शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।
कुल किता व कुल अर्जित रकवा	13			0.668	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अंधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेष :—धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाष्ठन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र. 07-अ-82-2020-21-भू-अर्जन-उ.म.रे-अलापुर

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (गवालियर-श्योपुरकलौं रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम अलापुर प0ह0क0- 62 राठनी 0 वृत्त-04 तहसील -जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 2.830 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- अलापुर प0ह0क0-62 राठनी 0 वृत्त-04 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	जौरा
ग. ग्राम	अलापुर
घ. लगभग क्षेत्रफल	2.830 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	424	भूमिस्वामी	पड़त	0.124	ईदगाह।
2	425	भूमिस्वामी	पड़त	0.061	हरगोविन्द नरोत्तम नवल किशोर कोशल किशोर पुत्रान तेजसिंह समान भाग 4/10 मनोरमा वेवा महेश भक्त वत्सल पुत्र महेश समान भाग 1/10 राधा मीरा रजनी नीलम रीता पुत्रियां तेजसिंह समान 1/2 दर भाग 3317 व0फू0 जाति शिवहरे कलावती वेवा कुढ़री निर्मला पुत्री कुढ़री समान भाग 3318 व0फू0 जाति महाजन राजेश कुमार पुत्र रामकृष्ण भाग 2365 व0फू0 जाति स्वर्णकार पता निवासी जौरा भूमि स्वामी।
3	590 / 2	भूमिस्वामी	पड़त	0.036	चम्बल कालौनी, आबादी
4	591	भूमिस्वामी	पड़त	0.119	चम्बल कालौनी, आबादी
5	592	भूमिस्वामी	पड़त	0.063	औकाफ डिपार्टमेन्ट अन्नी 1.31 प्रवन्धक

					कलेक्टर मुरैना ।
6	594	भूमिस्वामी	पडत	0.091	चम्बल कालौनी, आबादी
7	595	भूमिस्वामी	पडत	0.031	चम्बल कालौनी, आबादी
8	596	भूमिस्वामी	पडत	0.052	चम्बल कालौनी, आबादी
9	597	भूमिस्वामी	पडत	0.077	चम्बल कालौनी, आबादी
10	598	भूमिस्वामी	पडत	0.108	चम्बल कालौनी, आबादी
11	599	भूमिस्वामी	पडत	0.106	चम्बल कालौनी, आबादी
12	1032	भूमिस्वामी	पडत	0.010	औकाफ डिपार्टमेंट प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना
13	1033	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.139	मो० असगरखां, मो० एहसानखां पुत्रान रामजानखां 1/3 समान, सूलतान अहमद पुत्र दायमखां 1/3 खेरून पुत्री बुन्दू खां 1/3 जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ।
14	1034	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.069	औकाफ डिपार्टमेंट प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना
15	1035	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.066	ग्यासीराम दर्शनलाल पुत्रान रमले जाति कोरी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.90 ।
16	1036 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.054	अहमद हुसैन खां पुत्र वावूखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी -
17	1037 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.068	राजकुमार जगदीश पुत्रगण बेदरिया उर्फ वेदराम स भाग जाति किरार नि ग्राम भूमिस्वामी ।
18	1212	भूमिस्वामी	पडत / कृषिभूमि	0.133	आशाराम पुत्र मुल्ला भाग 7568 वर्गफीट जाति नाई नि० जौरा विनीता सिंघल पत्नी दिलीप भाग 10500 वर्गफीट जाति वैश्य नि० जौरा पुष्पा यादव पत्नी सिकन्दर भाग 3025 वर्गफीट जाति किरार नि० जौरा लक्ष्मीकान्त संतकुमार अरविन्द कुमार पुत्रगण लालजीत समान भाग 11250 वर्गफीट जाति ब्रा० नि० मुंदावली मुकेश वशिष्ठ पुत्र द्वारिकाप्रसाद भाग 6750 वर्गफीट जाति ब्रा० पता नि० ग्राम मुंदावली भूमिस्वामी ।
19	1214 / 1 1214 / 2	भूमिस्वामी	पडत / कृषिभूमि	0.004	रामदयाल पुत्र नन्दराम भाग 1/2 सुनीता बेवा राजेश चाहत नाबा पुत्री राजेश आयुष नाबा पुत्र राजेश सर मा खुद समान भाग 1/6 भीकम पुत्र रामदयाल भाग 1/6 जाति किरार नि गिरजा पत्नी दिनेश शर्मा जाति ब्राह्मण हि० 1/6 निवासी मुंदावली भूमिस्वामी ।
20	1215 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.088	सुल्तानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि० ग्राम दर भाग 1/6 भाग भूमि स्वामी नबाब सिंह पुत्र बालकिशान भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नाबा० पुत्रान फरीद खां सर० भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि०

					ग्राम स0 भाग 1/2 भूमि स्वामी।
21	1219 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.060	सुलतानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूत्री पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता निरो ग्राम दर भाग 1/6 भाग भूमि स्वामी नवाबसिंह पुत्र बालकिशन भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नाबारो पुत्रान फरीद खां सरो भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता निरो ग्राम स0 भाग 1/2 भाग भूमि स्वामी
22	1220	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.092	सुलतानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूत्री पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता निरो ग्राम दर भाग 1/6 भाग भूमि स्वामी नवाबसिंह पुत्र बालकिशन भाग 1/3, रहमान खां नबाब खां अरमान खां नाबारो पुत्रान फरीद खां सरो भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता निरो ग्राम स0 भाग 1/2 भाग भूमि स्वामी -
23	1222 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.051	सूबेदारसिंह सरदारसिंह जगदीशसिंह मुन्नासिंह महेन्द्रसिंह पिसो बावूसिंह अनीता पुत्री बावूसिंह स0 भाग 5/8 लक्ष्मी पत्नी रामजीलाल भाग 1/8 प्रीतम पिसो हरमोहन समान भाग 1/8 जाति किरार पता निरो ग्राम भूमिस्वामी नेतराम राजेन्द्र कल्याण सिंह पुत्रान मोगीराम कमला चन्द्रकला उर्मिला युत्रियां मोगीराम जाति किरार पता निरो ग्राम समान 1/8 भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.56
24	1223	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.086	रामभरोषी पुत्र वीधाराम जाति किरार पता निरो ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.81
25	1225	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.102	दशरथ राधवन्द्र पुत्रान मूरली नावारो अनीता पुत्री मुरली नावारो नावारो सरप मांरो खुद अंगुरी बेवा मुरली स0 भाग 4/5 अतुल पुत्र रामवीर सोनू पत्नी रामवीर समान भाग 1/5 जाति किरार पता निरो ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.31
26	1226	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.010	अमृतलाल रमेश बाबूलाल दर्शनलाल पुत्रान छिद्वीराम व देवश्री बेवा छिद्वीराम जाति किरार पता निरो ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.15
27	1227	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.080	अमृतलाल रमेश बाबूलाल दर्शनलाल पुत्रान छिद्वीराम व देवश्री बेवा छिद्वीराम जाति किरार पता निरो ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.15
28	1228	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.085	मंदिर पुख्ता श्रीपारसनाथ कस्बा जौरा माफी अतीफ सरकार प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना पता निरो ग्राम औकाफ डिपार्टमेन्ट
29	1229	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.187	मंदिर पुख्ता श्री पारसनाथ कस्बा जौरा माफी अतीफ सरकार प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना।
30	1231	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.106	गुड़ी पुत्री चिन्दू जाति धोवी पता निरो ग्राम

					<b>भूमि स्वामी मू—राजस्व 15.94</b>
31	1241	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.020	दशरथ राघवेन्द्र पुत्रान मूरली नावा० अनीता पुत्री मुरली नावा० नावा० सरप भाँ० खुद अगुरी बेवा मुरली स० भाग 4/5 अंतुल पुत्र रामवीर सोनू पत्नी रामवीर समान भाग 1/5 जाति किरार पता निं० ग्राम भूमि स्वामी मू—राजस्व 10.00
32	1297 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.057	रमेशचन्द्र रामहेतु पुत्रगण मंगलिया वसंती उर्मिला बाई गित्ता बाई नर्मदा पुत्रियां मंगलिया समान भाग जाति धोबी पता निं० ग्राम भूमि स्वामी ।
33	1297 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.052	बैजनाथ पुत्र कमला जाति धोबी पता निं० ग्राम भूमिस्वामी ।
34	1298 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.058	रामजीलाल पुत्र हीरालाल जाति किरार पता निं० ग्राम भूमिस्वामी मू—राजस्व 2.28
35	1298 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.053	सूबेदार सिंह, सरदार सिंह, जगदीश सिंह, मुन्ना सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्रान बाबूसिंह हिस्सा स.भाग 35/36, अनीता पुत्री बाबूसिंह हिस्सा 1/36 जाति किरार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
36	1306	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.066	नेतराम रामदयाल रामचरन पुत्रगण चौखरिया स० भग 3/4 रामनिवास नरेन्द्र सजय अजय पुत्रगण मोतीराम स० भाग 1/4 जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ।
37	1307	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.040	विनोद पुत्र भगवानलाल भाग 3/4 राजकुमारी पुत्री भगवानलाल भाग 1/4
38	1310	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.126	आशा पत्नी वीरेन्द्र कुमार जाति ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मू—राजस्व 1309/1
योग	कुल किता 38			2.830	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू—अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विषेष**—धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू—अर्जन की अत्यावध्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अंधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

**राजस्व विभाग**  
**मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2022**

क्र. एफ 01-44-2018-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग उज्जैन के जिला आगर-मालवा की वर्तमान तहसील सुसनेर की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील सोयतकलां का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को पारिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियों या सुझाव, लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

क्र.	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील में समाविष्ट किये गये ग्रामों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील की सीमाएँ	अभियुक्तियों पूर्व में:—तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़. पश्चिम में—राजस्थान राज्य. उत्तर में:—प्रस्तावित नवीन तहसील सोयतकलां. दक्षिण में:—तहसील बड़ौद एवं तहसील नलखेड़ा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	तहसील-सुसनेर मुख्यालय-सुसनेर	वर्तमान तहसील सुसनेर के रा.नि.मं. सोयतकलां के पटवारी हल्का नंबर 1 से 24 तक कुल 24 पटवारी हल्कों के कुल 48 ग्राम अपवर्जित होंगे।	तहसील-सुसनेर मुख्यालय-सुसनेर	वर्तमान तहसील सुसनेर के रा.नि.मं. मंडल श्यामपुर के प.ह.नं. 25 से 35 रा.नि.मं. सुसनेर के प.ह.नं. 36 से 49 तथा रा.नि.मंडल मोडी के प.ह.नं. 50 से 59 इस प्रकार कुल 35 पटवारी हल्कों के कुल 76 ग्राम समाविष्ट होंगे।	पूर्व में:—तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़. पश्चिम में—राजस्थान राज्य. उत्तर में:—प्रस्तावित नवीन तहसील सोयतकलां.	पूर्व में:—तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़. पश्चिम में—राजस्थान राज्य.
2	—	—	तहसील- सोयतकलां मुख्यालय सोयतकलां	वर्तमान तहसील सुसनेर के रा.नि.मं. सोयतकलां के प.ह.नं. 1 से 24 तक कुल 24 प. हल्कों के कुल 48 ग्राम समाविष्ट होंगे।	पूर्व में:—तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़. पश्चिम में—राजस्थान राज्य. उत्तर में:—राजस्थान राज्य.	पूर्व में:—तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़. पश्चिम में—राजस्थान राज्य.
2.	प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।	भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2022	दक्षिण में:—शेष सुसनेर तहसील. दक्षिण में:—शेष सुसनेर तहसील.			

क्र. एफ 01-10-2020-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला ग्वालियर की वर्तमान तहसील डबरा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील पिछोर का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को पारिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव, लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

क्र.	विद्यमान संभाग/जिले/ उपखण्ड/ तहसील और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण)	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील की सीमाएँ	अभियुक्तियाँ (6) (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	तहसील-डबरा (मुख्यालय-डबरा)	वर्तमान तहसील डबरा के वीरमढ़ाना धर्डी, अर्स्सी, बडेरा बुजुर्ग, सरनागत, भगेह, जंगीपुर, जरगांव, लखनोती, सकतपुरा, जनकपुर, पिछोर, छपरा, अजयगढ़, लिधोरा, कैठोदा, सहोना, पुटटी, गिजौरा, मेहगांव, किरोल, किटोरा, देवगढ़, कुम्हरा, शुक्लहारी, सिसगांव, हथनौरा, कुल 27 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे।	मुख्यालय-डबरा	वर्तमान तहसील डबरा में 27 प. हल्के अपवर्जित होकर जौरासी, गंगापुर, बिलौआ, चिरपुरा, गढ़ी, धमनिका, इकोना, लदेरा, सूखापठा, कल्याणी, मकोड़ा, चिरुली, पठा पानिहार, अकबई बड़ी, समूदन, टेकनपुर, बोना, बेरु बरगंवा, सुल्तानपुर, इटायल, सिमिरिया, अर्ल, गेडोलकला, डबरा, रामगढ़, बुजुर्ग, कर्रा, चांदपुर, मगरोरा, बरोठा, लोहगढ़, सालबई, मिलधन, सर्वा, घिरोरा, झांडोली, करियावटी, जतरथी, जरावनी, तुन्हारी, विजकपुर, भैसनारी, चौमो, खडबई, बारोल, चितावनी, महाराजपुर, रजियावर, अकबईछोटी, छीमक, सिरसा, खेड़ी, रायमल, गोबरा, देवरा, कौसा कुल 56 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	पूर्व में-पिछोर पश्चिम में- भितरवार उत्तर में- ग्वालियर दक्षिण में- जिला दतिया।	
2.	—	—	तह. पिछोर मुख्यालय-पिछोर	वर्तमान तहसील डबरा के वीरमढ़ाना, धर्डी, अर्स्सी, बडेराबुजुर्ग, सरनागत, भगेह, जंगीपुर, जरगांव, लखनोती, सकतपुरा, जनकपुर, पिछोर, छपरा, अजयगढ़, लिधोरा, कैठोदा, सहोना, पुटटी, गिजौरा, मेहगांव, किरोल, किटोरा, देवगढ़, कुम्हरा, शुक्लहारी, सिसगांव, हथनौरा कुल 27 पटवारी हल्के नवीन तहसील पिछोर में समाविष्ट होंगे।	पूर्व में-सेवढा पश्चिम में- डबरा उत्तर में- ग्वालियर दक्षिण में- जिला दतिया।	

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिये, उपसचिव।

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मैट्रो प्लाजा बिट्टन मार्केट, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2022

क्रमांक 31, मप्रविनिआ, 05 / 01 / 2022 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 252—मप्रविनिआ—2018 दिनांक 9 फरवरी, 2018 को विलोपित करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है।

2. राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 में सूचीबद्ध विषयों पर सलाह देना होगा।
3. राज्य सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली आयोग द्वारा बनाये गये “मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श—दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली) विनियम, 2004” एवं समय—समय पर उसमें किये गये संशोधन द्वारा शासित होगी।
4. राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।
5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे तथा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, म.प्र. शासन, भोपाल भी समिति के पदेन सदस्य होंगे। राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे—

संक्र.	नाम	पता	वर्ग
1	श्री विवेक अग्रवाल	अध्यक्ष, विद्युत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, सर्किट हाउस चौक के पास, गली नंबर 3, राजेन्द्र नगर, सतना (म.प्र.)—485001	वाणिज्य
2	श्री महेन्द्र पी. खंते	उपाध्यक्ष, (ई एण्ड आई), वर्धमान फेब्रिक्स, ग्राम पीलीकरार, तालपुरा, रेहटी रोड, तह. बुदनी, जिला—सीहोर (म.प्र.)—466445	उद्योग
3	श्री प्रह्लाद सिंह	ग्राम नोनिया कलां, पोस्ट सिंगोड, तहसील पनागर, जिला जबलपुर (म.प्र.)	कृषि
4	श्री दयाराम पाटीदार	उप सभापति, भारतीय किसान संघ, मालवा क्षेत्र, ग्राम—बुदियाखेड़ी, पोस्ट — सिधाना, तह. मनावर जिला — धार (म.प्र.)—454446	कृषि
5	श्री के.के. तिवारी	मध्यप्रदेश विजली कर्मचारी महासंघ, परदेशीपुरा, इन्दौर (म.प्र.)—452011	श्रमिक / मजदूर
6	सुश्री स्मिता सक्सेना	अध्यक्ष, आशा स्मिता फाउण्डेशन, सी—99, न्यू मिनाल रेसिडेन्सी, जिला — भोपाल (म.प्र.)—462023	गैर सरकारी संगठन
7	श्रीमति अर्चना भट्टनागर	मध्यप्रदेश एसोसिएशन ऑफ वीमेन एण्ड इंटरप्रेनर, 433 / 2, नेपियर टाउन, हाउबाग रेलवे स्टेशन रोड, नियर मंगनी हॉस्पिटल के समीप, जबलपुर (म.प्र.)—462008	गैर सरकारी संगठन

8	श्री बी.ए. सावले	निदेशक, सेन्ट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)—462023	शैक्षणिक एवं अनुसंधान
9	श्री विपिन कुमार जैन	मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, ई-2/30, अरेरा कालोनी, महावीर नगर, भोपाल (म.प्र.)— 462016	उद्योग
10	श्री सी.बी. मालपानी	सचिव, एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रीज, मण्डीदीप, जिला—रायसेन—462046	उद्योग
11	श्री डी.एल. मीना	मुख्य विद्युत अभियन्ता/ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर—482001	ट्रांसपोर्ट
12	श्री राकेश कुमार गौर	ग्राम कुलहाडा (डोलरिया), जिला होशांगाबाद—461116	कृषि
13	श्री रवि गुप्ता	445, कोतवाली मिलोनीगंज, जबलपुर—482002	वाणिज्य
14	श्री एस.एन. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आई.ई.एक्स.) कॉरपोरेट ऑफिस, प्लाट नं. सी—001/ए/1, 9 वी मंजिल, मैक्स टॉवर, सेक्टर 16 बी, नोएडा (उ.प्र.)—201301	वाणिज्य
15	डॉ. प्रवीण कुमार पानिग्रही	प्राध्यापक, इन्फॉरमेशन सिस्टम्स एरिया, भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.), प्रबंध शिखर, राऊ—पीथमपुर रोड, इन्हौर (म. प्र.)—453556	शैक्षणिक
16	श्री राहुल चौधरी	मुख्य सलाहकर, (सेन्टर फॉर इकोनोमिक सेक्टर), अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, सुशासन भवन, भद्रभदा चौराहा, टी.टी. नगर, भोपाल—462003	शैक्षणिक
17	प्रोफेसर (डॉ.) गयूर आलम	वरिष्ठ प्राध्यापक, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, केरवा डैम रोड, भोपाल—462044	शैक्षणिक

6. आयोग के सचिव राज्य सलाहकार समिति के पदेन सचिव होंगे।

आयोग के आदेशानुसार,  
गजेन्द्र तिवारी, सचिव.

Bhopal the 5th January 2022

No.31 -MPERC- 05 /01/2022- In exercise of powers under Section 87(1) of the Electricity Act, 2003 and in supersession of earlier notification No. 252/MPERC/2018 dated 9th February, 2018, the Commission hereby re-constitutes the State Advisory Committee from the date of publication of this notification in the M.P. Official Gazette.

2. The object of the State Advisory Committee shall be to advise the Commission on the matters mentioned under Section 88 of the Electricity Act, 2003.
3. The functioning of the State Advisory Committee shall be governed by the MPERC (Constitution of State Advisory Committee and its functioning) Regulations, 2004 and its amendments.
4. The term of Members of the State Advisory Committee shall be three years from the date of publication of the notification in the official gazette.
5. The Chairman and the Members of the Commission shall be ex-officio Chairman and Members of the State Advisory Committee respectively. Principal Secretary Food, Civil Supplies and Consumers Protection, Govt. of M.P. shall also be the ex-officio member of the Committee. The rest of the Members of the State Advisory Committee shall be as follows:

S.No.	Name	Address	Category
1	Shri Vivek Agrawal	President, Vindhya Chamber of Commerce & Industries, Near Circuit House Chowk, Gali No. 3, Rajendra Nagar Satna(M.P.) – 485001	Commerce
2	Shri Mahendra P. Khante	Vice President (E&I), Vardhman Fabrics, Vill. Pillikarar, Talpura, Rehti Road, Teh. Budhni, District-Sehore (M.P.) – 466445	Industry
3	Shri Prahlad Singh	Village Nonia Kalan, Post Singod, Tahsil Panagar, Distt. Jabalpur (M.P)	Agriculture
4	Shri Dayaram Patidar	Deputy Chairman, Bharatiya Kisan Sangh, Malwa Region, Gram- Budiyakhedi, Post- Sidhana, Tehsil Manawar, Distt. Dhar (M.P.) – 454446	Agriculture
5	Shri K.K. Tiwari	Madhya Pradesh Bijli Karmchari Mahasangh, Pardeshipura, Indore (M.P.) – 452011	Labour
6	Ms. Smita Saxena	Chairperson, Asha Smita Foundation, C-99, New Minal Residency, District Bhopal (M.P.) – 462023	NGO
7	Smt. Archana Bhatnagar	Madhya Pradesh Association of Women & Entrepreneur, 433/2, Napier Town, Howbag Railway Station Road, Near Mangni Hospital, Jabalpur (M.P.)- 462008	NGO
8	Shri B.A. Sawale	Director, Central Power Research Institute, Govindpura, Bhopal (M.P.) – 462023	Academic and Research bodies

S.No.	Name	Address	Category
9	Shri Vipin Kumar Jain	M.P. Laghu Udyog Sangh, E-2/30, Arera Colony, Mahavir Nagar, Bhopal (M.P.) – 462016	Industry
10	Shri C.B. Malpani	Secretary, Association of all industries, Mandi deep, Raisen – 462046	Industry
11	Shri D.L. Meena	Chief Electrical Engineer/Electrical Energy Management, West Central Railway, Jabalpur – 482001	Transport
12	Shri Rakesh Kumar Gaur	Gram Kulhada (Dolriya), District – Hoshangabad – 461116	Agriculture
13	Shri Ravi Gupta	445, Kothwali Miloniganj Jabalpur- 482002	Commerce
14	Shri S.N. Goyal,	Chairman & MD, Indian Energy Exchange (IEX) , Corporate office: Plot no. – C-001/A/1, 9 <sup>th</sup> floor, Max Towers, Sector 16B, Noida, (UP)-201301	Commerce
15	Dr. Prabin Kumar Panigrahi	Professor, Information Systems Area, Indian Institute of Management (IIM), Prabandh Shikhar, Rau-Pithampur Road, Indore (M.P.) – 453556	Academic
16	Shri Rahul Choudhari	Principal Advisor, (Center for Economic Sector), Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, Sushasan Bhawan, Bhadbhada Chouraha, T.T. nagar, Bhopal- 462003	Academic
17	Prof. (Dr.) Ghayur Alam	Senior Professor, National Law Institute University, Kerwa Dam Road, Bhopal – 462044	Academic

6. Secretary to the Commission shall be the ex-officio Secretary to the State Advisory Committee.

By order of the Commission,  
GAJENDRA TIWARI, Secy.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर, नरसिंहपुर

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2022

### प्रारूप-पांच

(नियम-11 देखिए)

#### वर्तमान भूमि परियोजना नकशे के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप

क्रं. 07...../नगानि/डी.पी.आर-455/2021-जबलपुर, निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति एवं सुझाव उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।

अतः एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15(3) के अधीन जबलपुर निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र का तदानुसार सम्यक् रूप से दिनांक 07 जनवरी 2022 को अंगीकृत किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में इस सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है, जो इस बात का साक्ष्य होगा कि, उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार कर लिया गया है।

अब उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अधीन एतद् द्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 07 जनवरी, 2022 से 14 जनवरी, 2022 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालय में उपलब्ध रहेगी :-

- (1) संभागीय आयुक्त, जबलपुर मध्यप्रदेश,
- (2) कलेक्टर, जिला जबलपुर,
- (3) आयुक्त, नगर पालिका निगम जबलपुर,
- (4) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद पनागर, जिला जबलपुर,
- (5) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर,

आर. के. सिंह, संयुक्त संचालक.

## राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

बैतूल, दिनांक 7 अप्रैल 2021

प्र. क्र. 8-अ-82-19-20-हरदू-4313.—चौंक, राज्य शासन को इस बात का समाधान होगा या है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमि स्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची- 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेक्टर)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	शाहपुर	हरदू	13.095	मोखा लघु जलाशय

### अनुसूची- 2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हेक्टर	अर्जित रकबा हेक्टर
1	2	3	4	5
1	छोटेलाल, श्रीमदीन, लखनलाल व. जगना जाति कंतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	44	0.688	0.130
		92/2	0.503	0.503
		51	1.255	0.075
योग			2.446	0.708
2	मुनिया पिता पन्ना जाति कंतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी	45/2	0.446	0.325
		74/2	1.198	1.198
योग			1.644	1.523

3	बाबूलाल, बनवारी वल्द गोपाल जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	67	0.214	0.150
4	लक्ष्मण, मनोहर वल्द टन्टू केरा, संतरा, सुनिता पिता टन्टू जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	72/1	0.364	0.320
		73/1	0.364	0.334
योग			0.728	0.654
5	भग्गो बेवा गोपाल, बाबूलाल, बनवारी, अनार, संतोष वल्द गोपाल जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	72/2	0.365	0.250
		73/2	0.334	0.334
योग			0.699	0.584
6	मंगता वल्द गिरधारी जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	74/1	1.178	1.178
7	बीरबल व. जोहरीलाल जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	75/1	0.440	0.440
8	भग्नी व. जुगलाल, बजेश व. साबूलाल, गुलाबाई सरस्वती पिता साबूलाल, मुकेश, नान्हू व. धीरज जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	31/1	0.168	0.000
		76/1	0.372	0.372
		102	0.260	0.226
		107	0.267	0.165
		113/1	0.488	0.244
योग			1.555	1.007
9	ब्रजलाल व. मौजी कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	77/1	0.063	0.063
		105	0.316	0.290
		112/1	0.448	0.118
योग			0.827	0.471
10	भजना ब्रजलाल व. मौजी जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	77/2	0.185	0.185
		33	0.384	0.384
योग			0.569	0.569

11	कलावती जौजे शोभाराम जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू—स्वामी	92/1 99/1	0.298 0.209	0.120 0.209
	योग		0.507	0.329
12	जंगलसिंह वल्द बुकलू जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू—स्वामी	95/2	0.381	0.381
13	शोभाराम वल्द जियालाल जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू—स्वामी	98/2 106	0.755 0.328	0.755 0.328
	योग		1.083	1.083
14	लालसिंह व. जियालाल जाति कतिया पता सा.देह भू—स्वामी	98/3 111/2 32/1	0.152 0.476 0.138	0.152 0.180 0.138
	योग		0.766	0.470
15	नान्ही बे. परसू राधे, सीताराम, धनश्याम व. परसू सुककन, बुधराम व. कात्या, कलावती पुत्री परसू चंद्रकला कैलाश आनिक व. सुककन लता सुनिता अनिता अंजू पिता सुककन जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू—स्वामी	100/1	1.243	0.968
16	महेश व. जोहरीलाल जाति कतिया	101/1	0.301	0.230
17	पिन्टू उर्फ दिनेश व. जोहरीलाल जाति कतिया	101/3	0.300	0.300
18	भंगी व. बूकलू भागराम डालूरा रामपाल व. सहजा भागवती रामबाई समोती पिता सहजा जाति कतिया	114	0.057	0.057
19	नन्हा व. जियालाल जाति कतिया	116/1	0.699	0.294
20	जुंगी वल्द बूकलू जाति कतिया	8/2 34/2	0.122 0.731	0.122 0.731
	योग		0.853	0.853
21	प्रहलाद वर्मानिंद व. गेंदलाल महेश पिता गेंदलाल राजेश वल्द बलीराम जाति मेहरा	34/3	0.796	0.796
22	रामू वल्द रामदयाल जाति कतिया	46	4.853	0.050
	महायोग:-		22.139	13.095

- 2— चूंकि मोखा जलाशय का हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उप धारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- 3— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।
- 4— समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

जा. क्र.13466-67

राजगढ़, दिनांक 24 दिसम्बर 2021

#### अनुसूची—1

क्रमांक 01-अ-82-2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के ग्राम मंगतपुर के झूब क्षेत्र के लिए वर्णित मकानों जिसका नामवार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की मकानों की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा 19(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

क्र.	ग्राम का नाम	कुल कृषक	रकबा (वर्ग मी.)
1	मंगतपुर	41	2261.53

—: अनुसूची — 2 :—

पार्वती परियोजना के झूब क्षेत्र में प्रमावित ग्राम मंगतपुर के आबादी में स्थित मकानों के अर्जन का विवरण

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला :- राजगढ़

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
1	बाबूलाल पिता रामचरण	52/1/2	4	70.36
2	कालूराम पिता काशीराम	52/1/2	5	30.80
3	आत्माराम पिता कालूराम	52/1/2	6	30.80
4	रामप्रसाद पिता काशीराम	52/1/2	7	46.40
5	देवीसिंह पिता रामप्रसाद	52/1/2	8	12.72
6	मांगीलाल पिता काशीराम	52/1/2	9	15.34
7	बद्रीलाल पिता मांगीलाल	52/1/2	10	57.20
8	सोनू पिता बद्रीलाल	52/1/2	11	7.80
9	हरीप्रसाद पिता रोडजी	52/1/2	12	54.60

10	केलाश पिता ननूलाल	52/1/1	15	57.12
11	बबलू पिता ननूलाल	9/2	22	28.40
12	गोकुल पिता ननूलाल	9/2	23	28.40
13	पर्वतसिंह पिता नारायण	4	25	36.00
14	कमलसिंह पिता रामप्रसाद	4	26	27.00
15	जगदीश पिता रामप्रसाद	4	27	23.85
16	रामनारायण पिता कुंजीलाल	4	28	66.55
17	दिनेश पिता कुंजीलाल	4	29	66.55
18	ललीताबाई पति आत्मराम	4	30	61.48
19	लक्ष्मणसिंह पिता देवीलाल	4	31	43.20
20	संजय पिता रमेश	4	32	64.61
21	मोहनलाल पिता कुंजीलाल	4	33	65.88
22	अरविन्दसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	4	40	35.51
23	रमेश पिता देवीलाल	4	41	36.85
24	शिवनारायणसिंह पिता किशनलाल	4	42	89.82
25	मांगीलाल पिता प्रेमनारायण	4	43	58.10
26	लाडसिंह पिता देवीलाल	4	46	89.21
27	भारतसिंह पता देवीलाल	4	47	147.15
28	रेखाबाई पति शिवनारायण	4	48	78.12
29	लाखनलाल पिता प्रेमनारायण	4	49	78.12
30	देवकरण पिता किशनलाल	4	50	193.55
31	राधाबाई पति देवकरण	4	51	35.88
32	राजेश पिता धीरप	4	52	134.86
33	विकम पिता धीरप	4	53	33.66
34	शान्तीबाई पति मथरालाल	4	54	11.88
35	धीरप पिता दयाराम	4	55	18.00
36	बब्लू पिता मथरालाल	4	56	25.08
37	महेश पिता मथरालाल	4	57	25.08
38	सीताराम पिता रामप्रसाद	4	58	91.23
39	दिनेश पिता रामप्रसाद	4	59	91.23
40	भागमल पिता रामप्रसाद	4	60	57.72
41	धर्मेन्द्र पिता भागमल	4	61	35.42
				2261.53

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2021

**क्र. D-6054-दो-2-12-2017.**—श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (I. L. R. & Exam), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2021

**क्र. D-6013-दो-2-63-2017.**—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 25 से 26 अक्टूबर 2021 तक दो दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

**क्र. D-5595-दो-2-36-2021.**—श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 06 अक्टूबर 2019 से दिनांक 05 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**क्र. D-5597-दो-2-56-2021.**—श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को दिनांक 23 नवम्बर से 06 दिसम्बर 2021 तक चौदह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave), स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 01 से 06 दिसम्बर 2021 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave), काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

**क्र. D-5599-दो-2-9-2012.**—श्री नवीन कुमार सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**क्र. D-6001-दो-2-56-2016.**—श्री प्रेमनारायण सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**क्र. D-6015-दो-2-55-2021.**—श्री शिवकांत पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**क्र. D-6003-दो-2-4-2021.**—श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**क्र. D-6005-दो-2-35-2020.**—श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 23 से 30 अक्टूबर 2021 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6007-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 20 से 29 अक्टूबर 2021 तक दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 19 अक्टूबर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6009-दो-2-52-2021.—श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 24 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2021 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-6011-दो-2-75-2018.—श्री बी. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इकीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1)

के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-1017-दो-2-57-2015.—श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इकीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2021

क्र. B-7352-दो-2-42-2020.—श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 21 से 23 अक्टूबर 2021 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अक्टूबर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-7354-दो-2-35-2020.—श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 23 से 30 अक्टूबर 2021 तक आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 31 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2021 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-7349-दो-2-28-2018.—श्री आर. सी. वार्ष्ण्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इकीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1)

के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2021

क्र. A-4412-दो-2-70-2021.—श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 नवम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल्य सराफ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4414-दो-2-4-2019.—श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-4416-दो-2-72-2018.—श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6030-दो-2-37-2020.—श्री व्ही. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 13 से 17 दिसम्बर 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6032-दो-2-64-2014.—श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6034-दो-2-139-2006.—श्री एच. एस. यादव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिणडौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6036-दो-2-16-2020.—श्री विनोद कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6038-दो-2-39-2021.—श्री आर. एस. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6040-दो-2-41-2017.—श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रत्नाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1)

के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6042-दो-2-41-2017.—श्री देव नारायण मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2021

क्र. D-6044-दो-3-420-80-भाग-बाहर.—श्री राजेश कुमार कोष्टा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018 समसंख्यक पत्र क्रमांक-4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री कोष्टा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश .. 226
अद्वैतन अवकाश .. 74

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 226 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अद्वैतनिक अवकाश = \_\_\_\_\_ X 74

के एवज में नगद 30  
भुगतान.

क्र. D-6046-दो-2-19-2020.—श्री सुरेश कुमार चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6048-दो-2-37-2020.—श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6050-दो-2-75-2017.—श्री रत्नेशचन्द्र सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6052-दो-2-5-18.—श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6056-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 08 से 17 दिसम्बर 2021 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6058-दो-2-15-2020.—श्री विजय कुमार पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित

अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6060-दो-2-29-2020.—श्री व्ही. पी. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6062-दो-2-23-2018.—श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय नरसिंहपुर को दिनांक 22 से 27 नवम्बर 2021 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 21 नवम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6064-दो-2-16-2019.—श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिस के अर्जित अवकाश

को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6066-दो-2-31-2021.—श्री पी. एल. दिनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 06 से 17 दिसम्बर 2021 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एल. दिनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एल. दिनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6068-दो-2-102-2017.—श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 30 नवम्बर से 06 दिसम्बर 2021 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 27 से 29 नवम्बर 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, ओ. एस. डी.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्र— भू—अर्जन—04 (अ—82) 2020—21—67

मण्डला, दिनांक 13 अक्टूबर 2021

चैक्कि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला — मण्डला
- (ख) तहसील — नारायणगंज
- (ग) ग्राम—

क्र.	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का क्षेत्रफल हे. में
1	देहरा प.ह.न—23 / 24	4.14
2	सिंगौथा प.ह.न—34	0.81
3	देवगांव रै. प.ह.न—40	0.50
4	बोरिया प.ह.न—41	3.97
5	टिकिरिया प.ह.न—27 / 42	0.68
6	देवगांव माल प.ह.न—40	0.84
7	देवहार प.ह.न—40	3.21
8	मानेगांव प.ह.न—24 / 36	1.87
9	बीजेगांव प.ह.न—24 / 36	3.27
	<b>कुल योग</b>	<b>19.29</b>

#### 1. ग्राम—देहरा प.ह.न—23 / 24

खसरा नंबर	रकवा	खसरा नंबर	रकवा	खसरा नंबर	रकवा
149/1	0.05	115/3,115/1,213	0.11	487/2,487/4	0.14
150,152,494	0.21	113	0.04	488/1	0.08
151	0.09	214	0.04	493/1	0.06
154/3	0.09	215	0.02	495	0.04
155/1,109/1	0.16	108	0.07	496	0.02
144/3	0.02	107/3	0.03	498/3,498/1	0.31
144/2	0.04	106/1,106/3	0.09	497/3	0.06
144/1	0.05	105/1	0.03	489/1,454/1	0.22
203/1	0.09	103/1,103/3	0.06	449/1,497/1	0.15
202	0.07	76/1,77/2	0.05	487/1	0.02
203/5,203/2,205/7,205/2	0.12	77/3	0.04	484/1	0.09
205/9,205/3,122/3	0.08	100/1	0.04	486/1	0.09
205/5,205/1	0.07	100/2	0.03	491	0.05
124/1	0.02	264	0.04	492/2	0.04
210/1	0.04	267/1	0.03	492/1	0.10
122/2	0.02	455/1,455/3,456/3,456/1	0.12	501	0.03
121/1,120/1	0.09	450,452	0.08	498/1	0.16
117/1	0.04	453/3,453/1	0.13	योग	<b>4.14</b>
114/1	0.03	448/1,496	0.05		

## 2. ग्राम—सिंगौधा प.ह.नं.—34

खसरा नंबर	रकवा
10/1,61	0.16
64,11	0.14
62	0.16
12/1	0.04
12/3	0.03
12/5	0.03

खसरा नंबर	रकवा
67	0.13
20	0.07
21	0.05
योग	<b>0.81</b>

## 3. ग्राम—देवगांव रैयत प.ह.नं.—40

खसरा नंबर	रकवा
146,148	0.34
53	0.03
122	0.04
124/1	0.05
147	0.04
योग	<b>0.50</b>

## 4. ग्राम—बोरिया प.ह.नं.—41

खसरा नंबर	रकवा
139/1	0.09
139/2	0.19
142	0.47
138/1	0.01
144/1	0.22
144/2	0.07
144/3	0.07
136/3	0.19
114	0.18
6/1,113/1	0.14
6/7,113/3	0.17
115	0.24

खसरा नंबर	रकवा
16	0.28
7/1	0.09
6/6	0.02
5/1	0.50
5/3	0.02
140/2	0.19
118/1	0.05
118/2	0.05
118/4	0.05
3/1	0.41
4	0.27
योग	<b>3.97</b>

## 5. ग्राम—टिकरिया प.ह.नं.—27 / 42

खसरा नंबर	रकवा
10/4	0.04
11/1	0.11
11/2	0.11
14	0.12
15	0.07
66/1	0.02

खसरा नंबर	रकवा
66/2	0.05
69	0.06
80/2	0.05
80/4	0.01
59	0.04
योग	<b>0.68</b>

## 6. ग्राम—देवगांव माल प.ह.नं.—40

खसरा नंबर	रकवा
25	0.13
145	0.09
127	0.05
30	0.03
29/2	0.02
44	0.06
112	0.03
45	0.02
46	0.02

खसरा नंबर	रकवा
47	0.01
111	0.07
51	0.01
52	0.09
60	0.07
61	0.01
58	0.13
योग	<b>0.84</b>

## 7. ग्राम—देवहार प.ह.नं.—40

खसरा नंबर	रकवा
29/1	0.16
30/1	0.04
30/2	0.06
26	0.15
21/3	0.01
21/2	0.02
21/1	0.06
21/4	0.03
22,59/1,122	0.13
14/4	0.08
14/3	0.05

खसरा नंबर	रकवा
14/2	0.04
14/1	0.03
17/3, 17/1	0.10
18/1, 18/3	0.10
19/1	0.05
19/3	0.07
58	0.11
74	0.28
62/1	0.02
63/1	0.06
67	0.13

खसरा नंबर	रकवा
123	0.02
119/1	0.04
120	0.12
121,201	0.38
135	0.07
134	0.19
126	0.07
204/1	0.43
106/1	0.10
206/1	0.01
योग	3.21

## 8. ग्राम—मानेगांव प.ह.नं.—27 / 36

खसरा नंबर	रकवा
123	0.04
389	0.01
124	0.07
128	0.16
134	0.10
130	0.08
131	0.03
132	0.04
207	0.07
374	0.13
351	0.01
350	0.08
348	0.01
347	0.01
345	0.01
344	0.01
343	0.01
342	0.01

खसरा नंबर	रकवा
340	0.01
339	0.01
338/1	0.02
338/2	0.02
338/3	0.01
337	0.03
336	0.02
311	0.04
305	0.01
304	0.03
307	0.01
385/2	0.08
385/1	0.06
384	0.07
383	0.06
379	0.03
378	0.05
377	0.03

खसरा नंबर	रकवा
376	0.09
375	0.09
447/2	0.01
444	0.01
445	0.01
446	0.02
447/1	0.01
448	0.01
449	0.01
451	0.01
452	0.01
453	0.01
454	0.01
456	0.01
466/2	0.03
466/1	0.03
467	0.03
योग	1.87

## 9. ग्राम—बीजोगांव प.ह.नं.—24 / 36

खसरा नंबर	रकवा
204	0.05
205	0.05
206	0.06
207	0.05
212	0.07
213	0.07
269	0.02
267	0.03
266	0.10
278/1	0.09
278/2	0.10
277/2	0.06
277/1	0.02
275/2	0.04
295	0.07
296	0.09
298	0.02

खसरा नंबर	रकवा
299	0.02
252	0.08
303	0.07
304	0.03
360/1	0.06
360/2	0.03
363	0.01
366	0.08
367	0.06
368	0.02
369	0.03
391	0.03
392	0.03
396	0.01
397	0.04
398	0.04
399/5	0.16

खसरा नंबर	रकवा
399/4	0.17
399/3	0.15
399/2	0.23
399/1	0.62
520	0.02
519	0.01
523	0.11
530	0.04
531	0.02
532	0.03
302/1	0.01
302/2	0.01
301	0.02
379	0.04
योग	3.27

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टिकरिया, सिंगौधा, पाठा—चुटका मार्ग के चौड़ीकरण हेतु
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट [www.mprevvenue.nic.in](http://www.mprevvenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है।
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) निवास या कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हर्षिका सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,